खण्ड-390, अंक-5
बृहस्पतिवार, 11 फाल्गुन, शक संवत् 1910
(2 मार्च, 1989 ई0)

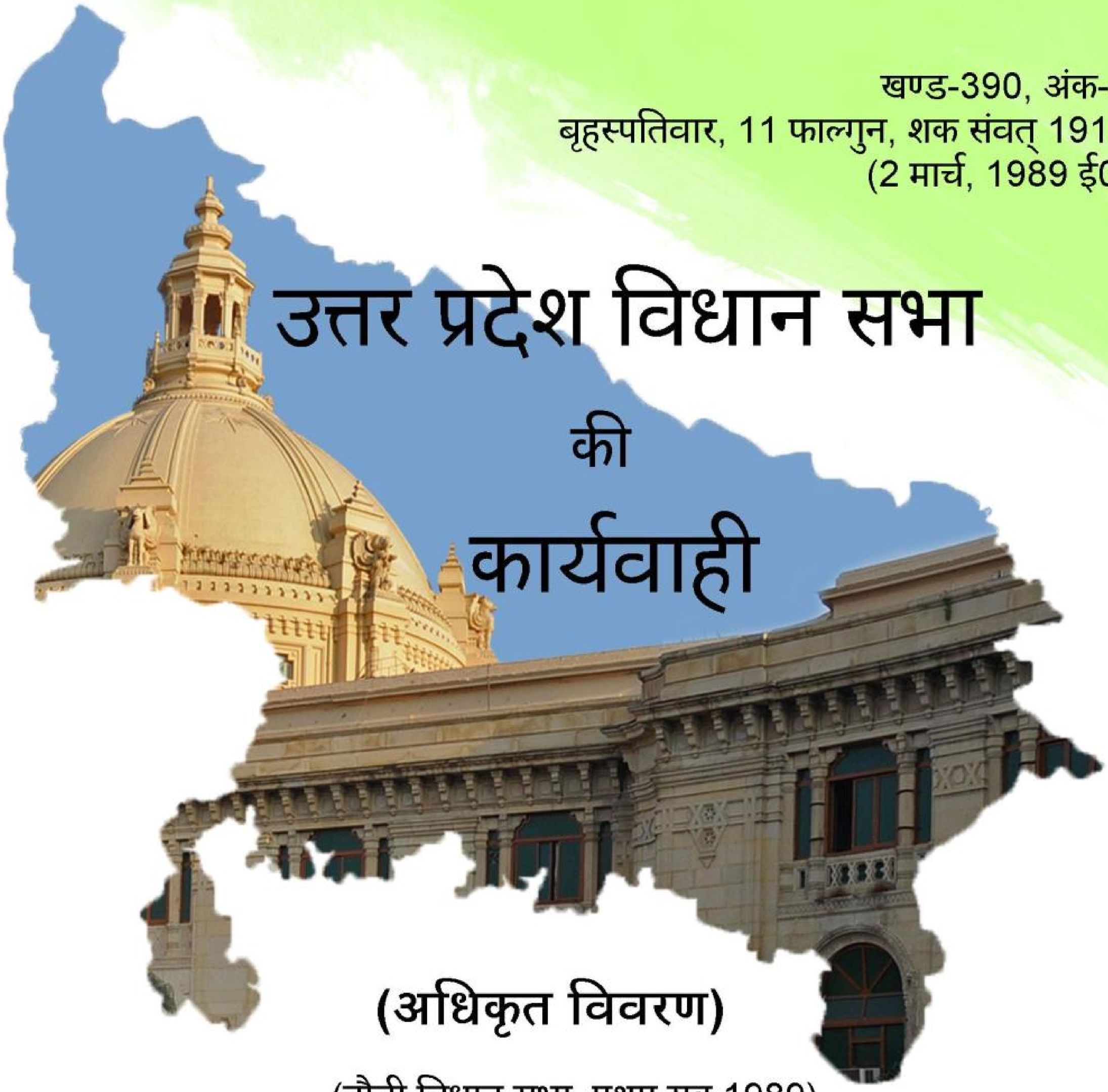

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1989)

खण्ड 390 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (भारत)
1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

## विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. | 1—2 |
| प्रश्नोत्तर .. .. | 3—49 |
| ग्राम पिडरा ब्लाक के वल्लीपुर ग्राम के निकट पुल निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 49 |
| यू० पी० टेक्सटाइल प्रिंटिंग कारपोरेशन द्वारा फर्रुखाबाद में छपाईदारों के शोषण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 50 |
| जिला उन्नाव के विकास खंड सुमेरपुर के ग्राम बंजपुर में सामुदायिक विकास भवन का निर्माण कार्य रोक दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. | 50 |
| जिला आजमगढ़ की अतरौलिया टाउन एरिया में पेयजल की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 51 |
| जिला गाजीपुर के ब्लाक जाराजपुर में विद्युत् उपकेन्द्र के निर्माण को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 51 |
| सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु किसानों की अर्जित भूमि के प्रतिकर दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .. .. | 52 |
| नगरपालिका राबर्टसगंज, जनपद मिर्जापुर में विद्युत् तार से मृत अध्यापक के परिवार को मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 52—53 |
| औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (जारी) .. | |
| विशेषाधिकार की सूचना को सुने जाने हेतु अनुमति की मांग .. | 53—55 |
| सदन के स्थगन के पश्चात् सदन का अलोकतांत्रिक तरीके से दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न .. | 55—67 |
| श्री भगवानदीन कुशवाहा के निलम्बन की वापसी का प्रस्ताव .. | 67 |
| औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं .. | 68—71 |
| प्रदेश की नगरपालिकाओं, टाउन एरियाज व विकास प्राधिकरण आदि की सीमा से लगे ग्रामों की भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत सूचना .. .. | 71—74 |
| उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1989 .. | 74 |
| (सदन के पटल पर रखा गया) | |
| कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी) .. | 74—86 |
| तराई विकास जनजाति के अधिकारी श्री शंकर दत्त ओझा द्वारा श्री हरदेव, सदस्य, विधान सभा के साथ कतिपय माननीय सदस्यों के समक्ष किये गये अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवमानना की सूचना .. .. .. | 86—94 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| विशेषाधिकार की अवमानना के प्रश्न पर तत्काल विचार किये जाने और सदन को कोर्ट के रूप में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव .. | 94–101 |
| कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं .. | 101 |
| वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 47—पर्वतीय विकास विभाग (स्वीकृत) .. | 101 |
| वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 44—पर्यटन विभाग (स्वीकृत) .. | 102–132 |
| मोटर यान (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 (पारित) .. | 132–135 |
| नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं .. .. | 135 |
| नत्थियां .. .. .. | 137–138 |


उत्तर प्रदेश विधान मंडल

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

**बृहस्पतिवार, दिनांक 2 मार्च, 1989**

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ, 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :

अकबर अहमद (डम्पी), श्री, नैनीताल
अचल सिंह, श्री, फतेहपुर
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री, मेरठ
अमर नाथ सिंह, श्री, फतेहपुर
अमीर आलम खां, श्री, मुजफ्फरनगर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री, बरेली
अलमेलु अम्माल, कुमारी, बस्ती
अवधेश प्रसाद, श्री, फैजाबाद
आर० एन० पाठक, श्री, कानपुर
इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री, बुलन्दशहर
कमलेश कुमार पाठक, श्री, इटावा
कल्याण सिंह, श्री, अलीगढ़
फोरब हमीद, श्री, मेरठ
चेतराम गंगवार, श्री, बरेली
जय नारायण शर्मा, श्री, मेरठ
जवाहर सिंह यादव, श्री, इलाहाबाद
तेज बहादुर गंगवार, श्री, पीलीभीत
दलजीत सिंह, श्री, रामपुर
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री, बस्ती
दीपनारायण, श्री, आजमगढ़
नरेन्द्र पाल सिंह, श्री, बरेली
निर्भयपाल शर्मा, श्री, सहारनपुर
फागू चौहान, श्री, आजमगढ़
बुधपाल सिंह खुर्जावाले, श्री, बुलन्दशहर
भगवती प्रसाद, चौधरी, मिर्जापुर
मंगल देव, श्री, गोंडा
मनोहर लाल, श्री उन्नाव
महेन्द्र भाटी, श्री गाजियाबाद
मुलायम सिंह यादव, श्री, इटावा
राजेश कुमार खेरा, श्री ललितपुर
राम लक्षन, श्री, गोरखपुर
रीना कुमारी, (श्रीमती) मुरादाबाद
विमला सिंह, श्रीमती, गाजियाबाद
वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री, कानपुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री, गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री, मुजफ्फरनगर
शतरूद्र प्रकाश, श्री, वाराणसी
शिव बालक पासी, श्री, रायबरेली
शूरवीर सिंह सजवाण, श्री, टेहरी-गढ़वाल

संजय सिंह, डा०, सुल्तानपुर
सलाबत हुसैन, श्री, गाजियाबाद
सतीश अजवानी, श्री, खीरी
समरपाल सिंह, श्री, मुरादाबाद
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री, खीरी
सीताराम निषाद, श्री, फैजाबाद
सुखदा मिश्रा, श्रीमती, इटावा
सुनील शास्त्री, श्री, गोरखपुर
सैयद अली अशरफी, श्री, पीलीभीत
सैयद सईदुल हसन, श्री, बुलन्दशहर
हफीज भारती, श्री, आजमगढ़
हर नारायण सिंह, श्री, रायबरेली
हरशरन सिंह श्री, मेरठ
हरिशंकर तिवारी, श्री, गोरखपुर
हरिश्चन्द्र, हरीश जी, श्री, बस्ती
हितेश कुमारी, श्रीमती, बुलन्दशहर
हुकुम सिंह, श्री, मुजफ्फरनगर

विधान सभा प्रदेश मेरठ

# प्रश्नोत्तर

## बृहस्पतिवार, दिनांक 2 मार्च, 1989

### अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

### स्थानीय निकाय कर्मचारियों तथा राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य नकदीकरण अवकाश नियमों में व्याप्त विसंगतियों के सम्बन्ध में कार्यवाही की जानकारी

**1.—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्थानीय निकाय कर्मचारियों तथा राजकीय कर्मचारियों को अनुमन्य नकदीकरण अवकाश नियमों में व्याप्त विसंगतियों के बारे में प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ कोई आदेश तथा पत्र दिनांक 13 जनवरी, 1989 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन उन्हें मिला है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नगर विकास राज्य मन्त्री (श्री नरेश चन्द्र)—

जी हां ।

शासन ने मामले को विचारोपरान्त अस्वीकृत कर दिया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, सरकार की नीति भी यह है और शासन ने जो आदेश जारी किये हैं वे भी यही हैं कि जो सुविधायें वेतन आदि की राज्य कर्मचारियों को प्राप्त हैं वही स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को उपलब्ध होंगी । लेकिन नकदीकरण के सम्बन्ध में जो आपने आदेश जारी किये उसमें इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया । तो नकदीकरण के इस मामले में विभेद करने का क्या कारण है अर्थात् जिस तारीख से राज्य कर्मचारियों को यह सुविधा दी गयी उस तारीख से स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को क्यों नहीं दी गयी ?

श्री नरेश चन्द्र—

मान्यवर, जहां तक राज्य कर्मचारियों और स्थानीय निकाय के कर्मचारियों की पैरिटी की बात माननीय सदस्य ने कही वह तो है ही केवल अन्तर यह है कि पहले राज्य कर्मचारियों को यह सुविधा 23 मार्च, 1973 से लागू की गयी और स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को 23 अक्तूबर, 1973 लागू की गयी । फिर इन आदेशों को वापस लिया गया और यह आदेश दुबारा जारी किया गया दुबारा राज्य कर्मचारियों के लिए 10 अक्तूबर, 1974 से यह आदेश लागू हुये और स्थानीय निकाय कर्मचारियों को 8 अगस्त, 1978 से लागू हुये । बीच का जो अन्तर है इसको दूर करने के लिए हमने वित्त विभाग को 3-4 बार लिखा, किन्तु वित्त विभाग इसके लिये राजी नहीं हुआ और वह इस कारण से राजी नहीं हुआ क्योंकि यह मामला पे कमीशन को रिफर किया गया था और पे कमीशन ने इसकी स्वीकृति नहीं दी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस पर माननीय मन्त्री जी भी राजी हैं और अब सवाल केवल इतना है कि वित्त विभाग की स्वीकृति नहीं मिल रही है । बहुत से कर्मचारी तो ऐसे होंगे

जो इस बीच रिटायर हो गये होंगे । हमारे यहां की सीतापुर नगरपालिका के कर्मचारियों ने एक प्रस्ताव भी शासन के पास भेजा है और वहां के अधिकारियों ने भी उसकी संस्तुति की है, इसलिये क्या सरकार उस प्रस्ताव के अनुरूप पुनः वित्त विभाग को लिखेगी ? इसमें इतना ही है कि 30 दिन के अवकाश पर जाने पर नकदीकरण प्राप्त हो अथवा अवकाश पर बिना जाये हुए ही नकदीकरण हो जाया करे तो जब नगर विकास विभाग मन्त्री इस बात से सहमत हैं कि सुविधायें मिलनी चाहिए तो मैं जानना चाहता हूं कि 6-7 साल का जो अंतराल है उसको किसी शासनादेश से पूरा करके सभी को समान सुविधाएं देने के लिए नगर विकास विभाग क्या कर रहा है ?

श्री नरेश चन्द्र—

मान्यवर, इस समय समान सुविधा प्राप्त है । तीस दिनों का नकदीकरण बिना छुट्टी पर गये राज्य कर्मचारियों को और तीस दिनों का नकदीकरण सुविधा बिना छुट्टी पर गये लोकल बाडीज के कर्मचारियों को मिलती है । जैसा माननीय सदस्य ने कहा है सुझाव के सम्बन्ध तो दो बार वित्त विभाग को लिख चुके हैं और वह अभी सहमत नहीं हो रहे हैं । पहली बात वित्त विभाग ने यह कहा कि नगरपालिका और नगर महापालिकायें अपने संसाधनों से करें, वह संभव नहीं था । दूसरी बात कहा कि समता समिति बैठी है, उसके सामने मसले हैं । लेकिन जैसा कहा है हम दुबारा वित्त विभाग को लिख रहे हैं, 1986-87 की बात है, वह सहमत हो गये तो आदेश जारी कर दिये जायेंगे ।

## लखनऊ प्रोडयूसर्स कोआपरेटिव मिल्क यूनियन द्वारा टोन्ड दूध के विक्रय मूल्य में बढ़ोत्तरी को वापस लेने की मांग

**2—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या दुग्ध विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ प्रोडयूसर्स कोआपरेटिव मिल्क यूनियन ने अगस्त, 1988 से टोन्ड दूध एफ० आर० पी० टैक और टोन्ड दूध पाली पैक की कीमत में आकस्मिक रूप से वृद्धि कर दी है जिससे दैनिक दूध उपभोक्ताओं पर भारी अधिक बोझ आ पड़ा है ? यदि हां, तो इस वृद्धि का कारण क्या है ? क्या सरकार उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को देखते हुए इस मूल्य वृद्धि को वापस लेने का निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध विकास राज्य मन्त्री (श्री बृजेन्द्र पाल सिंह यादव)—

लखनऊ दुग्ध संघ द्वारा टोन्ड दूध (पाली पैक) के विक्रय मूल्य में दिनांक 20 अगस्त, 1988 से वृद्धि की गयी थी । यह वृद्धि वर्ष 1987-88 की तुलना में वर्ष 1988-89 में दूध के क्रय मूल्य में वृद्धि होने के कारण की गयी । वर्तमान समय में टोन्ड मिल्क जिसको कि उपभोक्ताओं को पूर्व में 6.00 रुपया प्रति लीटर की दर से उपलब्ध कराया जाता था अब माह दिसम्बर, 1988 से 5.50 रुपये प्रति लीटर की दर से पाली पैक में उपलब्ध कराया जा रहा है ।

दुग्ध उत्पादकों को दूध का उचित मूल्य दिये जाने के उद्देश्य से दूध के क्रय मूल्य में समय-समय पर वृद्धि की जाती है जिसके कारण विक्रय मूल्य में भी वृद्धि करनी पड़ती है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि 1988–89 में लखनऊ दुग्ध संघ द्वारा कितनी बार मूल्यों में वृद्धि की गयी ?

दूसरी बात उपभोक्ताओं को पूर्व में 6 रुपये प्रति लीटर से दूध उपलब्ध कराया जाता था लेकिन दिसम्बर, 1988 से 5·50 रुपये के रेट से उपलब्ध कराया जा रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस रेट का अनुपालन हो रहा है क्योंकि बगल में दारूल–शफा में 6 रुपये लीटर के रेट से बिकता है ? उत्तर में कहा है कि 5·50 रुपये के रेट से मिलता है तो क्या इसके सम्बन्ध में सुनिश्चित कराया गया है ?

दुग्ध विकास मन्त्री (श्री अरुण कुमार सिंह)—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो इच्छा व्यक्त किया है उसमें मैं बताना चाहता हूं कि दो तरह के मिल्क हैं । एक 5·50 रुपये प्रति लीटर में पोली पैक में उपलब्ध कराया जा रहा है और दूसरा स्टैंडर्ड मिल्क भी पोली पैक में उपलब्ध कराया जाता है जिसका रेट 6 रुपये प्रति लीटर है । यह एक ही बार वृद्धि की गयी जो उपभोक्ताओं और उत्पादकों को ध्यान में रखकर की गयी ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मन्त्री जी ने कहा कि दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य दिये जाने के कारण समय–समय पर क्रय मूल्य में वृद्धि की जाती है और इसी हिसाब से विक्रय मूल्य में भी वृद्धि की जाती है । मेरा यह प्रश्न है कि गत वर्ष 1988 की प्रथम छमाही और दूसरी छमाही में दूध जो क्रय किया गया उसका औसत मूल्य क्या पड़ा और जो बिक्री किया उसका औसत मूल्य क्या पड़ा, यह बतायें ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, जो उत्पादकों से दूध हम क्रय करते हैं उसका औसत क्रय मूल्य 5 रुपये 1 पैसा है । और उसके बाद हमारे चार्ज लगाकर हमारी कीमत 59 होती है और हम जो बेचते हैं 5·40 में उपलब्ध कराया जाता है । एजेन्ट (विक्रेता) 5·50 में 10 पैसा पालीथीन बैग का शामिल होता है । इस प्रकार से यदि आप देखें तो 30 पैसा कम में हम यह व्यवसाय करते हैं ।

श्री मंजूर सिंह—

हमारे दोनों कैबिनेट और राज्य मंत्री दूध पीकर मोटे–ताजे हो गये हैं तो क्या ऐसी ही व्यवस्था जो हमारे विपक्ष में नौजवान लोग हैं जैसे बरार और शाही जी क्या इनकी सेहत के लिए भी आप कोई दूध का प्रबन्ध करेंगे ।

श्री अरुण कुमार सिंह—

दूध पिलाना और मछली खिलाना ही हमारा कार्य है ।

श्री रामशरण दास—

मैं इन मंत्रियों से पूछना चाहता हूं कि वह 4 अंश वाली का दूध पीते हैं या दो अंश वाली का दूध पीते हैं ।

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, सीमन की बात इन्होंने कही थी उसकी व्यवस्था कर दी है। दूध की तो कोई शिकायत नहीं है वह पर्याप्त है।

( व्यवधान )

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

## पन्त नगर कृषि विश्वविद्यालय में अनिश्चित कालीन हड़ताल के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को दण्डित किया जाना

*2—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988 से लेकर जनवरी, 1989 तक वह कौन-कौन सी घटनायें हुई जिनके फलस्वरूप पन्त नगर कृषि विश्वविद्यालय को तीसरी बार अनिश्चित काल के लिए बन्द करना पड़ा ? क्या इस प्रकार विश्व विद्यालय को बार-बार दीर्घ काल के लिए बन्द करने के कारण विश्वविद्यालय के प्रशासन को चलाने के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को कोई दण्ड मिला है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो इस प्रकार दीर्घ काल तक विश्व विद्यालय बन्द करके छात्रों के भविष्य को जो अपूर्णनीय क्षति पहुंची है उसके लिए, प्रशासन के लिए जिम्मेदार, किस अधिकारी को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

वर्ष 1988 से जनवरी, 1989 तक पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की घटनाओं के कारण बन्द होने की स्थिति निम्नवत है :

1—दिनांक 19 सितम्बर, 1988 से 15 अक्तूबर, 1988 तक कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल।

2—दिनांक 8/9 जनवरी, 1989 की रात्रि में एक छात्र श्री उदयवीर सिंह की मृत्यु।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालय में घटित घटनाओं की जांच करने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

श्री जयदीप सिंह बरार—

पन्त नगर विश्वविद्यालय के संबंध में क्या मंत्री जी को उन दो घटनाओं का, जिनका जिक्र किया, उस बारे में इस बात की जानकारी है कि पन्त नगर टीचर्स एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पास करके शासन और कुलपति महोदय को भेजा है जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि कुलपति महोदय के कौन-कौन से गलत कार्यों से और कहां-कहां उनके जिम्मेदारी न निभाने के कारण से विश्वविद्यालय का माहौल बिगड़ा है और उसी में यह भी उल्लेख है....

श्री विजय सिंह राणा—

यहां मेरा एक व्यवस्था का सवाल है कि कृषि विभाग में मंत्री और राज्य मन्त्री दोनों हैं किन्तु यहां पर कैबिनेट और राज्य मन्त्री इस महत्वपूर्ण प्रश्न के समय नहीं हैं, इन दोनों ने जान-बूझकर इस सदन की अवहेलना की है। इसमें आप अपनी व्यवस्था दें। जब कैबिनेट मंत्री भी हैं और राज्य मन्त्री भी हैं और इन सवालों के जवाब के लिए आज समय भी निर्धारित है तो इनका आज यहां उपस्थित न होना जानबूझ कर सदन की अवमानना करना है।

श्री अध्यक्ष—

यह रूलिंग दी जा चुकी है कि कैबिनेट सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर काम करता है। इसके अलावा इस बारे में लिखकर भी आ गया है कि इसका उत्तर वह दे देंगे।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, यह भी बता दें कि यह हर काम मिलकर, सामूहिक रूप से करते हैं या सिर्फ प्रश्नों का।

श्री मूल चन्द—

तो क्या एक मंत्री भ्रष्ट हो जायेगा तो कैबिनेट के सारे मंत्री भी भ्रष्ट हो जायेंगे।

श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि पंत नगर टीचर्स एसोसिएशन ने अपनी एक बैठक करके उसमें कुलपति के खिलाफ जो उनके गलत कार्य हैं और जहां उन्होंने जिम्मेदारियां नहीं निभाई हैं उनका उल्लेख करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है, उसमें कुल पति से आग्रह किया है आप बाइज्जत अपने पद से त्यागपत्र दे दें क्योंकि आप यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। क्या ऐसी जानकारी मंत्री जी के पास है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, शासन के संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह बताना मुनासिब समझूंगा कि शासन को या सरकार के किसी भी वाइस चांसलर को हटाने का अधिकार ही नहीं है। इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही हम नहीं कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र शर्मा—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस छात्र उदयवीर सिंह की हत्या हुई उस समय कुलपति महोदय विश्वविद्यालय में थे या नहीं?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, इसकी सूचना की आवश्यकता होगी।

( व्यवधान )

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, जितने प्रश्न किए जा रहे हैं यह उत्तर नहीं दे पा रहे हैं यह जवाब देने में असमर्थ हैं, तो आप कैबिनेट मंत्री जी से जवाब क्यों नहीं दिलवा रहे हैं।

( व्यवधान )

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, जब एक सवाल आ गया है और आपकी पीठ से स्वीकृत हुआ है, तो माननीय मन्त्री जी को इसका उत्तर देना अनिवार्य है चाहे वह उसका उत्तर कुछ भी दें।

( व्यवधान )

श्री अध्यक्ष—

उत्तर तो इन्होंने दे दिया कि सूचना की आवश्यकता है।

( व्यवधान )

मंत्री जी आपने क्या उत्तर दिया ?

( व्यवधान )

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, जिस दिन छात्र उदयवीर सिंह की मृत्यु हुई उस दिन कुलपति महोदय उपस्थित थे या नहीं यह प्रश्न पूछा गया था। इस बारे में मैंने कहा कि सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

( व्यवधान )

श्री सरदार सिंह—

इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

( व्यवधान )

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

हर साल यहां मान्यवर, कोई न कोई आन्दोलन होता है। ...

( घोर व्यवधान )

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर मैं बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में एक घंटे की चर्चा भी रखी हुई है, तो इसको स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं है। चर्चा के समय हम पूरी जानकारी दे देंगे।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जब चर्चा लगी है तो क्या परेशानी है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय अव्यवस्था में बदल गया है। वहां पर आये दिन बंद, प्रदर्शन और अनशन हो रहे हैं। वहां पर जो भ्रष्टाचार और घपले हैं उनकी कल्पना नहीं की जा सकती है। वहां की टीचर्स यूनियन ने स्पष्ट आरोप कुलपति के खिलाफ लगाए हैं। कभी वहां पूरब का सवाल उठता है कभी पश्चिम का, कभी पहाड़ का सवाल उठता है। तो इस तामम चीजों का ध्यान रखते हुए क्या माननीय मंत्री जी सारी चीजों की जांच एक उच्चस्तरीय कमेटी से करायेंगे और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करेंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, पंत नगर विश्वविद्यालय में जो घटनायें हुई हैं उनकी जांच के लिए जिससे आगे विश्वविद्यालय का कार्य ठीक और सुचारु रूप से चले माननीय मुख्य मंत्री जी ने 10 फरवरी को सी0 बी0 आई0 की जांच के लिए लिखा है ताकि इन घटनाओं की जांच हो सके।

( अनेक माननीय सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

सी0 बी0 आई0 की इन्क्वायरी लगी हुई है चर्चा लगी हुई है, आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं।

श्री जयदीप सिंह बरार--

सी0 बी0 आई0 की जांच किसी घटना विशेष के सम्बन्ध में लगी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

छात्रों की पढ़ाई बन्द हो गई है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

चर्चा लगी हुई है आप उस वक्त कह सकते हैं।

*3--श्री बलराज यादव--

[ न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1--श्री विजय सिंह राणा--

[6 वें गुरुवार के लिए स्थगित]

[ बृहस्पतिवार, दिनांक 2 मार्च, 1989 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न ]

## उ0 प्र0 के औषधि नियंत्रक द्वारा जन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक औषधियों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाना

*1—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 के औषधि नियंत्रक ने डेक्सट्रोज आई0 पी0 बी0 नं0 7 ए, 908 बी0 6 बी0 नं0 180 ए, सोडियम क्लोराइड एवं डेक्सट्रोज इन्जेक्शन आई0 बी0 पी0 नं0 6 बी0-904 बी0 एम0 6 बी0-267 बी0 यूनिमेजोज आई0 बी0 पी0 नं0 जी0 6379 एनालजीन टेबलेट आई0 पी0 बी0 नं0 टी0-694 टी0-670 आदि अनेक औषधियों को खतरनाक घोषित किया है ? यदि हां, तो क्या खतरनाक घोषित की गई दवाइयों की बिक्री पर पाबन्दी लगा दी गई है ? क्या सरकार की जानकारी में है कि जन स्वास्थ्य को खतरा बनी यह दवाइयां अब भी बिक रही हैं ? यदि हां, तो पूरे प्रकरण पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री—(श्री बिहारी लाल दोहरे)

प्रश्नगत औषधियां नमूनों के आधार पर निम्न स्तरीय अथवा अधोमानक पाई गई ।

इन औषधियों के सरकारी अस्पतालों में प्रयोग पर तथा विक्रय पर पाबन्दी लगा दी गई है ।

इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं । औषधि नियन्त्रक को निदेश दिए गए हैं कि बिक्री पर लगी पाबन्दी का अनुपालन सुनिश्चित कराएं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(शोर के मध्य माननीय मंत्री जी ने उत्तर पढ़ा)

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं जानना चाहता हूं....

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

अगर आप लोग ऐसा ही करेंगे तो मजबूरन प्रश्नों के समय तक सदन को स्थगित करना पड़ेगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं, सी0 बी0 आई0 की जांच किसी एक घटना विशेष के बारे में लगी है ।

(शोर—व्यवधान)

(तारांकित प्रश्न संख्या 2 पुकारे जाने पर व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 15 मार्च, 1988 को रिकवरी आदेश जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया, तो अब तक वसूली की क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

सदन का समय जो है, वह आप ही के लिए महत्वपूर्ण है ।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित—

मान्यवर, सदन को व्यवस्थित कीजिए ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है....

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, जो मामला मैंने उठाया....

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, पहले सदन व्यवस्थित कर लीजिए, उसके बाद प्रश्नोत्तर हो ।

श्री अध्यक्ष—

सदन को व्यवस्थित करने के लिए मैं आपका सहयोग चाहूंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, जो बरार जी कह रहे हैं, उसको आप पहले सुन लीजिए ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, हम पूरा सहयोग देना चाहते हैं । यह प्रश्नोत्तर काल हमारा समय है, हम जानबूझकर समय नष्ट नहीं करना चाहते हैं । पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के बारे में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आया इधर और उधर के सभी माननीय सदस्य अपनी उत्सुकता जाहिर कर रहे थे । यह आपका पूरा अधिकार है कि आप जिस प्रश्न पर जितना समय देना चाहें, वह दें । मान्यवर, पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय बन्द है । आज तक उस विश्वविद्यालय को खुलवाने के क्या प्रयास किए गए ? उस विश्वविद्यालय को खुलवाने के लिए सभी माननीय सदस्यों को

उस विषय पर प्रकाश डालना है। पूरे अन्तरोल विश्वविद्यालय में जो परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, उस पर सभी माननीय सदस्य प्रकाश डालना चाहते हैं। मान्यवर, आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर लें। माननीय बरार जो खड़े हैं। मान्यवर, हमारा आपसे निवेदन है कि आप 3-4 सवाल एलाऊ कर दें, सदन शांतिपूर्वक चलेगा, यह मैं बार-बार आश्वासन देता हूं। हमारी उदारता को हमारी कमजोरी न समझें। मान्यवर, हमारी उदारता को हमारी कमजोरी समझ कर हमारे हथियार को काटने का प्रयास किया जायगा, तो यह मान्यवर, बरदाश्त नहीं किया जायगा।

श्री अध्यक्ष--

इस पर चर्चा भी लगी हुई है और सी0 बी0 आई0 की इन्क्वायरी भी हो रही है।

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सी0 बी0 आई0 की जांच विश्वविद्यालय को खुलवाने के सम्बन्ध में दे दी गयी है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इसमें चर्चा लगी हुई है, उसमें आपको जो कुछ कहना हो, वह कहियेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या विश्वविद्यालय को खुलवाने का काम भी सी0 बी0 आई0 वाले करेंगे यह सरकार इतनी पंगु हो गयी है ? विश्वविद्यालय को खुलवाने का काम मन्त्री जी को करना चाहिए। यह बड़ा भारी मुद्दा है जिसकी जिज्ञासा सबकी है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, मैंने हृदय नरायन दीक्षित जी का नाम पुकारा है

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र देव--

मान्यवर, इसको कार्यवाही से निकलवायें।

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

मान्यवर, मैं पूछ तो रहा हूं लेकिन यह लोग बैठें तो।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मान्यवर, यह जो औषधियां निम्न स्तर की पाई गयी हैं इनमें से कौन सी औषधियां हानिकारक हैं ? मान्यवर, जिस प्रकार से विदेशों में मेट्रोनीडेजोल और एनालजोन आदि औषधियां प्रतिबन्धित कर दी गयी हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानकर उसी तरह से आप इन औषधियों को प्रदेश में प्रतिबन्धित करने की योजना बना रहे हैं और जो हानिकारक औषधियां पकड़ी गयी, उनको आपने नष्ट करवा दिया ?

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)—

मान्यवर, जिन दवाओं की शिकायत की गयी थी उनको बाजार में बिक्री करने से रोक दिया गया है और जिन फर्मों के फार्मूले के अनुसार दवा बनायी गयी थी उनके खिलाफ नोटिस दी गयी है ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मान्यवर, मैंने पूछा था कि जो हानिकारक औषधियां मिली थीं वह नष्ट की गयी या नहीं और दूसरा प्रश्न है कि जैसे विदेशों में मेट्रोनीडेजोल और एनालजोन आदि औषधियां प्रतिबन्धित कर दी गयी हैं उसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार भी इन औषधियों को क्या प्रतिबन्धित करने का प्रयास कर रहा है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

मान्यवर, औषधियों के निर्माण के बारे में एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अनुसार ही औषधियां बनाई जाती हैं । जहां कहीं भी इस प्रकार की शिकायत मिलती है उसकी जांच होती है और ड्रग इन्सपेक्टर इस काम के लिए नियुक्त किये गये हैं ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मान्यवर, एक तो शोर के कारण सुनाई नहीं दे रहा है और दूसरे माननीय मंत्री जी सही उत्तर नहीं दे रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, विश्वविद्यालय बन्द पड़ा है इसलिए सरकार की इस नीति के खिलाफ मैं वाकआउट करता हूं ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मान्यवर, आप गलत उत्तर दिलवा रहे हैं इसलिए मैं भी सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं भी सरकार की इस नीति के खिलाफ सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री हृदय नरायन दीक्षित, श्री जयदीप सिंह बरार व कुछ अन्य विपक्षी माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

(प्रश्न संख्या–2 पुकारे जाने पर व्यवधान)

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, पन्तनगर विश्वविद्यालय के उपेक्षा का दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है, इसलिए मैं सदन से बहिष्कार करता हूं ।

(श्री राम शरण दास अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

## किसान कोल्ड स्टोरेज बांसडीह के विरुद्ध आर० ई० सी० का जारी न करने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

*2—श्री मैनेजर सिंह—

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि किसान कोल्ड स्टोरेज बांसडीह रोड जनपद बलिया के विरुद्ध आर० ई० सी० जारी करने का आदेश जिलाधिकारी को बारम्बार शासन द्वारा पिछले महीनों में दिया गया किन्तु जिलाधिकारी बलिया ने कोई कार्यवाही नहीं की ? यदि हां, तो उक्त जिलाधिकारी के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही करने जा रहा है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

जी नहीं ।

500 भण्डारण कर्ताओं के क्षतिग्रस्त आलू के प्रतिकर की वसूली हेतु लाइसेंसिंग अधिकारी (जिला अधिकारी, बलिया) द्वारा दिनांक 15 मार्च, 1988 को आर० सी० जारी की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 15 मार्च, 1988 को रिकवरी के आदेश जिलाधिकारी ने जारी किये, तो अब तक वसूली क्यों नहीं की गयी ? रिकवरी क्यों नहीं हो रही है और क्यों कोल्ड स्टोरेज के मालिकों से मिल कर वसूली में व्यवधान डाला जा रहा है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, ऐसी बात नहीं है । दिनांक 15 मार्च, 1988 को आर० सी० जारी किया गया, 13 फरवरी, 1989 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और इसी 28 फरवरी, 1989 को कुर्की के आदेश भी जारी कर दिये गये । इस तरह से यह कहना सत्य से परे है कि जिला प्रशासन या किसी की मिली भगत से शीतगृह मालिकों से मिले हैं । वसूली करने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 9 माह के बाद आपकी सरकार ने कुर्की के आदेश दिये हैं क्या फिर 9 माह लगेगा या यह काम समय के अन्दर करने के लिये कोई निर्णय लेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर जिला प्रशासन ने नोटिफिकेशन जारी किया उसके बाद भी वसूली नहीं होगी तो उसके बाद कुर्की वारन्ट जारी किया । हमारा प्रयास होगा कि शीघ्र से शीघ्र वसूली की जाय शीतगृह मालिकों से ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डे--

मान्यवर यह प्रश्न हमारे क्षेत्र से सम्बन्धित है । वर्ष 1985 में पहली बार यहां आने पर मैंने यह प्रश्न उठाया था कि किसानों का 38 हजार क्विंटल आलू कोल्ड स्टोरेज में सड़ गया । यह सरकार किसानों की हामी भरती है, 1985 से आज 1989, 4 साल हो गये बार-बार सदन में कहते हैं लेकिन आज तक किसानों को क्षतिपूर्ति नहीं करा पाए । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य में ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि इस प्रकार का मामला आने पर उसका निराकरण 6 माह के अन्दर कर सके ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, कानून में सदैव व्यवस्था रही है, फिर भी व्यवस्था की जा रही है । अब भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि रिकवरी हो जाय और किसानों के बकाये का भुगतान हो जाना सुनिश्चित हो जाय । किसानों को क्षतिपूर्ति दिया जाना सुनिश्चित करेंगे । उनका मुआवजा उनको मिलेगा ।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब उस कोल्ड स्टोरेज को बीमा कम्पनी ने पूरा पैसा दे दिया, क्या यह सही है कि कोल्ड स्टोरेज के मालिकों को जिन लोगों का भुगतान देना था, उनको न देकर फर्जी नामों की सूची यहां भेज दी है । क्या इसकी जांच कराकर उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, शीतगृह मालिकों को 3 लाख 51 हजार रुपया बीमा कम्पनी से मिला, जो हमें सूचना प्रेषित की गयी 151 लोगों की, उसमें यह बताया गया कि 3.51 लाख रुपया उन्होंने किसानों को वितरित कर दिया है । सम्मानित सदस्य का कहना है कि 151 लोगों की सूची फर्जी है तो उसकी जांच करा लेंगे और उसकी व्यवस्था करेंगे ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, जो किसानों का आलू सड़ गया था, वह 38 हजार क्विंटल आलू था, वह लगभग 20 लाख रुपये का आलू था, लेकिन केवल तीन लाख रुपये के भुगतान की व्यवस्था की गयी है । मेरा आपसे कहना है कि जिन लोगों का आलू सड़ा, उन लोगों को भुगतान न करके कुछ अन्य लोगों को भुगतान करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, इसकी जांच करायेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश के कितने ऐसे कोल्ड स्टोरेज हैं जिनमें आलू उपभोक्ताओं ने आलू का बीमा करा रखा है और आलू सड़ गया है ? कितने ऐसे कोल्ड स्टोरेज का बकाया है ? मेरी निश्चित जानकारी है कि जिन कोल्ड स्टोरेज में आलू सड़ गया जिन आलू उत्पादकों का आलू जमा था, उनका पैसा भुगतान नहीं किया गया । यह बता दें कि कितने कोल्ड स्टोरेज में आलू सड़

गया ? कितने स्टोरेज में सड़े हुए आलू का प्रभावित प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—

यह बहुत व्यापक सवाल है । आप बैठें । मैं अगला प्रश्न लेता हूं ।

*3—श्री जयदीप सिंह बरार—

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में तेल के उत्पादन को बढ़ाने हेतु किसानों को अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध कराना

*4—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरसों के तेल का उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों को अच्छे किस्म के सरसों आदि के बीज उपलब्ध कराने हेतु कोई कार्यक्रम बनाया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या इसके लिए कोई योजना बनायी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

जी हां । प्रदेश में सरसों के तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरसों तथा तोरिया की उन्नतशील प्रजाति के प्रमाणित बीज राष्ट्रीय तिलहन विकास एवं तिलहन उत्पादन, ग्रस्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों को उपलब्ध कराये गये हैं । विवरण निम्नवत् है :—

| | रु0 |
|---|---|
| (1) प्रमाणित बीज उत्पादन पर अनुदान | 150 प्रति कुन्तल |
| (2) प्रमाणित बीज क्रय पर अनुदान | 2 00 प्रति कुन्तल |

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री यसुरेन्द्र सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय तिलहन विकास एवं तिलहन उत्पादन ग्रस्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत किन एजेन्सियों द्वारा गांव वासियों को यह छूट का कार्यक्रम दिया जा रहा है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, नेशनल सीड कारपोरेशन, तराई डेवलपमेन्ट कारपोरेशन इन एजेन्सियों के माध्यम से प्रमाणित बीजों का वितरण करते हैं । सरकारी बीज भंडार, कृषि बीज भंडार हैं; जिनके माध्यम से इन प्रमाणित बीजों का वितरण कराते हैं ।

श्री सुरेन्द्र सिंह—

मान्यवर मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं । किसी गांव में किसी ब्लाक में इस तरह की छूट किसानों को नहीं मिली है बिचौलियों को मिल गयी हो तो बात अलग है । यह बतायें कि गांव स्तर पर किन एजेन्सियों के माध्यम से कराते हैं ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर सम्मानित सदस्य ने गाजीपुर के संदर्भ में पूछा है यह स्कीम गाजीपुर में प्रभावी नहीं है । अन्य जनपद हैं जो इस स्कीम में आते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि यह स्कीम कुछ जिलों में है तो यह किन जनपदों में लागू है ? दूसरे सभी काश्तकारों को यह सुविधा मिलनी है या काश्तकार के किसी वर्ग विशेष को यह सुविधा दी जानी है ? हमारे यहां न किसी काश्तकार को छूट मिल रही है और न कोई एजेन्सी छूट का वितरण कर रही है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर यह स्कीम प्रदेश के 24 जनपदों में चल रही है ।

(व्यवधान)]

श्री किरनपाल सिंह--

आप सूची बता दें कि किन-किन जनपदों में है । बुलन्दशहर में है या नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया । मेरा प्रश्न था कि सभी काश्तकारों को यह सुविधा उपलब्ध है या किसी वर्ग विशेष के काश्तकारों को ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर कई सवाल प्रस्तुत हो गये हैं । एक सम्मानित साथी ने कहा कि उन जनपदों के नाम बताइये जहां-जहां लागू है । सम्मानित गुप्त जी ने पूछा कि कहां और किन लोगों को करते हैं किस प्रकार के लोगों को इसका वितरण करते हैं । माननीय गुप्त जी को पहले संतुष्ट करना आवश्यक है । मान्यवर माननीय गुप्त जी के जिले सीतापुर में यह स्कीम है । मान्यवर, आप मुझे आज्ञा दें तो मैं यह सूची पढ़ दूं सभी जनपदों की या सम्मानित साथी जो इसमें जिज्ञासा रखते हैं अलग से मुझसे मिल लें मैं उन्हें बता दूंगा । जहां तक गुप्त जी के दूसरे प्रश्न का सवाल है ऐसी कोई बात नहीं है किसी वर्ग विशेष के लोगों के नहीं है । जो खेती करते हैं जिनके यहां खेती होती है वह सुविधा लेते हैं । मिसाल के तौर पर गाजीपुर जनपद में यह स्कीम नहीं है । यह स्कीम वहां इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे सम्मानित साथी के यहां अफीम की खेती का बहुत शौक है । इनके यहां चावल की स्कीम है और वहां इसके लिये उन्नतिशील बीज मिलते हैं । जहां पर जिस चीज की फसल होती है वहां वह चीज उपलब्ध कराई जाती है । जैसे पश्चिम में बुलन्दशहर से लेकर अलीगढ़, आगरा, मथुरा हैं, वहां गेहूं की अच्छी खेती होती है और वहां गेहूं के अच्छे बीज उपलब्ध कराये जाते हैं इसी तरह से जहां चावल की अच्छी खेती होती है, वहां चावल के बीज उपलब्ध कराये जाते हैं । जहां जो फसलें होती हैं और लोग रुचि रखते हैं, उन एरियाज को चुना जाता है, यही इसका मानक है और इसी के आधार पर जिलों का चयन हुआ है, किसानों का चयन हुआ है, जो खेती हैं ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से यह पूछा गया था कि वह 24 जिले कौन-कौन से हैं, जहां इस प्रकार की सुविधा दी जाती है । मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि सीतापुर भी है । मैं जानना चाहता हूं कि सीतापुर के अलावा 23 अन्य जिले कौन-कौन

से हैं, जहां यह योजना चल रही है । दूसरी बात यह कि यह योजना का लाभ किस स्तर के किसानों को देते हैं । माननीय मंत्री जी ने इन प्रश्नों का उत्तर न देकर बेकार ही 15 मिनट का समय ले लिया । कृपया इन दोनों प्रश्नों के सम्बन्ध में उत्तर दिलवा दें ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, यह जिले हैं सहारनपुर, मिर्जापुर, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, मुरादाबाद, बिजनौर, कानपुर, कानपुर देहात, ललितपुर, जालौन, वाराणसी, जौनपुर गाजियाबाद, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, लखीमपुर खीरी ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर) --

मान्यवर, गाजीपुर जनपद में यह योजना नहीं है । लेकिन जिन स्थानों पर यह इस योजना को चलाते हैं, वहां लघु और सीमान्त किसानों को इसका लाभ देते हैं या अलग से कोई कार्यक्रम चलाते हैं, यह बता दें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, मैं सम्मानित सदन की जानकारी बढ़ा दूं कि भारत सरकार द्वारा इसका चयन किया जाता है ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, बहुत से जनपदों का नाम यहां गिनाया गया है, क्या इसी सूची में गोण्डा जनपद का नाम भी सम्मिलित करने की कृपा करेंगे ? दूसरी बात मंत्री जी ने जो चावल के बीज की कही, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह चावल का बीज क्या होता है, मुझे भी अवगत करा दें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, मैंने अभी निवेदन किया कि भारत सरकार द्वारा जिलों का चयन किया जाता है । हम यह संस्तुति करने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने जो बात कही है, वह भी हो जाय ।

श्री किरन पाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया है कि 24 जिलों का चयन किया गया है । मान्यवर, मेरे जिले में सरसों की खूब पैदावार होती है, इसके अलावा गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़ और बुलन्दशहर में भी सरसों खूब पैदा होती है । मैं जानना चाहता हूं कि इस योजना में बुलन्दशहर को शामिल न करने का क्या आधार है और यदि यह किसी वजह से छूट गया है, तो क्या बुलन्दशहर को भी शामिल करवाने के लिये आप भारत सरकार से इसके लिये अनुशंसा करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, हम उसमें रिकमन्डेशन दे सकते हैं, वह हम कर देंगे ।

*5--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

## किसानों को सस्ती दर पर प्रमाणित बीजों को उपलब्ध कराया जाना

*6—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमाणित बीजों का दाम सरकारी भण्डारों पर बाजार भाव में बहुत अधिक होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार बीज के महत्व को देखते हुए किसानों को सस्ती दर पर प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने की कृपा करेगी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

सरकारी भण्डारों पर प्रमाणित बीजों के भाव बाजार में बिकने वाले प्रमाणित बीजों के भाव से कम होते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र शर्मा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कृषि विभाग के जो सरकारी फार्म हैं, उनके बीज का विक्रय मूल्य क्या है तथा जो एन0 एस0 सी0 व टी0 डी0 सी0 बेचते हैं, उनका विक्रय मूल्य क्या है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर धान ग्रेड-1-एन0 एस0 सी0 430 रुपये में बेचता है, टी0 डी0 सी0 425 रुपये में बेचता है और सरकारी भण्डारण 385 है, धान ग्रेड-2-एन0 एस0 सी0 425 रुपये, टी0 डी0 सी0 405 रुपये तथा सरकारी भण्डारण 385 रुपये, मक्का एन0 एस0 सी0 700 रुपये, टी0 डी0 सी0 690 रुपये, सरकारी भण्डारण 385 रुपये, ज्वार एन0 एसी0 सी0 950 रुपये और सरकारी भण्डारण 320 रुपये, बाजरा एन0 एस0 सी0 800 रुपये सरकारी भण्डारण 355 रुपये, मूंग एन0 एस0 सी0 1400 रुपये, टी0 डी0 सी0 1100 रुपये और सरकारी भण्डारण 750 रुपये, अरहर एन0 एस0 सी0 1300 रुपये, टी0 डी0 सी0 1320 रुपये और सरकारी भण्डारण 800 रुपये, मूंगफली एन0 एस0 सी0 1500 रुपये, टी0 डी0 सी0 1200 रुपये और सरकारी भण्डारण 1005 रुपये हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बीजों के जो दाम पढ़े उसी के संदर्भ में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आपके ये एजेन्ट हैं या डीलर हैं, ये बीज तो पैदा नहीं करते, लेकिन बहुत ज्यादा कीमत पर बेचते हैं । एन0 एस0 सी0 के बीजों की कीमत सबसे ज्यादा होने के क्या कारण हैं, उसके बाद जो आपका तराई बीज निगम है, यह भी पैदा नहीं करता, किन्तु इसके दाम थोड़े से कम होते हैं और जो आपका सरकारी भण्डारण है, उसके दाम सबसे कम हैं, जब कि वह स्वयं पैदा करता है, इसके क्या कारण हैं । दूसरा, आपका कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या आता है, इसकी आप विवेचना करायेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, इसकी सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैंने पूछा कि जो आपका राष्ट्रीय बीज निगम है, वह सबसे ज्यादा कीमत पर बेचता है, तराई बीज निगम की कीमत उससे थोड़ी कम है और जो आपके सरकारी फार्म हैं, उनकी कीमत सबसे कम है, ऐसा क्यों ? दूसरा, क्या माननीय मंत्री जी राष्ट्रीय बीज निगम की कीमत को कृषि फार्मों के बीजों की कीमत के समकक्ष लाने हेतु सरकार को संस्तुति करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, राष्ट्रीय बीज निगम का सम्बन्ध तो उत्तर प्रदेश सरकार से है नहीं, यह तो भारत सरकार से सम्बन्धित है ।

श्री कौशिक रमा शंकर--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पहले उत्तर प्रदेश शासन की व्यवस्था थी कि नेशनल सीड कारपोरेशन से और दूसरी जगहों से जो बीज मंगाया जाता था, वह सीधे ही उन एजेन्सियों पर चला जाता था, जहां से काश्तकार को मिलता था लेकिन अब सरकार ने व्यवस्था यह कर दी है कि पहले बीज तराई निगम के पास जाकर जमा होता है । क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इस प्रकार तराई निगम के पास बीज के जमा होकर बंटवारा होने से दुगनी कीमत हो जाती है ? यदि हां, तो क्या इस व्यवस्था को छोड़कर पूर्व की व्यवस्था लागू करने की कृपा करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

इसको दिखवा लेंगे ।

श्री राजेन्द्र शर्मा--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि प्रदेश के कितने प्रतिशत किसान ऐसे हैं जो प्रमाणित बीज का उपयोग करते हैं ?

(माननीय मन्त्री जी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सरकारी फार्म हैं, जहां किस्म-किस्म के बीज पैदा किये जाते हैं, उनके भाव में और तराई बीज निगम के भाव में, जो आपके नियंत्रण में है, बहुत समानता है, इसको रोकने के लिये क्या कोई उपाय करेंगे ? जो सरकारी तौर पर बीज पैदा होते हैं उसके अनुकूल ही तराई बीज निगम को मिलता रहे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

इसका परीक्षण करा लेंगे ।

## परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य चिकित्सा कल्याण कर्मचारी एवं राज्य कर्मचारियों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का औचित्य

*श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिवार कल्याण कार्यक्रम एक स्वैच्छिक कार्यक्रम होने के बावजूद भी स्वास्थ्य चिकित्सा परिवार कल्याण कर्मचारियों

के साथ-साथ अन्य राज्य कर्मचारियों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का औचित्य क्या है ?

श्री बिहारी लाल दोहरे--

परिवार कल्याण कार्यक्रम एक अत्यन्त महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है। त्वरित गति से विकास एवं राष्ट्र हित में परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी विभागीय तथा अन्य विभागों के भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अपेक्षित सहयोग लिया जाना सर्वथा उचित है। इससे कार्यक्रम की स्वैच्छिक प्रकृति प्रभावित नहीं होती।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, परिवार कल्याण कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबन्दी अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाता है। एक कार्यक्रम के लिए शासन की ओर से दो तरह की नीतियां चलती हैं। चिकित्सा और परिवार कल्याण जो कर्मचारी हैं, उनके लिये एक नीति है और जो दूसरे विभागों के जरिये से नसबन्दी अभियान चलाया जाता है, उसके लिये दूसरी नीति है। क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो दूसरे विभागों के द्वारा नसबन्दी अभियान चलाया जाता है, उसमें प्रलोभन की नीति अपनायी जाती है, उसके कारण जो चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग के कर्मचारी हैं, उनको उतने केसेज नहीं मिल पाते हैं, जितने कि प्रलोभन देकर नसबन्दी कराने वालों को मिल जाते हैं, फिर इस कारण से चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग के कर्मचारियों को दन्डित करने का क्या औचित्य है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने स्वयं कहा है कि परिवार कल्याण एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इसको सफल बनाने के लिये न केवल स्वास्थ्य विभाग वरन् अन्य सभी विभागों से सहयोग लिया जाता है। अन्य सभी विभागों को इसके सम्बन्ध में लक्ष्य भी निर्धारित किये जाते हैं ताकि वे अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकें। लक्ष्य की पूर्ति न कर पाने पर किसी को दन्डित नहीं किया जाता है।

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मानीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी जो माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया है कि परिवार कल्याण एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जबकि और भी कार्य राष्ट्रीय कार्यक्रम ही हैं जैसे कि परगनाधिकारी मुकदमें करते हैं आदि-आदि, तो क्या और कार्यक्रम आपकी निगाह में कम महत्वपूर्ण हैं और परिवार कल्याण कार्यक्रम क्या अधिक महत्वपूर्ण है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर, राष्ट्रीय कार्यक्रम दूसरे भी हैं, लेकिन राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्राथमिकता की दृष्टि से परिवार कल्याण कार्यक्रम पहले प्राथमिकता की श्रेणी में आता है क्योंकि जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है उसमें यदि नियन्त्रण नहीं होगा तो हमारे सारे कार्यक्रम अपूर्ण रह जायेंगे। दूसरे राष्ट्रीय कार्यक्रमों का महत्व घट जायेगा इसलिये 50 प्रतिशत परिवार कल्याण कार्यक्रम की भागीदारी स्वास्थ्य विभाग पर है, यह भार उसने अपने ऊपर लिया है और 50 प्रतिशत की भागीदारी अन्य समस्त विभागों को वितरित की गयी है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम में सबका योगदान है तो क्या माननीय मन्त्री जी आपको यह भी जानकारी है कि जुडीशियल वर्क करने वाले जो अधिकारी हैं, उन पर भी आपने लक्ष्य का निर्धारण किया है जैसे कि चक सुधार के नाम पर पहले वे कहते हैं कि केस लेकर आओ और उसके बाद फैसला किया जाता है। तो क्या जो यह न्यायिक प्रक्रिया है और उसमें जो लगे हुये अधिकारी हैं, उनको आपने तो लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, उसको आप समाप्त करने पर विचार करेंगे जिससे कि लोगों को समुचित न्याय बिना अवरोध के सुलभ हो सके ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, जैसा कि मैंने अभी कहा है कि इसमें सभी विभागों की शेष 50 प्रतिशत की भागीदारी वितरित की गयी है। अभी जैसा कि हमारे सम्मानित सदस्य, माता प्रसाद जी ने अनुरोध किया है और भी तमाम सदस्यों ने अनुरोध किया है, मेरा कहना है कि कृपा करके सभी सम्मानित सदस्य भी इसमें सहयोग करें ताकि यह कार्यक्रम सुचारुरूप से चल सके।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि वे सब भी हमें सहयोग करें तो हम भी उनको सहयोग करेंगे। साथ ही माननीय मन्त्री जी क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि मन्त्रिमंडल के सभी सदस्य, जिसमें कि महिला सदस्य भी शामिल हैं, किन-किन लोगों ने नसबन्दी करायी है जिससे कि प्रदेश की जनता पर अच्छा असर पड़ सके ?

[इस समय 12 बजकर 2 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये]

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

मान्यवर, वैसे तो इसमें सूचना की आवश्यकता है कि सारे मन्त्रियों और सभी सदस्यों के सम्बन्ध में जानकारी हासिल कर लें। वैसे जहां हमारे मित्र राम शरण दास जी हों वहां इस प्रकार की नसबन्दी की आवश्यकता ही नहीं है।

[श्री उपाध्यक्ष द्वारा डाक्टर बंगाली सिंह का नाम पुकारे जाने पर श्री विजय सिंह राणा द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान]

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, मैं जानकारी चाहूंगा कि हमारे संसदीय कार्य मन्त्री, माननीय अम्मार रिजवी साहब जो हैं क्या उन्होंने नसबन्दी करायी है ? यह बताने का कष्ट करें ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि माननीय राम शरण दास जी से कि वे कृपया इतना कष्ट करें कि मेरे कक्ष में आ जाय और वहां से वे सन्तुष्ट होकर ही लौटेंगे।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष—

डाक्टर साहब की पसन्द बहुत अच्छी है ।

डाक्टर बंगाली सिंह—

मान्यवर, इस प्रश्न के सन्दर्भ में, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लाखों नसबन्दी फर्जी हुयी हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, प्रदेश में फर्जी नसबन्दियां न हों, चाहे लक्ष्य की पूर्ति हो या न हो । इस प्रकार से कड़े निर्देश हैं कि लक्ष्य यदि किन्हीं कारणों से पूरा न हो तो फर्जी नसबन्दियों से लक्ष्य पूरा न किया जाय । नसबन्दियों की जांच के लिये तीन व्यवस्थायें की गयी हैं, एक तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से मल्यांकन प्रभाग स्थापित किया गया है, भारत सरकार का क्षेत्रीय कार्यालय इसकी जांच करता है और जनसंख्या केन्द्र द्वारा इसकी जांच करायी जाती है ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा—

मेरी निश्चित जानकारी है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से गोपनीय आदेश जारी किये गये हैं कि उन्हीं हरिजनों को कालोनी दी जायेगी जो नसबन्दी करायेंगे । तो मैं चाहूंगा कि गांव का विकास इसी बात पर निर्भर होगा कि जो गांव सबसे ज्यादा नसबन्दी करायेगा उन्हीं को कालोनी दी जायेगी । तो क्या माननीय मन्त्री जी जो यह प्रतिबन्ध लगाया गया है उसको हटाने का कष्ट करेंगे कि चाहे हरिजनों की नसबन्दी न भी हो तो भी वहां पर कालोनी बनायी जायेगी ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

नसबन्दी के मामले में हरिजन और सवर्ण का कोई प्रतिबन्ध नहीं है । लक्ष्य दम्पत्ति का रजिस्टर बना हुआ है और लक्ष्य दम्पत्ति को नसबन्दी के आदेश हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, सारे प्रदेश में आपकी समान व्यवस्था होनी चाहिये । जो आपके आदेश हैं और निर्देश हैं उनकी अवहेलना की जा रही है गांव में जो जमीन का आवंटन किया जाता है वह इसी आधार पर किया जाता है कि जो नसबन्दी करायेगा उसी को जमीन का आवंटन किया जायेगा । इन आदेशों के फलस्वरूप जमीन आवंटन के लिये जो पात्र व्यक्ति होते हैं वह रह जाते हैं और जो अपात्र व्यक्ति होते हैं उनको जमीन मिल जाती है । इन्दिरा आवास और निर्बल वर्ग आवास जिन पात्र व्यक्तियों को मिलने चाहिये उनको नहीं मिल पा रहे हैं । मैं गोरखपुर का एक उदाहरण देना चाहता हूं । वहां पर घुघुली ब्लाक के मिर्जापुर पकरी गांव में 16 आवास आवंटित कर दिये गये हैं जब कि इस ब्लाक में कुल 24 ही इन्दिरा आवास हैं । यह आवास फर्जी नसबन्दी के आधार पर दे दिये गये हैं जिससे जो पात्र व्यक्ति हैं उनको नहीं मिल पाये हैं पूरे ब्लाक में 77 गांव हैं । यह सारे आवास एक ही गांव में दे दिये गये हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन दे देंगे कि जो लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया है वह बन्द की जायेगी तथा नसबन्दी का कार्य परिवार नियोजन विभाग के

माध्यम से ही कराया जायेगा। यदि इस विभाग का स्टाफ कम है तो उसको आप बढ़ावें लेकिन दूसरे विभागों से इस काम को न कराया जाय।

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

किसी जनपद में नियमों का उल्लंघन हुआ है, उसकी जानकारी सम्मानित सदस्य ओझा जी ने दी है मैं इसकी जांच करा लूंगा। अब तक विभागों को जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसको वापस लेने से कार्यक्रम सफल नहीं होगा। इसलिये उसे वापस लेना उचित नहीं है।

श्री अमर चन्द्र शर्मा--

मान्यवर, फर्जी नसबन्दी होती रही हैं, चाहे वह प्रकाश में आवें न आवें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या विभाग ने कोई ऐसी विद्वता प्राप्त कर ली है जिससे फर्जी नसबन्दी अपने आप बन्द हो जायेगी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मैंने यह नहीं कहा कि फर्जी नसबन्दी हो रही है। मैंने कहा कि कहीं अगर कोई अनियमित कार्य हो गया हो तो उसकी हम जांच करा लेंगे।

(व्यवधान)

(विरोध पक्ष के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)

श्री राम आसरे वर्मा--

यह मेरा सवाल है, कृपा करके अन्तिम सवाल पूछने की इजाजत दे दीजिये।

श्री पूरन सिंह माहरा--

यह नौजवानों का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न संख्या 8।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि मुझे एक अंतिम सवाल पूछने की आप इजाजत दे दें।

(व्यवधान)

श्री नेक चन्द पाण्डेय--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आपका इस प्रश्न पर ज्यादा इन्टरेस्ट हो तो आप चर्चा की मांग कर लीजिये।

एक सदस्य--

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

सवालों में व्यवस्था का सवाल नहीं उठाया जा सकता ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मैंने एक ही प्रश्न पूछा है । अंतिम सवाल पूछ लूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लिखकर भेज दीजिये । अब में आगे बढ़ गया ।

प्रदेश में पशु चिकित्सकों के रिक्त स्थानों पर पशु चिकित्सों की नियुक्ति

*8--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या पशुपालन मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में पशु चिकित्सकों के लगभग एक हजार स्थान रिक्त पड़े हैं तथा साथ ही इतने ही प्रशिक्षित पशु चिकित्सक बेरोजगार घूम रहे हैं ? यदि हां, तो रिक्त स्थानों पर पशु चिकित्सकों की कब तक नियुक्ति की जाने वाली है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध विकास, पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह--)

जी नहीं ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार विभाग में पशुचिकित्साधिकारी के 633 पद रिक्त हैं । पशुचिकित्सक के पद पर नियुक्ति हेतु अर्हता रखने वाले व्यक्तियों को सेवा योजित करने के उद्देश्य से उक्त पदों पर चयन के लिये लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है । आयोग द्वारा दिनांक 7 अगस्त, 1986 को विज्ञप्ति 306 पदों के सापेक्ष 686 अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र दिया उनमें से कुल 477 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिये बुलाये गये थे किन्तु केवल 344 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिये उपस्थित हुये । आयोग ने श्रेष्ठता क्रम में 230 अभ्यर्थियों के चयन की सूचना दिनांक 18 फरवरी, 1989 को दी है चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है ।

अवशेष पदों पर लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर नियुक्ति की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का उत्तर देख लें । सन् 86 से पहले से 633 पशु चिकित्सकों के पद रिक्त थे और सन् 36 से अध्याचन के जरिये लोक सेवा आयोग से अनुरोध कर रहे हैं । अब 89 हो गया । 3 वर्ष हो गये हैं और यह क्रांतिकारी सरकार की दिलचस्पी है इस विभाग में । इतने वर्षों से अभी तक नियुक्ति नहीं करा पाये हैं और किया तो केवल 230 अभ्यर्थियों का किया । दूसरी बात यह है कि इस सरकार ने पशुधन विकास को उचित बजट एलाट नहीं किया है इसीलिये यह नियुक्तियां नहीं की गई हैं । तीसरी बात यह कि जो 230 आदमियों की सूचना आपको मिल चुकी है तो क्या उनकी नियुक्ति कर दी गई है ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, जो चयनित हो गये हैं उनके बारे में सम्मानित सदस्य सभी जानते हैं कि उनकी नियुक्ति का कार्यक्रम चल रहा है उनका पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल आदि होने के बाद ही उन्हें रख लिया जायेगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि पिछले वर्ष इसी प्रश्न के जवाब में तत्कालीन पशुधन मंत्री श्री हुकुम सिंह जी ने यह कहा कि जब 500 से ऊपर पद रिक्त हों तो उन्हें तत्काल भरने की कार्यवाही की जायेगी । पब्लिक सर्विस कमीशन से पूरे पद भरे नहीं गये । तो जो पद अभी भी रिक्त हैं उन पर तत्काल एडहाक नियुक्ति करेंगे,

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, इस समय शासन में एडहाक नियुक्तियों पर अवरोध लगा हुआ है क्योंकि इतने ज्यादा पदों पर एडहाक नियुक्ति करने पर बाद में परेशानी होती है । आरम्भ में जो विभागीय तौर पर नियुक्तियां होती हैं बाद में लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्तियां होने पर उनको निकालने में कठिनाई होती है, व्यवहारिक भी है कि लम्बी सेवा करने के बाद अगर किसी को निकाला जाय तो कठिनाई होगी । हम प्रयास यह कर रहे हैं कि लोक सेवा आयोग से जल्दी से जल्दी रिक्तियां पूरी करा दी जायं ।

श्री मैनेजर सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि गत वर्ष भूतपूर्व पशुपालन मंत्री तथा आपके विभाग के सचिव ने तदर्थ नियुक्ति की कार्यवाही आरम्भ कर दी थी लेकिन ए0 पी0 सी0 ने आपत्ति कर उसे रोक दिया था जिसके कारण सैकड़ों अस्पताल डाक्टरों के बिना खाली पड़े हैं 230 के बाद अब इस समय 4 सौ 5 सौ अस्पताल खाली पड़े हैं । तो क्या उन पदों पर योग्यता क्रम में मथुरा और पंतनगर से निकले हुये डाक्टरों को लेकर तदर्थ नियुक्त करने पर विचार करेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो इच्छा व्यक्त की है और जो इच्छा पूर्व मंत्री जी की थी उसी परिप्रेक्ष्य में मेरी भी इच्छा जुड़ी है इस मामले में स्वतः मैंने भी प्रयास किया कैबिनेट के सामने इस विषय को लाया गया । लेकिन कैबिनेट में विचार विमर्श के बाद तय किया कि इतनी बड़ी संख्या में एडहाक नियुक्ति करना ठीक नहीं है । हां, इसमें त्वरित कार्यवाही की जाय और उसका प्रयास चल रहा है । इसमें एक कठिनाई यह है कि 76 पद अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिये हैं जो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं इनमें से एक भी टर्नअप नहीं हुआ । तो उनका कोटा भी पूरा नहीं हुआ इस प्रकार 76 पद तो यही हो गये 306 में से । आपकी बात सही है कि प्रदेश में अस्पतालों में पशुचिकित्सकों की कमी है प्रयास कर रहे हैं अगर लोक सेवा आयोग पूरा नहीं कर पायेगा तो फिर इस बात पर पुनर्विचार करेंगे ।

## जनपद आगरा में मलेरिया रोग की रोक थाम

*9—श्री बदन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा में मलेरिया रोग की रोक-थाम के लिये मच्छर मार डी0 डी0 टी0 आदि दवाइयों का छिड़काव बेअसर होने पर

जनपद आगरा में मलेरिया व हैजा आदि बीमारियों से माह जुलाई व अगस्त, 1988 में सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं ? यदि हां, तो उक्त रोगों से होने वाली मौतों को रोकने के लिये कोई अन्य प्रभावी कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री बिहारी लाल दोहरे--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में "जी नहीं" कह कर अपना पीछा छुड़ा लिया । केवल अपना पीछा ही नहीं छुड़ाया बल्कि आगरा जिला के ब्लाक स्तर की डिस्पेंसरी के डाक्टरों को बचाने, जिला स्तर के अस्पतालों के डाक्टरों को बचाने तथा उच्च स्तर के अस्पतालों के डाक्टरों को बचाने के लिये यह असत्य उत्तर यहां पर दिया है । मेरी निश्चित जानकारी है कि जुलाई, अगस्त 88 के दो महीनों में सैकड़ों मृत्यु हुईं । पहले तो वहां डी0 डी0 टी0 का छिड़काव नहीं हुआ और बाद में जो छिड़काव हुआ भी वह इतना बेअसर था कि उसका मच्छरों पर कोई असर नहीं हुआ । तो आगरा जनपद में विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर और जिला अस्पतालों पर कितना गैमेक्सीन, डी0 डी0 टी0 आदि का छिड़काव किया गया । क्या वह इस बात का सत्यापन भी करायेंगे कि वह दवायें वहां छिड़की भी गयी या नहीं ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर, माननीय सदस्य की इच्छा है कि दवायें छिड़की गयी या नहीं इसके सत्यापन की बात उन्होंने कही है यह भी जरूर करा लेंगे । जहां तक मृत्युओं के बारे में कहा गया कि हैजे और मलेरिया से मृत्यु हुई तो इसके कारण मौतें नहीं हुई इसकी जांच भी कराई गयी ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

गैस्ट्रोइंट्राइटिस के कारण 23 व्यक्ति बीमार हुये और उसमें 3 की मृत्यु हो गयी ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

## जनपद आगरा की तहसील फिरोजाबाद में जमुना नदी के कटाव को रोकने की योजना

*10--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की तहसील फिरोजाबाद में यमुना नदी के बढ़ते कटाव से कृषि योग्य भूमि के कटान के कारण उजड़ते ग्रामों को बसाने हेतु बांध बनाने, जमीन को चौरस करने आदि के लिये क्या सरकार फिरोजाबाद क्षेत्र के लिये अलग से भूमि समतलीकरण की इकाई स्थापित करेगी और इस कार्य का पूरा व्यय सरकार वहन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

नोट--तथी (घ) के तारांकित प्रश्न व उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

कृषि मंत्री (डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल)--

केन्द्र पोषित दस्यु प्रभावित क्षेत्र में बीहड़ सुधार की योजना के अन्तर्गत फिरोजाबाद जनपद में एक इकाई स्थापित की जा चुकी है जो कि बीहड़ सुधार के अन्तर्गत बांध निर्माण, समतलीकरण आदि कार्य निष्पादित करेगी ।

यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है जिसमें विभिन्न कार्य मदों जैसे कंटूर बंडिंग तथा समतलीकरण आदि पर विभिन्न श्रेणी के कृषकों को अलग-अलग अनुदान की दरें अनुमन्य हैं। अतः पूरा व्यय सरकार द्वारा वहन करना सम्भव नहीं है ।

## लखनऊ विश्वविद्यालय की सी० पी० एम० टी० परीक्षा के प्रश्नोत्तर की "की" प्रकाशित न किये जाने विषयक कार्यवाही

*11--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत वर्ष 88 में हुयी सी० पी० एम० टी० की परीक्षा का 5 नवम्बर, 1988 को परीक्षाफल घोषित कर दिया गया ? यदि हां, तो प्रश्नोत्तर की "की" (प्रश्नों का उत्तर) एक सप्ताह के अन्दर प्रकाशित न करने के लिए कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी जिम्मेदार हैं ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जी हां ।

कुंजी उत्तरों को एक सप्ताह के भीतर ही प्रकाशित किये जाने की कोई बाध्यता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

## प्रदेश में कृषि रक्षा निदेशालय की स्थापना का प्रस्ताव

*12--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कृषि रक्षा सम्बन्धी विभिन्न विभागों के कार्यों में एकरूपता और निश्चित दायित्व निर्धारण को ध्यान में रखकर स्वतंत्र रूप से कृषि रक्षा निदेशालय बनाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे कब गठित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि अलग कृषि रक्षा निदेशालय का गठन आवश्यक नहीं है ।

## प्रदेश में किसानों के लिए विशेष दुर्घटना बीमा योजना का लागू किया जाना

*13—श्री राज किशोर सिंह—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने किसानों व खेतिहर मजदूरों के लिये विशेष दुर्घटना बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा किसानों व खेतिहर मजदूरों के लिये विशेष दुर्घटना बीमा योजना लागू की गयी जिसके अन्तर्गत निम्नांकित रीति से दुर्घटना पर धन प्राप्त होने का प्राविधान है—

| स्थिति | प्राप्त होने वाला धन रु0 |
|---|---|
| (क) मृत्यु की स्थिति में | 15,000·00 |
| (ख) एक अंग (हाथ, पैर, टांग, भुजा, आंख) अकर्मण्य (कट) हो जाने पर | 6,000·00 |
| (ग) दो अंगों के अकर्मण्य हो जाने पर | 10,000·00 |
| (घ) अंगुली अथवा अंगुली के पूरा अथवा किसी हिस्से के कट जाने पर | 1,500·00 |
| (ङ) पूरी अंगुली कटने पर अधिकतम व्यय | 4,500·00 |

दुर्घटना होने पर क्षतिपूर्ति के लिये प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित मण्डी समिति में प्रस्तुत किया जायगा जो मण्डी परिषद् के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त/उत्तराधिकारी को इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित धन दिलायेगा ।

## जनपद बांदा के नरैनी ब्लाक में कृषि योग्य बीहड़ भूमि सुधार योजना

*14—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के नरैनी ब्लाक में रंज नदी तथा बार्गं नदी के मध्य तथा उनके किनारे की कृषि योग्य बीहड़ भूमि सुधार के लिए शासन द्वारा कोई योजना तैयार की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो वह क्या योजना है तथा कब से प्रारम्भ की जायेगी ?

डॉक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

जी नहीं ।

क्योंकि प्रश्नगत क्षेत्र वर्तमान चयनित जल समेट क्षेत्रों के बाहर है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

## जनपद जौनपुर के शाहगंज अस्पताल के अधीक्षक के विरुद्ध मामलों की जांच

*15—श्री दीप चन्द्र सोनकर—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने नियम 301 के अन्तर्गत 5 अक्तूबर, 1988 को जौनपुर (शाहगंज) अस्पताल के अधीक्षक के खिलाफ मामला उठाया था ? क्या उक्त प्रकरण की जांच कराई गई ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी नहीं ।

नियम 301 के अन्तर्गत जौनपुर (शाहगंज) अस्पताल के अधीक्षक के विरुद्ध मामला दिनांक 5 अक्तूबर, 1988 को नहीं वरन् 7 अक्तूबर, 1988 को उठाया गया था । मामले में जांच कराई गई व उत्तर माननीय सदस्य को दिनांक 2 फरवरी, 1989 को भेजा जा चुका है । जांच के आदेश दिनांक 13 अक्तूबर, 1988 को निर्गत किये गये थे ।

## जनपद मथुरा में परिवार नियोजन प्रोग्राम के लिए अलग सर्जन की नियुक्ति

*16—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि मथुरा जिला अस्पताल में एक ही सर्जन नियुक्त है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त सर्जन को ही पूरे जनपद में परिवार नियोजन कैम्पों में रोजाना मुख्यालय के बाहर जाना पड़ता है जिससे अस्पताल में भर्ती आपरेशन के मरीजों को कई-कई दिन तक उक्त सर्जन की प्रतीक्षा रहती है ? यदि हां, तो क्या शासन मथुरा अस्पताल में परिवार नियोजन प्रोग्राम के लिए अलग से एक सर्जन की नियुक्ति करने पर विचार करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां ।

जिला अस्पताल में शल्यक के पद पर एक अधिकारी कार्यरत है । जनपद के वरिष्ठतम शल्यक होने के कारण उनसे राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार कल्याण में नसबन्दी के कार्य में भी सहयोग लिया जाता है । वे प्रतिदिन नहीं अपितु केवल शिविर के दिन ही चिकित्सालय से बाहर रहते हैं । शिविर के दिनों के अतिरिक्त अन्य दिनों में वे चिकित्सालय में उपलब्ध रहते हैं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

*17—श्री सूर्य प्रताप शाही—

[14वें गुरु में ता0 प्र0 सं0 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ]

*18—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री विष्णु देव—

[दिनांक 9 फरवरी, 1989 को ता0 प्र0 सं0 9 द्वारा उत्तरित ]

## जनपद इलाहाबाद के तेग बहादुर सप्रू चिकित्सालय में कार्यरत प्रभारी चिकित्साधिकारी डा0 मीना खुराना का स्थानान्तरण

*19—श्री राकेश धर त्रिपाठी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तेग बहादुर सप्रू चिकित्सालय, इलाहाबाद में कार्यरत प्रभारी चिकित्साधिकारी डा0 मीना खुराना की शिकायतों के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3 अक्तूबर, 1988 संलग्नकों सहित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में वर्णित आरोपों की जांच कब और किस अधिकारी से कराई गई तथा जांच परिणाम क्या निकला ? क्या डा0 खुराना को अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती-पत्र पर किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराने के आदेश दिनांक 19 नवम्बर, 1988 द्वारा निदेशालय को जारी किये गये । जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है । डा0 मीना खुराना का स्थानान्तरण महिला चिकित्सालय, इलाहाबाद करने के आदेश निदेशालय द्वारा दिनांक 19 नवम्बर, 1988 को जारी किये गये थे । उक्त स्थानान्तरण रोकने अथवा न रोकने का विषय शासन के विचाराधीन है ।

## कृषि उत्पादन मण्डी समिति के धन से आगरा मण्डी समिति क्षेत्र में सड़कों का निर्माण

*20—श्री विजय सिंह राणा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति के धन से आगरा मण्डी समिति के क्षेत्र में वर्ष 1986-87 व 1987-88 में कुल कितनी सड़कें मिट्टी स्तर की, इण्टरकोट स्तर की व वेन्टिंग स्तर की बनाई गई हैं ? इस मण्डी समिति के क्षेत्र को उक्त अवधि में कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई ? वर्ष 1988-89 में कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

प्रश्नगत मण्डी समिति के धन से वर्ष 1986-87 में कोई सड़क निर्मित नहीं की गई । वर्ष 1987-88 में एक सड़क का इन्टरकोट स्तर का निर्माण कराया गया । उक्त अवधि में 10 लाख रु0 की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी । वर्ष 1988-89 में 15.75 लाख का प्राविधान है ।

### अतारांकित प्रश्न

## राजकीय कृषि बीज भण्डार छपिया, गोरखपुर में पैंतीस बोरे उर्वरक स्टाक की सैम्पलिंग किये जाने के विरुद्ध कतिपय शिकायतें एवं कार्यवाही की मांग

1—श्री विष्णु देव—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, अल्पसंख्यक सेल, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ई) यू0 पी0 सी0 सी0 का शिकायती-पत्र दिनांक 21 अप्रैल, 1987

कृषि मंत्री, कृषि सचिव, उत्तर प्रदेश व मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश तथा पत्र दिनांक 20 अगस्त, 1987 कृषि मंत्री, कृषि सचिव, मुख्य सचिव व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ को राजकीय कृषि बीज भण्डार छपिया (गोरखपुर) में पैंतीस बोरे उर्वरक स्टाक की सम्पाश्रिग, निदेशालय के किसी अधिकारी द्वारा कराने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गई ? यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

जी हां ।

उक्त शिकायती-पत्र प्राप्त होने के पूर्व ही प्रकरण की जांच कराई गई तथा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध दिनांक 14 नवम्बर, 1985 को अभियोग पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

## उ0 प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में आरक्षण का पूरा किया जाना

2—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विभिन्न वेतनमानों/ग्रेडों (साधारण) ग्रेड, सीनियर स्केल व स्पेशल ग्रेड में संयुक्त निदेशक, अपर निदेशक, निदेशक एवं महानिदेशक में पुरुष एवं महिला अधिकारियों के अलग-अलग कुल कितने पद दिनांक 30 सितम्बर, 1986 तक स्वीकृत थे एव इन स्वीकृत पदों के विरुद्ध श्रेणीवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग के अलग-अलग कितने अधिकारी किन-किन वेतनमान में कार्यरत थे ? क्या शासनादेशों के अनुसार इन वर्गों का प्रतिनिधित्व संवर्ग में पूर्ण था ? यदि नहीं, तो कोटा पूर्ण न होने के क्या कारण थे ? क्या सरकार नियमानुसार विशेष भर्ती करके इन वर्गों का कोटा पूर्ण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विभिन्न वेतनमानों में दिनांक 30 सितम्बर, 1986 तक पुरुष/महिला संवर्ग में सृजित पदों का विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है । उक्त स्वीकृति पदों के विरुद्ध श्रेणीवार एवं वेतनमान में कार्यरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष/महिला अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट "ख" में संलग्न है ।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वर्गों का प्रतिनिधित्व पूर्ण नहीं है । इसका कारण उपयुक्त अभ्यर्थियों का उपलब्ध न होना है । सीनियर ग्रेड पुरुष/महिला तथा उच्चतर वेतनमानों में पुरुष/महिला अधिकारियों की तैनाती शासन द्वारा गठित चयन समिति एवं निर्धारित नीति के आधार पर की जाती है । अतः विशेष भर्ती करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । पिछड़े वर्ग में आरक्षण की सुविधा शासन द्वारा समाप्त कर दी गई है। साधारण ग्रेड में नियुक्ति की भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है । शासन स्तर से आयोग को पदों को भरने हेतु अभियाचन भेजते समय आरक्षित पद इंगित कर दिये जाते हैं तथा रिक्ति न भरने की दशा में अमुक वर्ष की रिक्ति अगले तीन वर्षों तक अग्रनीत की जाती है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 137 पर )

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् में रजिस्ट्रार की नियुक्ति

3—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि रजिस्ट्रार, होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश का पद दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 से रिक्त चल रहा है ? यदि हां, तो रजिस्ट्रार पद पर कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां । कार्य संचालनार्थ व्यवस्था कर दी गई है । रजिस्ट्रार के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

मेडिकल कालेज झांसी में नये रोगी वाहनों का उपलब्ध कराया जाना

4—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री झांसी मेडिकल कालेज के पुराने पेट्रोल एवं डीजल चालित खस्ताहाल रोगी वाहनों के स्थान पर नये डीजल के रोगी वाहन उपलब्ध कराने के आदेश करेंगे ताकि मरीज उनका उपभोग कम खर्च में कर सकें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मेडिकल कालेज झांसी के पुराने खस्ताहाल रोगी वाहनों के स्थान पर नये डीजल चालित रोगी वाहन उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

5—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद हमीरपुर की तहसील राठ में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में चार शय्याओं का अस्पताल खोला जाना

6—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हमीरपुर, तहसील राठ, ग्राम पुरैनी के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के मरीजों की संख्या को देखते हुए चार शय्याओं का अस्पताल खोला जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना जिला योजना क्षेत्रान्तर्गत है । जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा धन उपलब्ध कराये जाने एवं चार शय्याओं के चिकित्सालय की स्थापना की संस्तुति/अनुमोदन प्राप्त होने पर ही स्वीकृति किया जाना सम्भव है ।

श्री जितेन्द्र शुक्ला, भूतपूर्व एकाउन्टेन्ट, जिला आलू विकास कार्यालय, फर्रुखाबाद द्वारा दुबारा शादी किये जाने पर उनकी पत्नी द्वारा की गई शिकायत

7—श्री सन्तोष चतुर्वेदी—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जितेन्द्र शुक्ला, भूतपूर्व एकाउन्टेन्ट, जिला आलू विकास कार्यालय, फर्रुखाबाद की पत्नी श्रीमती शीला शुक्ला ने श्री जितेन्द्र

शुक्ला के विरुद्ध दुबारा शादी किये जाने का आरोप लगाकर शिकायत की थी जिसकी विभागीय जांच जारी है। यदि हां, तो इसके पूर्ण न होने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी जांच शीघ्र पूर्ण करवा कर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

जी हां।

जांच अधिकारी द्वारा संबंधित कर्मचारी के बयान अभी तक न लिए जा सकने के कारण जांच पूर्ण नहीं हो सकी।

अतिशीघ्र जांच पूर्ण कराकर मामले में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

## ग्राम स्वास्थ्य केन्द्र बरौली, विकास खण्ड बंकी, जिला बाराबंकी के चिकित्सक के स्थानान्तरण से वहां की जनता में रोष

8—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड बंकी का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम बरौली में पिछले 25 वर्ष से अधिक समय से स्थापित है तथा वहां पर पर्याप्त इमारतें बनी हुई हैं ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि उक्त केन्द्र पर पिछले 10 दिनों से जनता द्वारा क्रमिक अनशन चलाया जा रहा है क्योंकि उप मुख्य चिकित्साधिकारी की शह पर वहां के कुछ कर्मचारी स्वास्थ्य केन्द्र न जा कर उप मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में कार्य कर रहे हैं तथा कर्मचारियों के दबाव में आकर वहां के जनप्रिय डाक्टरों का स्थानान्तरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो अनशन कितने दिनों से चल रहा है ? उनकी मुख्य मांगे क्या है तथा मांगे मानने में क्या अड़चने हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मामले में अपर निदेशक, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद से जांच करायी जा रही है।

## जनपद देवरिया के पथरदेवा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण

9—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति द्वारा वर्ष 88-89 के प्रस्तावित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण के प्रस्तावों को स्वीकृति शासन द्वारा अब तक नहीं प्रदान की गई है जिससे इस लक्ष्य की प्रगति शून्य है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? क्या यह सत्य है कि जनपद देवरिया में वर्ष 88-89 के जिला योजना के अन्तर्गत पथरदेवा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कार्य प्रस्तावित था जिस पर स्वास्थ्य महानिदेशालय ने सचिव, चिकित्सा अनुभाग-7 को अपने पत्र संख्या 1507/29-88-89, द्वारा 29 अप्रैल, 1988 को शासन से स्वीकृति मांगी थी ? क्या शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी नहीं ।

चालू वित्तीय वर्ष 1988-89 में 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण के आदेश जारी किये जा चुके हैं, जिनमें महानिदेशक के पत्र दिनांक 29 अप्रैल, 1988 के पत्र के साथ प्राप्त जनपद कानपुर देहात के डेरापुर तथा जनपद देवरिया के पथरदेवा के स्थान भी सम्मिलित हैं ।

## परिवहन अभियन्ताओं के विरुद्ध पाई गयी शिकायतों की जांच

10—श्री राज किशोर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि स्वास्थ्य सचिव द्वारा जून, 1986 में परिवह अभियन्ताओं के बारे में कोई जांच आदेश स्वास्थ्य निदेशक को दिये गये थे ? यदि हां, तो जांच में क्या अनियमितताएं पायी गयीं तथा दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

11—क्या मंत्री जी उक्त प्रश्न के क्रम में कृपया यह भी बतायेंगे कि विभागीय परिवहन अभियन्ताओं के विरुद्ध विधायक श्री विजय सिंह राणा का कोई पत्र दिनांक 29 मार्च, 1988 शासन एवं विभाग को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

12—क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विभागीय परिवहन अभियन्ताओं के वित्तीय अधिकार नियन्त्रण के बारे में विधायक श्री अर्जुन सिंह यादव व अन्य के पत्र दिनांक 3 जनवरी, 1989 एवं 9 अक्टूबर, 1988 आदि प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर जांच कराई जा रही है ।

## प्रोफेसर इन आर्गेनन आफ मेडिसन एण्ड होम्योपैथिक फिलासफी के पद के चयन में श्री राम आदर्श शर्मा एम0 एल0 सी0 के शिकायती-पत्र पर जांच

13—श्री राज किशोर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम आदर्श शर्मा एम0 एल0 सी0 का कोई शिकायती-पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 1988 माननीय मुख्य मन्त्री को प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रोफेसर इन आर्गेनन आफ मेडिसन एण्ड होम्योपैथिक फिलासफी के पद के चयन के सम्बन्ध में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत तथा मामले की सतर्कता से जांच कराने का अनुरोध किया था ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण पर जांच कराये जाने के आदेश जारी कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या प्राथमिकता के आधार पर निष्पक्ष सतर्कता जांच एवं चयनित व्यक्ति की नियुक्ति रोकी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां । उक्त पत्र में उल्लिखित प्रकरण के परीक्षणोपरांत जांच कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया । शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रान्तीयकृत होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के कर्मचारियों के प्रान्तीयकरण की तिथि से वेतन न मिलने के सम्बन्ध में श्री रामकुमार यादव एम0 एल0 सी0 के पत्र पर कार्यवाही

14--श्री राज किशोर सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीयकृत होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के कर्मचारियों के प्रान्तीयकरण की तिथि से वेतन न मिल पाने और संदर्भित शासनादेश दिनांक 25/26 अगस्त, 1987 में आवश्यक संशोधन करने के सम्बन्ध में श्री राम कुमार यादव एम0 एल0 सी0 का कोई पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जी हां । उक्त पत्र में किये गये अनुरोध को विचारोपरान्त अस्वीकार कर दिया गया है ।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के डा0 आर0 एन0 सिंह के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच

15--श्री बसन्त सिंह गहलौत--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय श्री मैनेजर सिंह विधायक का पत्र दिनांक 24 जनवरी, 1989 जो तत्कालीन प्रधानाचार्य राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ डा0 आर0 एन0 सिंह के विरुद्ध गम्भीर अनियमितताओं से सम्बन्धित सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में सतर्कता विभाग की जांच प्रारम्भ कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जी हां ।

जी नहीं ।

मामले में प्रारम्भिक जांच के लिए कार्यवाही हो रही है जिसके उपरान्त ही सतर्कता विभाग की जांच का प्रश्न उठेगा ।

प्रदेश के होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों पर चयन

16--श्री धनराज यादव--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में होम्योपैथिक-चिकित्साधिकारियों के कुल कितने पद, कब से रिक्त हैं तथा उक्त रिक्त पदों को कब तक भरा जा रहा है ? यदि नहीं, क्यों ?

दीक्षित--

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के 225 पद, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तृतीय चिकित्साधिकारियों के 150 पद भिन्न-भिन्न तिथियों से रिक्त हैं । इन पदों को

भरने हेतु लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन की कार्यवाही सम्पादित कराई जा रही है।

17—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

[6वें गुरुवार के लिये स्थगित]

## जनपद आगरा में स्थित कीठम झील (सूर्य सरोवर) से मत्स्य उत्पादन निगम को राजस्व की प्राप्ति

18—श्री बदन सिंह—

क्या मत्स्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा में स्थित कीठम झील (सूर्य सरोवर) में मत्स्य उत्पादन कार्य वर्ष 1987-88 से मत्स्य विकास निगम, आगरा को दे दिया गया है ? यदि हां, तो कितना राजस्व वर्ष 1987-88 में उसने अर्जित किया है ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

## होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के चयन की प्रक्रिया

19—श्री धनराज यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के चयन का दायित्व शासन/निदेशालय द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कब सौंपा गया, शीघ्र तिशीघ्र चयन हेतु शासन/निदेशालय द्वारा कब-कब क्या-क्या प्रयास किये गये, कृत प्रयासों से क्या परिणाम मिले ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन कर संस्तुतियां उपलब्ध कराने के लिये लोक सेवा आयोग से वर्ष 1985 से ही निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है। शीघ्र चयन सम्पन्न कराये जाने हेतु आयोग से पत्राचार, अधिकारियों का व्यक्तिगत सम्पर्क एवं माननीय मुख्य मंत्री जी के स्तर पर अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग से विचार-विमर्श किया गया। आयोग ने मई, 1989 तक चयन कर चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में संस्तुतियां उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।

## जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र मेहदावल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नसबन्दी कराने वाले व्यक्तियों को दी गयी सुविधायें

20—श्री अफसर यू० अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मेहदावल, बस्ती के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर वर्ष 1988 में कितने लोगों की नसबन्दी की गयी ? नसबन्दी कराने वाले व्यक्तियों को क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध करायी गयीं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद नैनीताल में रुद्रपुर मंडी समिति द्वारा निर्माण कार्य पर व्यय

21--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 तथा 1986-87 में रुद्रपुर मंडी समिति, जिला नैनीताल द्वारा किस-किस ग्रामीण मार्ग का किस-किस स्तर तक का निर्माण कराया गया तथा प्रत्येक मार्ग पर कितना-कितना व्यय किया गया ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

मण्डी समिति रुद्रपुर (नैनीताल) द्वारा निर्माणाधीन सम्पर्क मार्गों का विवरण निम्नवत् है :

| वर्ष | सम्पर्क मार्ग | प्रस्तावित | व्यय स्तर |
|---|---|---|---|
| | | (लाख रु0 में) | |
| 1984-85 | कोई नहीं | | |
| 1985-86 | 1--बांगवाला रामपुर बार्डर | 0.726 | सामग्री एकीकरण। |
| | 2--रामनगर मलसी कार्य | 2.623 | तदेव |
| | 3--छतरपुर से बिन्दुखेड़ा | 1.208 | तदेव |
| | 4--दानपुर से किरतपुर | 1.546 | तदेव |
| | 5--ट्रांजिट कैम्प से फुलसूंगा | 1.307 | खड़ंजा |
| | 6--मूराछो से मेटकोटा | 1.653 | लेपन |

वर्ष 1986-87 से सम्बन्धित सूचना वर्तमान सत्र के तीसरे गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 159 के उत्तर में दी गयी है।

जनपद रामपुर में रामपुर मण्डी समिति द्वारा ग्रामीण मार्गों के निर्माण पर अनुमन्नित व्यय

22--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1984-85, 1985-86 तथा 1986-87 में रामपुर मण्डी समिति, जिला रामपुर द्वारा किस-किस ग्रामीण मार्ग का किस-किस स्तर तक का निर्माण कराया गया तथा प्रत्येक मार्ग पर कितना-कितना व्यय किया ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल--

प्रश्नगत मण्डी समिति द्वारा वर्ष 1984-85 में किसी भी ग्रामीण सम्पर्क मार्ग का निर्माण नहीं कराया गया।

वर्ष 1985-86 में "आगा मिलक आरिफ नौरंगपुर" ग्रामीण सम्पर्क मार्ग पर खड़न्जा का कार्य प्रारम्भ कराया गया जिस पर लगभग 42 हजार रुपया व्यय किया गया।

वर्ष 1986-87 सम्बन्धी सूचना वर्तमान सत्र के तीसरे गुरुवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 92 के उत्तर में दिया गया है।

जनपद रामपुर में बिलासपुर मण्डी समिति द्वारा ग्रामीण मार्गों के निर्माण पर अनुमानित व्यय

23--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1984-85, 1985-86 तथा 1986-87 में बिलासपुर मण्डी समिति, जिला रामपुर द्वारा किस-किस ग्रामीण मार्ग का किस-किस स्तर तक का निर्माण कराया गया तथा प्रत्येक मार्ग पर कितना-कितना व्यय किया गया ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल--

वर्ष 1984-85 में किसी सम्पर्क मार्ग का निर्माण नहीं कराया गया। वर्ष 1985-86 में मुल्लाखेड़ा भटपुरातारन मार्ग तथा माटेन्डा टपुरातारन मार्ग का निर्माण कार्य कराया गया। निर्माण कार्य पूरा होने पर लगभग क्रमशः 1.23 लाख रुपये व 3.35 लाख रुपये व्यय हुआ।

वर्ष 1986-87 से सम्बन्धित सूचना वर्तमान सत्र के 3रे गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 90 के उत्तर में दी गयी है।

जनपद बरेली में बहेड़ी मण्डी समिति द्वारा ग्रामीण मार्गों के निर्माण पर अनुमानित व्यय

24--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1984-85, 1985-86 तथा 1986-87 में बहेड़ी मण्डी समिति, जिला बरेली द्वारा किस-किस ग्रामीण मार्ग का किस-किस स्तर तक का निर्माण कराया गया तथा प्रत्येक मार्ग पर कितना-कितना व्यय किया गया ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल--

प्रश्नगत मण्डी समिति द्वारा वर्ष 1984-85, 1985-86 तथा 1986-87 में कोई ग्रामीण सम्पर्क मार्ग का निर्माण नहीं कराया गया।

आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों को गृह जनपद अथवा जिले में पांच वर्ष से अधिक समय से नियुक्ति की जिम्मेदारी

25--नवाब सिकन्दर अली खां--

क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी जिलों/प्रदेशों के विरुद्ध 5 वर्ष से अधिक से एक ही चिकित्सालय/जिले में

नियुक्त हैं तथा कितने अपने गृह जिले में नियुक्त हैं ? इसके लिये कौन जिम्मेदार है और इसके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री जसवन्त सिंह, ए0 एम0 ए0 जिला परिषद्, गाजियाबाद द्वारा फर्जी नसबन्दी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पद पर कार्यवाही

26—श्री कनक सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 2 मई, 1988 जो श्री जसवन्त सिंह ए0 एम0 ए0 जिला परिषद्, गाजियाबाद के द्वारा नसबन्दी में फर्जी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर एक कम्पाउण्डर का वेतन दिलाने के आदेश दिये जाने तथा उसी महिला को स्वयं का अभिप्रेरक दिखाये जाने के सम्बन्ध में है, पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

माननीय विधायक महोदय का पत्र दिनांक 2 मई, 1988 प्राप्त हुआ था । पत्रोल्लिखित तथ्यों की जांच की जा रही है ।

जनपद हरदोई में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक तथा यूनानी अधिकारी कार्यालय में मृत एवं सेवा-निवृत कर्मचारियों के अवशेष के भुगतान में कार्यवाही

27—श्री परमाई लाल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय आयुर्वेदिक/यूनानी अधिकारी कार्यालय हरदोई में सेवाकाल में मृत एवं सेवानिवृत्त कितने अधिकारियों/कर्मचारियों के अवशेष देयकों का भुगतान होना शेष है ? अब तक उक्त भुगतान न किये जाने में विलम्ब का क्या कारण है एवं इसका उत्तरदायित्व किस अधिकारी/कर्मचारी का है ? क्या दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विलम्ब का उत्तरदायित्व निर्धारण करने हेतु जांच कराई जा रही है ।

जांच आख्या प्राप्त होने पर ही दोष निर्धारण सम्भव है ।

जनपद लखनऊ के राजकीय महिला अस्पताल में सीजेरियन आपरेशन से हुई महिला की मृत्यु

28—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि लखनऊ के राजकीय महिला अस्पताल में बालरोग विशेषज्ञ गर्भवती महिलाओं के बच्चा पैदा कराने के आपरेशन (सीजेरियन) कर

रहे हैं, जिसकी वजह से अनेक शिशुओं तथा जच्चाओं की अकाल मृत्यु हो रही है ? क्या मन्त्री जी को यह भी ज्ञात है कि 4 अथवा 5 अप्रैल, सन् 1988 को इसी अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर सविता मित्तल ने श्रीमती राजपति, पत्नी श्री सज्जन लाल, निवासी मोहनलालगंज का सीजेरियन आपरेशन किया, जिन्हें इससे पूर्व भी दो बार सीजेरियन आपरेशन से ही बच्चा पैदा हुआ था, जच्चा की मृत्यु हो गई ? क्या डाक्टरों की राय के अनुसार ऐसे मामलों में अनिवार्य इस तीसरे सीजेरियन से पहले जच्चा अथवा इसके परिवार के सदस्यों की सहमति से सीजेरियन के साथ जच्चा की नसबन्दी की गयी थी ? यदि हां, तो क्यों तथा मृतक महिला के परिवार को क्या मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी हां ।

परन्तु इसके कारण शिशुओं तथा जच्चाओं की अकाल मृत्यु नहीं हो रही है ।

जी हां ।

सीजेरियन से पूर्व न तो नसबन्दी करना अनिवार्य होता है और न इस मामले में नसबन्दी की ही गई थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

## जनपद बरेली में बरेली मण्डी समिति द्वारा ग्रामीण मार्गों के निर्माण पर व्यय

29--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1984-85, 1985-86 तथा 1986-87 में बरेली मण्डी समिति, जिला बरेली द्वारा किस-किस ग्रामीण मार्ग का किस-किस स्तर तक का निर्माण कराया गया तथा प्रत्येक मार्ग पर कितना-कितना व्यय किया गया ?

डा० कृष्णवीर सिंह कौशल--

मण्डी समिति बरेली द्वारा वित्तीय वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 में किसी सम्पर्क मार्ग का निर्माण नहीं कराया गया ।

वर्ष 1986-87 से सम्बन्धित सूचना वर्तमान सत्र के 3रे गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 89 के उत्तर में दी गयी है ।

## जनपद बस्ती में बस्ती मण्डी परिषद द्वारा सड़कों के निर्माण पर धन की स्वीकृति

30--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जनपद में मण्डी समिति द्वारा कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण होना है और कितना रुपया प्रत्येक सड़कों पर किस तारीख को स्वीकृत हुआ है ? जुलाई, 1988 तक कितनी सड़क बन कर तैयार हुयी है ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--

इस वित्तीय वर्ष में लगभग 3 कि0 मी0 के आस-पास की लम्बाई की सड़क स्वीकृत की गयी है। उपर्युक्त स्वीकृत की गयी सड़क पर अभी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। इसपर अनुमानतः 10 लाख का व्यय होगा।

जुलाई, 1988 तक लगभग 60 कि0 मी0 खड़ंजा या इससे कम स्तर की सड़क बनी है।

## जनपद अलीगढ़ के ब्लाक हाथरस के ग्राम जलालपुर की महिलाओं को नसबन्दी प्रमाण तथा धन उपलब्ध कराया जाना

31--डा0 बंगाली सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के ब्लाक हाथरस के गांव जलालपुर में मार्च, 1988 में 59 महिलाओं ने नसबन्दी कराई थी, उनके परिचय पत्र तथा सरकार से स्वीकृत धनराशि किन कारणों से अभी तक नहीं मिली है? क्या यह सही है कि वहां के मौजूदा प्रधान एवं लेखपाल ने धनराशि एवं परिचय पत्र नहीं दिये हैं? यदि हां, तो इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी हां।

यद्यपि सभी लाभार्थियों के पक्ष में परिचय पत्र एवं निर्धारित धनराशि अवमुक्त किये गये, यद्यपि 20 लाभार्थियों, विषयक परिचय-पत्र धनराशि, उनकी सहमति के आधार पर श्री महेन्द्र पाल दीक्षित ग्राम प्रधान को प्राप्त करा दिये गये थे।

जी हां।

इससे पूर्व किसी भी लाभार्थी से इस आशय की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। अब मुख्य चिकित्सा अधिकारी को वितरण सुनिश्चित करने हेतु निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।

## जनपद ललितपुर, झांसी व रामपुर में चिकित्साधिकारियों की तैनाती

32--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला ललितपुर, झांसी और रामपुर में ऐसे कितने चिकित्साधिकारी हैं जिनकी तैनाती उनके गृह जनपद में ही की गयी है और कितनों ने गृह जनपद परिवर्तन कराने के लिए विभाग को प्रार्थना-पत्र दिये हैं तथा उनमें से कितनों के गृह जनपद परिवर्तित हुए?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जनपद ललितपुर में तीन चिकित्साधिकारी ऐसे हैं जिनका गृह जनपद ललितपुर है तथा 4 चिकित्साधिकारियों द्वारा अपना गृह जनपद परिवर्तन कराने के लिए प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं। इनमें से किसी अधिकारी का जनपद परिवर्तित नहीं हुआ है।

जनपद रामपुर तथा जनपद झांसी की अद्यावधिक सूचना प्रतीक्षित है।

## जनपद गोरखपुर में स्पेनमर्शा स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में बदलने का निर्णय

33—श्री त्रिभुवी नारायण मिश्र—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड पाली, चिकित्सालय राली सहजनवां, विकास खण्ड गोरखपुर में स्पेनमर्शा स्वास्थ्य केन्द्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में बदलने का निर्णय शासन ने लिया है ? यदि हां, तो भवन आदि का काम कब तक पूरा करा लिया जायेगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

निर्णय के लिये वांछित सूचना प्रतीक्षित है ।

## जनपद गाजियाबाद में कुष्ठ आश्रम के प्रबन्धक श्री जय भगवान शर्मा के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

34—श्री कनक सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 19 अगस्त, 1988 जो जिलाधिकारी, गाजियाबाद को सम्बोधित था और जिसमें बृजघाट स्थित कुष्ठ आश्रम के प्रबन्धक श्री जय भगवान शर्मा, ग्राम बक्सर द्वारा उक्त आश्रम की जमीन की पैदावार व सरकार से प्राप्त अनुदान तथा जनता से प्राप्त दान को स्वयं हड़पने तथा कुष्ठ रोगियों को दवा, आवास व कपड़ा की कोई सुविधा न प्रदान करने की जांच कर उचित कार्यवाही करने की मांग गई थी, पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां ।

इस सम्बन्ध में परगना अधिकारी, गढ़मुक्तेश्वर, जिला गाजियाबाद द्वारा जांच कराई गई । चूंकि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 19 अगस्त, 1988 में उल्लिखित शिकायत निराधार पाई गई। अतः मामले में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

## जनपद बस्ती व गोण्डा में कार्यरत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण

35—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती व गोण्डा में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो लगातार पिछले 3–4 वर्ष से अथवा इससे अधिक समय से वहां कार्यरत हैं ? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को दूसरे जनपद में जनहित में स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना बस्ती व गोण्डा के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से प्रतीक्षित है । सूचना प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

## जनपद गोण्डा में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जमुवहा का कस्बा बभनान में स्थानान्तरित करने का निर्णय

36--श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जमुवहा जनपद गोण्डा एक प्राइवेट भवन में पिछले 12 साल से चल रहा है ? यदि हां, तो क्या यह भी जानकारी में है कि यह स्थान चिकित्सा के प्रयोजन से अत्यन्त अधिक दूर है और उनका किराया भी अत्यन्त अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र को कस्बा बभनान में स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

वांछित सूचना प्रतीक्षित है ।

## जनपद बस्ती के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र साथा, के भवन निर्माण में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

37--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 452/लो0 द0/86, दिनांक 5 अप्रैल, 1986 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, साथा, जनपद बस्ती के भवन निर्माण में की गयी अनियमितताओं से सम्बन्धित उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## जनपद वाराणसी में श्रीमती रमदेयी देवी को दाई के पद पर स्थाई नियुक्ति

38--श्री मूलचन्द--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती रमदेयी देवी बेवा श्री राम लखन हरिजन (पासी) ग्राम भटरेवा ब्लाक सुरयावा जनपद वाराणसी में कितने वर्ष से अस्थायी दाई के पद पर 50 रुपये माहवार पर कार्य करती चली आ रही है ? क्या यह सही है कि वे परिवार कल्याण कार्यक्रम में कई बार पुरस्कृत की गई है ? यदि हां, तो क्या उक्त विधवा रमदेयी को स्थाई दाई के पद पर नियुक्ति करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

श्रीमती रमदेयी देवी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुरियांवा में विगत 5 वर्षों से 50 रुपये मानदेय प्रति माह पर अंशकालिक दाई के रूप में कार्य करती आ रही हैं ।

जी हां । श्रीमती रमदेयी देवी दाई को अब तक तीन बार पुरस्कृत किया जा चुका है ।

अंशकालिक दाई सरकारी कर्मचारी नहीं होती है। पद उपलब्ध होने की स्थिति में पात्रता क्षेत्र में, आने वाली ऐसी दाइयों का निर्धारित मानकों के अनुसार नियमित नियुक्ति प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट के विरुद्ध जिप्सी जीपों का क्रय

39--श्री सरदार सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी में है कि उनका विभाग बिना रेट कान्ट्रेक्ट के व टेक्नीकल सलाह के प्रतिकूल महेन्द्र एण्ड महेन्द्रा के स्थान पर जिप्सी जीपें खरीद रहा है? यदि हां, तो विभाग अब तक कितनी जिप्सी जीपें खरीद चुका है और क्यों? क्या सरकार इन जीपों पर हुये खर्चे (रख-रखाव एवं ईंधन) का तुलनात्मक विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी हां, वर्तमान में जिप्सी जीपें क्रय नहीं की जा रही हैं, वर्ष 1986-87 में 29 एवं 1987-88 में केवल एक जिप्सी जीप का क्रय दर अनुबन्ध पर किया गया था।

शेष के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

40--श्री मैनेजर सिंह--

[6वें गुरुवार के लिये स्थगित]

कृषि निदेशालय में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी टंककों को एरियर दिलाने की व्यवस्था

41--श्री राज किशोर सिंह--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि निदेशालय में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी टंककों को वर्ष 1978 से 1982 तक पांच रुपया प्रतिदिन की दर से तथा 1982 से 1984 तक 7.50 रुपया प्रतिदिन की दर से वेतन भुगतान किया गया था? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उस अवधि में शासनादेश से कम वेतन देने वाले अधिकारी के विरुद्ध श्रमिक अधिनियम के तहत कार्यवाही करेंगे तथा उक्त अवधि में कम भुगतान हुये वेतन का एरियर दिलाने की व्यवस्था करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० कृष्ण वीर सिंह कौशल--

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम सभा हीडी पकड़िया विकास खण्ड भीटी, जिला फैजाबाद में निर्माणाधीन मातृ शिशु के निर्माण कार्य को पूरा करने की मांग

42--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के भीटी ब्लाक में स्थित गांव सभा हीडी पकड़िया में निर्माणाधीन मातृशिशु कल्याण केन्द्र का निर्माण कार्य जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा रोक दिया गया है और तथाकथित भूमि विवाद का निपटारा उप संचालक चकबन्दी, फैजाबाद के स्तर से हो जाने के बावजूद भी जिला

प्रशासन उक्त निर्माण कार्य को पूर्ण कराने में रुचि नहीं ले रहा है ? यदि हां, तो सही स्थिति क्या है और उक्त निर्माण कार्य को कब तक पूरा करा दिया जायगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत डाक्टर/अधिकारी कर्मचारियों को नया ग्रेड दिया जाना

43--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में स्वास्थ्य विभाग के बहुत से डाक्टरों/अधिकारियों/कर्मचारियों की विभाग में सरकारी सेवा का 10 वर्ष अथवा 16 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद उन्हें अभी तक नया ग्रेड नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और ऐसे सभी लोगों को नया ग्रेड कब तक प्रदान कर दिया जायेगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

वांछित सूचना प्रतीक्षित है ।

जनपद बस्ती में अतिरिक्त पी० एच० सी० की संख्या एवं निदेशालय द्वारा दी गयी दवा आदि का विवरण

44--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में 1986-87 में कुल कितने अतिरिक्त पी० एच० सी० खोले गये, कितने रुपये की दवा जिला अस्पताल द्वारा दी गई और कितने रुपये की दवा निदेशालय द्वारा दी जानी थी और कितना दी गयी ? कितना फर्नीचर दिया गया तथा कौन-कौन कर्मचारी नियुक्त किये ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

वांछित सूचना प्रतीक्षित है ।

45--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

[6वें गुरुवार के लिए स्थगित] ।

जिला मुख्यालयों पर मैदानी क्षेत्रों में 25 शय्या युक्त चिकित्सालयों की संख्या सदन के पटल पर रखा जाना

46--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुख्यालय पर मैदानी क्षेत्रों में कितने 25 शय्या युक्त राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल हैं ? उक्त चिकित्सालयों में से वे कौन से पांच ऐसे चिकित्सालय हैं जहां की वर्ष 1987-88 की औसत रोगी संख्या (अन्तरंग एवं बहिरंग) क्रमशः सर्वाधिक है ? क्या इसका विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जिला मुख्यालयों पर मैदानी क्षेत्रों में 25 शैय्या युक्त कुल 23 चिकित्सालय हैं। सूचना एकत्र की जा रही है।

## जनपद उन्नाव में एलोपैथिक व होम्योपैथिक चिकित्सालयों में चिकित्सकों की नियुक्ति

47--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के कितने एलोपैथिक आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक चिकित्सालय ऐसे हैं जहां चिकित्सकों की संख्या मानक से कम है ? कितने ऐसे हैं जहां प्राविधान तो किया गया है मगर नियुक्ति नहीं हुई है ? चिकित्सकों की कम संख्या के कारण क्या है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

एलोपैथिक के 23, होम्योपैथिक के 3, तथा आयुर्वेदिक के 1, चिकित्सालयों में मानक से कम चिकित्साधिकारी हैं।

एलोपैथिक के 45, आयुर्वेदिक के 33, तथा होम्योपैथिक के 22, चिकित्सालयों में मानक के अनुसार चिकित्साधिकारियों का प्राविधान है।

लोक सेवा आयोग से चयन न हो पाने के कारण चिकित्सकों की संख्या कम है।

## जनपद गोण्डा के मथुरा बाजार में उच्चीकृत अस्पताल बनाने की योजना

48--श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड शिवपुरा के ग्रामीण बाहुल्य क्षत्र में मात्र एडिशनल पी0 एच0 सी0 मथुरा बाजार के अलावा सैकड़ों कि0 मी0 के रेडियस में कोई उच्चीकृत अस्पताल नहीं है ? ग्रामीण समस्या के समाधान के लिए मथुरा बाजार में उच्चीकृत अस्पताल नहीं है ? क्या ग्रामीण समस्या के समाधान के लिए मथुरा बाजार में उच्चीकृत अस्पताल बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी नहीं। यहां से 24 कि0मी0 की दूरी पर 96 शैय्याओं का मेमोरियल चिकित्सालय (बलरामपुर) कार्यरत है तथा 45 कि0मी0 की दूरी पर उच्चीकृत प्रा0 स्वा0 केन्द्र तुलसीपुर निर्माणाधीन है। उच्चीकृत चिकित्सालय बनाने का विषय जिला योजना के अन्तर्गत आता है और जब जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति इसके लिये परिव्यय उपलब्ध कराकर प्रस्ताव पारित करती है तब ही स्वीकृत आदेश जारी करना सम्भव होता है।

## जनपद बांदा में उत्पादन मण्डी समिति अतर्रा में विभिन्न पदों पर आरक्षण कोटा पूरा किया जाना

49--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कृषि उत्पादन मंडी समिति अतर्रा, कृषि उत्पादन उप मंडी समिति नरैनी, बिसन्डा खुरहन्ड (सभी बांदा जनपद) में अनुसूचित पदों में अरक्षण कोटे की संख्या क्या है तथा मौजूदा समय में कितने विभिन्न स्केल के पद रिक्त हैं ? इनके न भरे जाने के क्या कारण है ? क्या विशेष भर्ती द्वारा यह कोटा पूरा किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

आरक्षण सम्बन्धी सूचना निम्न प्रकार है :

| अनुसूचित जाति | अनुसूचित जन जाति | पिछड़े वर्ग |
|---|---|---|
| (1) तृतीय श्रेणी-- | | |
| 01 | 00 | 04 |
| (2) चतुर्थ श्रेणी-- | | |
| 03 | 00 | 08 |

मौजूदा समय में कोई पद रिक्त नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठते ।

## जनपद फर्रूखाबाद में राजकीय चिकित्सालय तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आवंटित धन

50--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 312 विधान सभा क्षेत्र फर्रूखाबाद में स्थित विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को वर्ष 1985-86, 1986-87, 1987-88 एवं चालू वित्तीय वर्ष 1988-89 में कितना-कितना धन किस-किस मद में आवंटित किया गया ? इसमें से किस वर्ष में कितना धन व्यपगत हो गया और व्यपगत होने का कारण क्या था ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

वांछित सूचना प्रतीक्षित है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर

(घोर व्यवधान)

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग आसन ग्रहण करें । एक-एक व्यक्ति खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहें तभी मैं सुनूंगा ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से कुछ माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहते हैं, आप सुन तो लें। आपके हितों की रक्षा के लिये हमको लड़ना पड़ रहा है। पीठ का आदर होना चाहिये वरना सदन कैसे चल पायेगा ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग बैठ जांय, शान्त रहें।

(व्यवधान)

श्री प्रदीप माथुर—

व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

ग्राम पिंडारा ब्लाक के दल्लीपुर ग्राम के निकट पुल निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 से अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग लोग बैठ जांय। शान्त रहें।

आज नियम 301 के अन्तर्गत 21 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं जिसमें शलाका के आधार पर सात सूचनायें। श्री राज किशोर सिंह, श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री भगवती सिंह विशारद, श्री बलराम यादव, श्री जगवीर सिंह, श्री गोपी नाथ वर्मा और श्री कल्लू राम रत्नाकर की सूचनाओं को ग्राह्य किया गया, बाकी सभी सूचनाओं को अस्वीकार किया गया। इन सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया जाये ?

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना गया)

श्री राज किशोर सिंह—

[मान्यवर, वाराणसी जनपद के खंड विकास क्षेत्र पिंडरा अन्तर्गत सालों महुआ अहरक "बावतपुर रेलवे स्टेशन सम्पर्क मार्ग" पर ग्राम दल्लीपुर के निकट पुल निर्माण का कार्य बहुत पहले से प्रस्तावित है और इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण तथा परिव्यय आंकलन आदि की कार्यवाही भी सम्पन्न हुयी है। किन्तु उसका निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। यातायात एवं गमनागमन के लिये जनता को अत्यन्त कठिनाई है]

उक्त सम्पर्क मार्ग वाराणसी, जौनपुर को बावतपुर रेलवे स्टेशन को जोड़ता है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से वाराणसी शहर की दूरी बहुत कम हो जाती है और किसानों को अपने सामान शहर में लेजाकर बेचने में सुविधा होती है। पुल निर्माण न होने से विकट समस्या बनी हुयी है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रश्नगत पुल का निर्माण होना अत्यंत आवश्यक है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल पुल निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

---

टिप्पणी—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

## यू0 पी0 टेक्सटाइल प्रिंटिंग कारपोरेशन द्वारा फर्रुखाबाद में छपाई दारों के शोषण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

[मान्यवर, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल प्रिंटिंग का प्रमुख केन्द्र है । प्रदेश के और विशेष तौर से फर्रुखाबाद के छपाई उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ही उत्तर प्रदेश में वस्त्र छपाई निगम की स्थापना की गई थी और उसका मुख्यालय फर्रुखाबाद में रखने का निश्चय हुआ था । किन्तु उक्त छपाई निगम में घनघोर भ्रष्टाचार व्याप्त है, यहां तक कि फर्रुखाबाद के छीपियों द्वारा छापा हुआ माल यह निगम न खरीदकर काफी महंगे दामों में उत्तर प्रदेश से बाहर बम्बई, जबलपुर आदि से क्रय किया जाता है और कमीशन के रूप में मोटी रकम निगम के अधिकारियों द्वारा वसूली जाती है यही नहीं प्रदेश के बाहर से जो माल खरीदा जाता है उसका भुगतान एडवांस में कर दिया जाता है जबकि फर्रुखाबाद के छीपियों द्वारा बेचे गये माल (साड़ियों लिहाफों) का भुगतान कई-कई साल बीत जाने पर भी नहीं किया जाता है जिससे उन छीपियों की दशा निरन्तर खराब होती चली जा रही है और कारोबार चौपट हो रहा है यहां तक की छीपी फर्रुखाबाद छोड़-छोड़ कर प्रदेश मुख्यालय भी फर्रुखाबाद से हटाकर कानपुर कर दिया गया है और इस निगम के साथ सौतेला व्यवहार कर उसे उत्तर प्रदेश हैंडलूम अधीनस्थ बनाने की साजिश चल रही है । फर्रुखाबाद के छीपियों का लाखों रुपये का भुगतान शेष है जिससे स्थिति विस्फोटक बन रही है ।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करने और चर्चा की सूचना देता हूं । [ ]

## जिला उन्नाव के विकास खंड सुमेरपुर के ग्राम चैनपुर में सामुदायिक विकास भवन का निर्माण कार्य रोक दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवती सिंह विशारद—

[मान्यवर, ग्राम-चैनपुर, विकास-खंड-सुमेरपुर, तहसील-पुरवा, जिला उन्नाव में सामुदायिक विकास भवन बनने हेतु गाटा संख्या-1247 में ग्राम पंचायत में एक प्रस्ताव पारित किया था और उक्त प्रस्ताव को नजरी नक्शा के साथ संबंधित अधिकारियों को दिया था, जिसका स्थल निरीक्षण करने के बाद निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया था । किन्तु वर्तमान ग्राम प्रधान की आपत्ति पर पुलिस द्वारा निर्माण कार्य रोक दिया गया और उसी बीच दिनांक 25 जनवरी, 1989 को परागनाधिकारी, पुरवा द्वारा उक्त स्थान पर कब्रिस्तान दर्ज कर दिया गया, जिसके कारण गांव में साम्प्रदायिकता विद्वेष पैदा हो गया है और यदि इसे निरस्त किया गया तो स्थिति गंभीर हो जायेगी ।

अतः आपके माध्यम से मैं राजस्व मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उक्त परगनाधिकारी, पुरवा तथा मामले से संबंधित अन्य कर्मचारियों का पुरवा तहसील से अन्यत्र स्थानान्तरण करके उनके उनके द्वारा कृत कार्यवाही को निरस्त किया जाय और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय ।]

---

टिप्पणी—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

## जिला आजमगढ़ की अतरौलिया टाउन एरिया में पेयजल की कमी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बलराम यादव--

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस निश्चित अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

टाउन एरिया अतरौलिया आजमगढ़ जनपद की बहुत ही पुरानी टाउन एरिया लगभग 25 हजार की आबादी 13 मुहल्लों में है । अधिकांश लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह कर जीवन-यापन कर रहे हैं । जल निगम द्वारा पेयजल हेतु जो नलकूप लगाये हैं वह अपर्याप्त हैं तथा साथ ही साथ जल आपूर्ति हेतु जो पाइप लाइन बिछी है वह केवल मुख्य गलियों में ही हैं जिससे अगर गरीब आदमी कनेक्शन भी लेना चाहें तो सम्भव नहीं हो पा रहा है । कसाई टोला, जोलह टोलिया बिरूआपुर, खानपुर फतेह आदि ऐसे मुहल्ले हैं, जहां पर आज तक पानी पीने के कोई भी साधन उपलब्ध नहीं हैं । उपरोक्त कठिनाइयों से जनता में भारी रोष है ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि निगम द्वारा बिछाई गई पाइप लाइनों का विस्तार समस्त मुहल्लों में कराया जाय साथ ही साथ जल आपूर्ति हेतु एक और नलकूप लगाया जाय अथवा कम से कम 20 इंडिया मार्क-2 से हैण्ड पम्प तुरन्त लगाये जायें] ।

## जिला गाजीपुर के ब्लाक बारा चवर के विद्युत् उपकेन्द्र के निर्माण को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगवीर सिंह--

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व के जनपद गाजीपुर के विकास खन्ड बारा चवर में 33 के0 वी0 विद्युत् उप केन्द्र की ओर आकृष्ट करता हूं । वह उपकेन्द्र गत 8 वर्षों से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के माध्यम से निर्माण करवाया जा रहा है । लेकिन अभी तक इस विद्युत् उपकेन्द्र का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है और न ही इस क्षेत्र को विद्युत् ही दी जाती है । इसलिए वहां के कृषकों एवं अन्य लोगों के मन में काफी रोष एवं क्षोभ व्याप्त है । यहां पर कई बार हजारों लोगों न इस विद्युत् उप केन्द्र के न बनने के कारण धरना एवं प्रदर्शन भी किया । इस विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण कार्य में जैसे स्वीच रुप एवं अन्य चीजों में बहुत ही गड़बड़ी एवं धांधली की गयी है । इस गड़बड़ी एवं विलम्ब के लिए भी उच्च स्तरीय सेल से जांच की जानी चाहिए एवं दोषी अभियन्ताओं एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए ।

अतः आपसे निवेदन है कि सरकार को निर्देशित कर उक्त विद्युत् उपकेन्द्र को यथाशीघ्र पूरा करवाकर चालू किया जाय जिससे कि उस क्षेत्र की जनता को इस उपकेन्द्र से विद्युत् लाभ मिल सके] ।

---

टिप्पणी--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

## सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु किसानों की अर्जित भूमि के प्रतिकर दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोपी नाथ वर्मा—

[मान्यवर, प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क मार्ग व अन्य निर्माण कार्य किसानों की सहमति लिये बिना तथा अर्जित भूमि का प्रतिकर अदा किये बिना, जबरिया बलपूर्वक निर्माण कार्य कराया जा रहा है । जिसके कारण प्रत्येक जनपद में किसानों की हजारों एकड़ भूमि नष्ट कर दी जा रही है और साथ ही किसान ऐसी भूमि का प्रतिकर जो करोड़ों रुपये आता है, नहीं पा रहा है । जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सम्पर्क मार्ग क्रमशः 20 व 12 फुट का सेन्टर मानकर बनाया जा रहा है इसमें किसानों की अतिरिक्त भूमि भी नष्ट हो रही है और उसका लाखों लाख रुपया किसानों को नहीं मिल पा रहा है इस तरह से पूरे प्रदेश में किसानों को अर्जित भूमि का प्रतिकर अदा न करके बलपूर्वक निर्माण कार्य किया जा रहा है । किसानों की मांग है कि प्रभावित भूमि का प्रतिकर भुगतान किया जाना चाहिये जो प्रदेश भर के किसानों का लगभग 40 करोड़ 220 रुपया होता है ।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुये सरकार से मांग करता हूं कि प्रदेश भर में किसानों की भूमि पर कराये गये निर्माण कार्यों जिनका प्रतिकर नहीं अदा किया गया है, का प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रवार सर्वे कराकर किसानों को तुरन्त प्रतिकर भुगतान किया जाय तथा भविष्य में किसानों की अनुमति बिना जबरिया बलपूर्वक निर्माण न कराये जाये और निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व अधिगृहित भूमि का प्रतिकर किसानों को अदा कर दिया जाय ।]

## नगरपालिका राबर्ट्सगंज जनपद मिर्जापुर में विद्युत् तार से मृत अध्यापक परिवार को मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कल्लू राम रत्नाकर—

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नांकित लोक महत्व का विषय सदन के संज्ञान में उठाना चाहता हूं । मेरे विधान सभा क्षेत्र राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर थाना–राबर्ट्सगंज, स्थित ग्राम–बढ़ौली, के मार्ग पर दो खम्भों के बीच का जिन्दा तार काफी नीचे तक लटक रहा था मृतक शिव दयाल, प्रधानाध्यापक, प्राइमरी पाठशाला तिलौली से पढ़ाकर 9–10 बजे दिन राबर्ट्सगंज आ रहे थे, दिनांक 14 मई, 1988 को विद्युत् के जिन्दे तार छू जाने से घटना स्थल पर मृत्यु हो गयी । मेरी जानकारी है, उक्त लटकते हुए जिन्दे तार की जानकारी विभागीय कर्मचारियों को थी । किन्तु उक्त तार को विभाग द्वारा ठीक नहीं कराया गया जिससे श्री शिवदयाल अध्यापक की मृत्यु हो गयी श्री शिवदयाल के पांच नाबालिग बच्चे हैं । मृतक परिवार में एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति था । इस समय उनके बच्चे व विधवा मां भूखों मर रहे हैं । इनके परिवार को अभी तक सरकार एवं विद्युत् विभाग द्वारा कोई सहायता नहीं दी गयी और न तो उनके परिवार वालों को उनका फण्ड आदि भी नहीं दिया गया बल्कि उनको विभाग द्वारा परेशान किया जा रहा है ।

अस्तु उपरोक्त विषय सदन के संज्ञान में लाकर यह अपेक्षा करता हूं कि मामले की न्यायोचित जांच कराकर विद्युत् विभाग के लापरवाही पर मृतक व्यक्ति के परिवार

---

टिप्पणी—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

को उचित मुआवजा, दिलवायें तथा शिक्षा विभाग में मृतक अध्यापक शिवदयाल के परिवार के किसी व्यक्ति को योग्यता के अनुसार नौकरी दिलवाने की व्यवस्था करें ।]

( व्यवधान )

(श्री विजय सिंह राणा व्यवधान के मध्य कुछ पढ़ते हुये सदन के फ्लोर पर आ गये और कुछ कहने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री उपाध्यक्ष—

आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा । मैंने किसी को बोलने की इजाजत नहीं दिया है । आप आसन पर जांय । जब तक इजाजत नहीं दूंगा तब तक कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

( व्यवधान )

राणा जी आसन ग्रहण करें ।

(घोर व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मेरी व्यवस्था का प्रश्न है ।

( व्यवधान )

श्री उपाध्यक्ष—

जब तक सदन व्यवस्थित न हो तब तक व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है । जो आप बोलेंगे कुछ नहीं लिखा जाएगा ।

( घोर व्यवधान )

(श्री विजय सिंह राणा वापस अपने स्थान पर चले गये ।)

श्री नरेन्द्र देव—

[× × ×]

## औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

कुछ नहीं लिखा जाए । मुझे नियम 300 के अन्तर्गत कुछ सूचनायें प्राप्त हुई हैं । इसमें से कुछ को सुनना चाहूंगा । तिवारी जी आप नियम-300 पर कहें ।

(घोर व्यवधान)

आप लोग शोर न करें जो कुछ कहना है लिखकर दे दें । संसदीय कार्य मंत्री अपने लोगों को बैठाएं ।

( घोर व्यवधान)

## विशेषाधिकार की सूचना को सुने जाने हेतु अनुमति की मांग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

उपाध्यक्ष जी मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहूंगा । हमारे मेम्बर अनुशासित रहेंगे । आप औचित्य के प्रश्न के बाद, विशेषाधिकार में जो यह कहना चाहते हैं उसको आप अनुमति प्रदान कर दें यह मेरा आपसे अनुरोध है ।

(घोर व्यवधान)

---

टिप्पणी—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले नियम-300 पर सुनना चाहूंगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री नियमावली और प्रक्रिया से ऊपर उठकर अपनी नियमावली चलाना चाहते हैं ।

( व्यवधान )

श्री उपाध्यक्ष--

इन्होंने निवेदन किया है । मैं तिवारी जी की व्यवस्था पर सुनना चाहूंगा ।

( व्यवधान )

मैंने तिवारी जी को बुला लिया है ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय-

हमारी व्यवस्था आपने नहीं सुनी और उनको आपने बुला लिया ।

( व्यवधान )

श्री उपाध्यक्ष--

पहले तिवारी जी को सुन लूं उसके बाद आपको भी सुन लिया जायेगा ।

(घोर व्यवधान)

नरेन्द्र देव जी आप विशेषाधिकार की सूचना लिखकर भेज दें इसका परीक्षण हो जायेगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री नरेन्द्र देव--

[ × × × × ]

(घोर व्यवधान)

श्री नरेन्द्र देव--

[ × × × × ]

श्री उपाध्यक्ष--

कुछ नहीं लिखा जायेगा । आप बैठिये । मैंने तिवारी जी को बुला लिया है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

श्रीमन्, मैं सारे विपक्ष के माननीय सदस्यों की ओर से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि चाहे इस पक्ष के माननीय सदस्य हों या उस पक्ष के माननीय सदय हों, अगर उन्हें कहीं अहसास होगा कि उनके विशेषाधिकारों का हनन हुआ है तो हम चाहेंगे कि इस तरह के मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दें । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आज एक नया इतिहास बनाने का प्रयास किया है लेकिन चूंकि वह माननीय सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण के बारे में है इसलिये मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर माननीय सदस्य सत्तारूढ़दल के, विशेषाधिकार हनन का मामला लाना चाहते हैं

---

टिप्पणी--[× × × ] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

और माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उनका समर्थन किया है तो श्रीमन् मैं भी सम्पूर्ण विपक्ष की ओर से पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप उनके विशेषाधिकार के प्रश्न पर उनको कहने की अनुमति दें और उसको विशेषाधिकार समिति को सौंप दें ताकि हमें भी विशेषाधिकार समिति के सामने अपने आचरण को स्पष्ट करने का मौका मिले कि किन परिस्थितियों में कल हमने जो कुछ किया उसमें किसका दोष था ?

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे इस बात का अफसोस है कि माननीय तिवारी जी जो बात कह रहे हैं, शायद वह समझ नहीं पाये या उन्होंने सुना नहीं। किसी नियम या प्रक्रिया या एजेंडे के किसी आइटम का किसी तरह उसके उल्लंघन की बात मैंने नहीं कही थी। मैंने नम्रतापूर्वक निवेदन किया था कि कुछ सम्मानित सदस्यगण आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो एजेंडे के क्रम के अनुसार उसको उचित समझें तो उनको समय दे दें। वह अनुरोध करने का अधिकार हर व्यक्ति को है और यह अनुरोध किया गया था। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस सम्मानित सदन के सदस्यों से कि कृपया वे ऐसा वातावरण यहां बनायें जिससे सदन की कार्यवाही सुचारुरूप से चल सके। कल जिस तरह से एक महत्वपूर्ण बजट था उसके बारे में लोग अपनी बात कहना चाहते थे जो नहीं कह पाये। आज पर्वतीय विकास और पर्यटन का बजट है लोग अपनी बात कहना चाहेंगे तो हम लोग खामोशी से बैठें। मान्यवर, जो आपका निर्णय होगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं इस पक्ष की तरफ से कि आपका निर्णय शीरोधार्य होगा। उसमें किसी प्रकार की आपत्ति न कभी थी न कभी है और न आगे भी होगी।

(मेजों की थपथपाहट)

## सदन के स्थगन के पश्चात् सदन का अलोकतांत्रिक तरीके से दुरुपयोग किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री नेक चन्द्र पांडेय—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सदन के दुरुपयोग का बहुत गम्भीर व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। मान्यवर, कल आपके द्वारा सदन स्थगित किये जाने के बाद इस सदन के अंदर जिस असंवैधानिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से इस माननीय सदन का दुरुपयोग किया गया और आपकी पीठ पर अध्यक्ष के रूप में बैठकर आसन ग्रहण किया गया और जिस प्रकार से इस पीठ का अपमान किया गया है उसका संसदीय इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है।

(शेम—शेम की आवाजें)

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न बहुत ही गम्भीर है। इस माननीय सदन की गरिमा, महानता तथा शक्ति से सम्बन्धित है। मान्यवर, कल आप द्वारा इस माननीय सदन को स्थगित किये जाने के बाद विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने जिस अलोकतांत्रिक तरीके से इस माननीय सदन का दुरुपयोग किया है, आपकी पीठ पर बैठ कर इस माननीय सदन में जो कार्य किया है, इसका उदाहरण संसदीय इतिहास में कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता। इसलिये, मान्यवर, विरोधी पक्ष के द्वारा किये गये कल की कार्यवाही से इस माननीय सदन का अपमान हुआ है, आपकी पीठ का अपमान हुआ है, हम सब इनको कड़े

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शब्दों में भर्त्सना करते हैं, निन्दा करते हैं, साथ ही आपसे यह व्यवस्था चाहते हैं कि आपकी पीठ पर आसीन होकर जो कार्यवाही की गयी है, इस प्रदेश के जन-मानस की चिन्ता को देखते हुए आप अपनी व्यवस्था दें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

पहले सुन लूंगा, तब व्यवस्था दूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, हमें भी इस बात को सुनकर अफसोस है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, हमें भी इस बात का सख्त अफसोस है कि इस आदरणीय सदन में हम भी चाहते हैं कि अच्छी तरह से और व्यवस्थित रूप से सदन चले । यह मान्यवर, हमारी समीक्षा है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

शांति बनायें । सदन को शांत बनायें । शांतिपूर्वक पहले सुनिये ।

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

हमने कल भी प्रार्थना किया था और आज भी प्रार्थना कर रहा हूं कि हमारे नियमों में जो व्यवस्था है, उसके अनुसार आपको सदन व्यवस्थित करने का अधिकार है । इस सदन में

[ × × × × ]

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, इसे कार्यवाही से निकाला जाय ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

जो सदन का सदस्य नहीं है, उसका नाम नहीं लेना चाहिये । मैं कार्यवाही से निकाल दूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आपके जाने के बाद मैं चाहता था कि सदन अनुशासित ढंग से चले और सदन की कार्यवाही अव्यवस्थित ढंग से नहीं चलनी चाहिये, लेकिन आप चले गये ।

(घोर व्यवधान)

यहां पर

[ × × × × ]

की टिप्पणी पर हस्तक्षेप करने का यह हमारा अधिकार था ।

---

टिप्पणी—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

शांति नहीं बनायेंगे, तो सदन कैसे चलेगा ?

(सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान )

( घोर व्यवधान के मध्य )

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग आपस में उत्तेजित न हों मेरी बात सुनें, आप शान्ति बनायेंगे तभी व्यवस्था हो सकेगी ।

श्री नरेन्द्र देव—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विशेषाधिकार की सूचना दे रहा हूं इन्होंने स्वयं इस पीठ की अवमानना की है और सदन की अवमानना की है ।

( व्यवधान )

श्री उपाध्यक्ष—

मैं सदन को एक बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 40 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दिन के 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी । 1 बज मार्शल ने सूचित किया कि माननीय उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 30 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है । 1 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि माननीय उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है ।

इसके पश्चात् सदन की कार्यवाही 2 बजे श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग आसन ग्रहण करें । मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं । श्री नेक चन्द्र पान्डे जी ने जो व्यवस्था उठायी थी, वह सदन की कार्यवाही से संबंधित नहीं है, अतः मैं उसे अस्वीकार करता हूं । अब मैं नियम 300 की सूचनायें ले रहा हूं ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

श्रीमन् असहमत होने के लिए सहमति प्रदान करना यही लोकतंत्र की आधार-शिला है । अगर हमारी भावना और विचारों के विपरीत भी कोई बात आये तो उस पर हमें सदन में अव्यवस्था नहीं करनी चाहिए और अगर ऐसा होता है तो वह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है, जब आपको पीठ से कोई व्यवस्था दी जाती है, चाहे इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के लोग या कोई भी माननीय सदस्य यह महसूस करें कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है वह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है । कल श्रीमन् हम विपक्ष के लोगों को ऐसा लगा जब आपने श्री भगवानदीन

कुशवाहा का निलम्बन किया और मेरे अनुरोध के बाद भी आपने अपने निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया तो हमें कष्ट हुआ और इसी लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि केवल माननीय कुशवाहा जी ने ही गलत काम नहीं किया था, अपितु उस पक्ष के भी कुछ माननीय सदस्यों ने वेल में आकर विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों के ऊपर कागजात फेंके थे वह भी सदन का अवमान था ।

तो मेरा अनुरोध है, आपके माध्यम से, उस पक्ष के मित्रों से भी, कि उस पर हम सबको खेद प्रकाश करना चाहिए और श्रीमन् आपने जो निलम्बन किया है, उसके संबंध में मैं अनुरोध करूंगा कि उस पर पुनर्विचार करके निलम्बन के आदेश को निरस्त करने की कृपा करें । श्रीमन् सत्ता दल के लोगों ने भी जो प्रकरण कल किया, वह भी दुर्भाग्यपूर्ण था और इधर या उधर से जो भी अव्यवस्था हुयी वह भी दुर्भाग्यपूर्ण था । नियमों के विपरीत जो भी कार्य हों आचरण हों जो हमारी गरिमा को गिराने वाला हो, विधान सभा के गौरवशाली इतिहास में कालिख लगाने वाला हो, तो हम सब लोगों को इसके लिए गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि इस पर किस तरह से नियंत्रण और अंकुश लगाया जाय, इसे किस तरह से रोका जाय ? श्रीमन् इसी सिलसिले में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी नियमावली ने आपको तमाम अधिकारों से लैस कर रखा है, मेरा विनम्र अनुरोध है कि आपको नियमों का कड़ाई से पालन करने में जरा भी हिचक या संकोच नहीं करना चाहिये । मैं इसका स्वागत करूंगा यदि हमारे पक्ष के लोग गलती करें, तो नियमों के अन्दर उन्हें दण्डित किया जाय, तो हम इसके लिए ऊफ भी नहीं करेंगे, लेकिन तब आपको दूसरे पक्ष के लोगों के आचरण पर और अधिक अकुंश लगाना पड़ेगा, क्योंकि सदन में व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी हम लोगों की अपेक्षा उधर के सदस्यों की अधिक है । जिस तरीके से प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं, माननीय सदस्य भी महसूस करते हैं कि उससे भी उत्तेजना होती है ।

श्रीमन् आप इस तरह का निदेश दें कि दोनों पक्ष के लोग मिलकर इस तरह का वातावरण बनायें, जिससे ऐसी स्थिति पैदा ही न हो । श्रीमन् कल जिस तरह अव्यवस्थित सदन में बजट पास हुआ, वह एक दुर्भाग्य पूर्ण परम्परा बनती जा रही है पिछले 2-3 सालों से ऐसा हो रहा है । इसलिए श्रीमन् हमारा अनुरोध है कि आप समझते हैं कि हमारी गलती है या किसी ने ऐसी बात उठाने का प्रयास किया, जो नियमों के तहत नहीं आती, तो आप उसके लिए हमें इंगित करिये, हम अपनी बात को कहते हुए विपक्ष के रोल को अदा करते हुय आपके आदेश को शिरोधार्य करेंगे । आप हमें इंगित करिये, हम बाहर चले जायेंगे । कल जिस तरह अव्यवस्थित सदन में बजट पास कराया गया, उससे हम लोगों को ठेस पहुंची है और निश्चित रूप से हम लोगों की यह सुविचारित राय है कि यह गलत परम्परा बनती जा रही है इसलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप उस पर पुर्नविचार करें और मेरा अनुरोध है । आप अव्यवस्थित सदन में कोई काम न करें । आप नियमों के अन्तर्गत निलम्बित कर व इस सदन से निष्कासित कर, सदन को व्यवस्थित कर काम करें । मैं आज आपके माध्यम से दोनों पक्षों से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारा अतीत का गौरवशाली इतिहास रहा है इसलिए उसको पुनर्स्थापित करने के लिए, आओ हम दोनों पक्षों के लोग संकल्प करें एक नये इतिहास के सृजन का । एक नये इतिहास का श्रीगणेश करें जिससे हमारे उज्जवल भविष्य की आधारशिला और मजबूत हो सके ।

श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

[ × × × ]

---

नोट :—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपा करके बैठ जायं। जो आप कह रहे हैं, नहीं लिखा जायेगा।

*श्री राम शरण दास--

मान्यवर, कुछ काम जाने-अनजाने में हो जाते हैं। हमारे कुछ नये सदस्य हैं और कुछ पुराने सदस्य भी हैं। यह सही है कि सभी माननीय सदस्यों को नियमों का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन मैं वहीं पर आपसे कहना चाहता हूं कि आपको भी सख्ती से काम करना चाहिए, चाहे वे विपक्ष के सदस्य हों या सत्ता पक्ष के। आपका नियंत्रण दोनों तरफ बराबर होना चाहिये। यदि संसदीय कार्य मंत्री जी कमजोर पड़ गये हों, तो पीठ को कमजोर नहीं होना चाहिए। आप हमें दण्ड दें यदि हमने गलती की हो तो। कल जिस तरह से पी0 डब्ल्यू0 डी0 जैसा महत्वपूर्ण बजट पास हुआ, क्या आप उसे सही मानते हैं? श्री राणा जी ने रात भर न सो कर कटौती का प्रस्ताव तैयार किया था। मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि वे जरा नियंत्रित रहें। आप लोग तो खूबसूरत भी हैं। हम आप लोगों को सहयोग देते रहे हैं और देते रहेंगे। कल जो घटना यहां पर हुई, वह ठीक नहीं थी। इन लोगों ने (सत्ता पक्ष की ओर इशारा करते हुए) जो काम किया, उस पर हम खेद कैसे प्रकट करें और यह कैसे हो सकता है? चलो हम फिर भी खेद प्रकट कर लेते हैं। साथ ही सत्ता पक्ष के लोगों को भी खेद प्रकट करना चाहिये। डेमोक्रेसी का यही तरीका है।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इस आदरणीय सदन में....

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मेरा नाम लिया गया है, इसलिए मुझे आप स्पष्टीकरण का मौका दें।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, श्री राम शरण दास जी ने नाम तो नहीं लिया था, हां इधर की तरफ इशारा करके कहा था कि कुछ माननीय सदस्य खूबसूरत हैं। माननीय श्री तिवारी जी अपने को सबसे ज्यादा खूबसूरत समझते हैं, इसलिए खड़े हो गये हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इस आदरणीय सदन का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और गौरवमयी परम्परा रही है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इस आदरणीय सदन में विचार की अभिव्यक्ति करने का अधिकार है लेकिन प्रदर्शन के लिए। जब कभी ऐसे प्रदर्शन होते हैं तो किसी को खुशी नहीं होती है हम भी सहमत हैं कि इस प्रकार की स्थिति सदन में पैदा नहीं होनी चाहिए। जब कभी उत्तेजना होती है या रोष होता है और प्रदर्शन का मौका मिल जाय और पूरे सदन की कार्यवाही समाप्त हो जाय तो वह सुखद नहीं होता है। विरोध पक्ष को विचारों की अभिव्यक्ति करने का अधिकार है, वह प्रस्ताव रख सकता है, उससे सहमत भी हुआ जा सकता है और असहमत भी हुआ जा सकता है लेकिन संख्या के बल पर उसके विचारों को दबाने से द्वन्द्व पैदा होना स्वाभाविक हो जाता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कल की घटना के लिए इतना कहना है, जिसके सम्बन्ध में माननीय तिवारी जी ने कहा, औचित्य के प्रश्न की सूचना में भी लिखा था कि सदन की कार्यवाही अव्यवस्थित स्थिति में किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिये। इसीलिए हमारी नियमावली में इतने अधिकार अध्यक्ष पीठ को दिये गये हैं कि सदन को व्यवस्थित करने का अधिकार आपको है, आप इंगित कर सकते हैं, सदन की कार्यवाही में भाग लेने से वंचित कर सकते हैं। यह आपका अधिकार है, उसके निर्वहन में हमारा सहयोग है। मेरा निवेदन है कि भविष्य में जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, अपने अधिकारों का प्रयोग करें। हमारे या उनके खिलाफ जो भी कार्यवाही करनी है, निष्पक्ष भाव से हो। कल श्री कुशवाहा जी का मामला हुआ, उनको निलम्बित कर दिया गया, दफ्तियां चलाई गयीं, लोगों को लाया भी। क्या यह सदन के अपमान का मामला नहीं था ? जो कुछ कल हुआ, सुखद नहीं है। नियमों में जो संगत है, उसी तरह से बात उठाने की चेष्टा की। पुनः प्रार्थना करना चाहता हूं कि भविष्य में जब भी ऐसी स्थिति पैदा हो, नियमों का सहारा लेकर कठोर कार्यवाही करें लेकिन अव्यवस्थित सदन में कार्यवाही न हो।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचना आपको मैंने प्रेषित की है, वह कल की कार्यवाही पर औचित्य का प्रश्न उठाने सम्बन्धी है। कल की पूरी कार्यवाही अवैधानिक है। नियमावली में कहीं नहीं है कि जब सदन अव्यवस्थित हो, शोर-शराबा हो, सारी कार्यवाहियों का निलम्बन करके केवल अनुदान की मांगों को प्रस्तुत करने की कोशिश करें। शोर-शराबे में किसी सदस्य की कुछ सुनायी नहीं पड़ा। कल सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट को पास कराने की प्रक्रिया इसी प्रक्रिया के तहत हुई। किसी भी सदस्य ने आपकी बात को या सार्वजनिक निर्माण विभाग के मन्त्री की बात को नहीं सुना, न सुन पाया। जब कटौती का अधिकार हमको प्राप्त है और श्री विजय सिंह राणा जी उसको रखने वाले थे, उनको बुलाया भी नहीं गया। यह बात निश्चित है कि नियमावली में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है लेकिन यह व्यवस्था जरूर है कि अगर कोई सदस्य सदन की कार्यवाही में बाधा डाले तो आपको उसे निकालने का, इंगित करने का और निलम्बित करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त कल आपने और माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने कई बार हमारे सभी विपक्षी दलों के नेताओं को अपने कक्ष में आमन्त्रित किया, हमने आपकी बात सुनी, पूरी बात सुनी, सहयोग का आश्वासन दिया। हमने कहा कि सिर्फ नाम भी ले देंगे तब भी सदन से वह सदस्य उठकर चला जायेगा, लेकिन अगर लोकतंत्र के विरोध में किसी की टिप्पणी है तो उसको भी न रखें....

(सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, मैं संसदीय कार्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे अपने सदस्यों को सिखायें कि संसदीय परम्परायें क्या होती हैं ? हम तो उसका पालन कर रहे हैं परन्तु वे बराबर उत्तेजित हो रहे हैं। मैं कह रहा था कि कोई भी हो, वह नियम से ऊपर नहीं है, चाहे जितना बड़ा नेता क्यों न हो ?

और श्रीमान, कल आपका रूप क्या था, उसके सम्बन्ध में क्या कहूं ? आपने कोई बात, जबकि वह नियमों के अन्तर्गत ही थी, नहीं सुना और जो कल कार्यवाही हुई है वह अनियमित हुई है उसको आप अनुचित घोषित करें और उसको पुनः लें।

श्री उपाध्यक्ष—

जो लोक सभा की टिप्पणी है, उस पर यहां पर कोई बात नहीं होनी चाहिये।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मैंने लोक सभा का कोई नाम नहीं लिया है ।

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, संसदीय लोकतंत्र में विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है ही, लेकिन उसकी भी कुछ सीमायें हैं । कल जो स्थिति यहां उत्पन्न हुई उसके जिम्मेदार चाहे इधर के सदस्य हों और चाहे उधर के सदस्य हों, दोनों ही जिम्मेदार हैं । कल सदन का जो वातावरण था वह इतना क्षुब्ध था और इतना अशान्त था कि उसमें कोई कार्यवाही का ही पाना सम्भव हो नहीं था । फिर भी यहां के क्रुद्ध और क्षुब्ध वातावरण में अपने कार्यवाही को किया, यह नियमानुकूल नहीं था, उससे हम सबके अधिकार छीने गये ।

मान्यवर, यह बात सही है कि आपको पीठ से नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिये । आपको नियमावली के अन्तर्गत तमाम अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन आपको उदारता नहीं बरतनी चाहिये, कोई भी सदस्य हों चाहे इधर के हों या चाहे उधर के हों, आपको तरफ से कठोर रूप से नियमों का पालन किया जाना चाहिये ।

मान्यवर, कल जो हुआ वह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा, इसका हम सबको खेद है । उम्मीद है कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी कल जो सदन की कार्यवाही यहां पर सदन के अव्यवस्थित हालत में हुई, यहां शोर-शराबों की हालत में जो बजट पास किया गया था, वह सुनाई भी नहीं पड़ा और दूसरी तरफ से आपने कटौती के प्रस्ताव को पेश करने के लिए किसी का नाम भी नहीं पुकारा । इसलिए हमारा विधायकगणों के अधिकार का हनन हुआ है, अगर किसी ने नियम के विपरीत अपने विचार व्यक्त कर दिये तो आपकी तरफ से नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिये था । ऐसी स्थिति में कल की कार्यवाही को आप से निरस्त करने की मांग करता हूं और आगे फिर ऐसी घटना न घटे, उसके लिए भी व्यवस्था की मांग करता हूं ।

(श्री प्रमोद कुमार तिवारी अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करते रहे )

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, तिवारी जी कुछ स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, आप कृपया उनको सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं नियम 300 को सुन रहा हूं, उसमें उनका नाम नहीं है ।

*श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि कल यहां सदन में जो कार्यवाही हुई वह सजा की प्रक्रिया से शुरू हुई थी । आपने माननीय कुशवाहा जी को सजा दी थी, इसका मतलब यह है कि आप इन्साफ करना चाहते थे । उनसे सदन में कोई गलती हो गई होगी, आप ठीक समझते होंगे तो आपने उनकी सजा दे दी । उसके बाद भी अगर आप नियमों का कड़ाई से पालन करते तो ठीक रहता लेकिन आपने शोर-शराबे में बजट को पास करा दिया, यह गलती हो गई । अगर कोई गलती हो गई है इन्साफ के तरीके में, अगर कोई गलती भूल से हो गई तो उसे वापस ले लें ।

[समय 2 बजकर 20 मिनट]

श्री जयदेव सिंह बरार—

श्रीमन्, मैं औचित्य के प्रश्न पर दो बातें कहना चाहता हूं कि जनता के आक्रोश को उसकी परेशानी को अभिव्यक्त करने की यहां व्यवस्था है । जो सदस्य जनहित में यहां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किन्हीं नियमों के कारणवश जनता के दुख: की ओर आक्रोश की अभिव्यक्ति यहां न कर पायें तो सदस्यों का उत्तेजित हो जाना स्वाभाविक है । और कई दफा ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि माननीय सदस्यगण उत्तेजित होते जाते हैं, हालांकि उनकी नियत किसी को अपमानित करने की अथवा व्यवधान डालने की नहीं होती है, ऐसी स्थिति में जो अधिकार आपको दिये गये हैं, वह सदन को नियंत्रित करने के लिए दिये गये हैं, मात्र नियंत्रण के लिए, लेकिन श्रीमन् आप भी सदन को नियंत्रित करते-करते उत्तेजित हो जाते हैं, जो आपके लिए उचित नहीं होता और शासन की तो यह प्रकृति है, यह तो यही चाहते हैं यही नहीं सारी दुनिया में शासक वर्ग यही चाहता है कि सदन कम से कम चले विभिन्न मदों पर आलोचना कम से कम हो और जब सदन अव्यवस्थित हो जाता है तो इसका लाभ किसको मिलता है, न सत्तापक्ष के और न ही विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों को बल्कि सारा काम सरकार को मिलता है । मान्यवर, मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं । वैसे इस सदन के व्यवस्थित ढंग से चलने के लिए हम सभी माननीय सदस्यों की जिम्मेदारी है । परन्तु यदि कहीं पर कोई जन-आक्रोश का प्रश्न आता है और हम लोग यदि उत्तेजित हो जाते हैं, तो ऐसे समय में मान्यवर, आप मात्र नियंत्रित किया करें और हम लोग आपके निर्देशों का पालन करेंगे ताकि इस पीठ की गरिमा बनी रहे ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, आपके निर्णय के विरुद्ध हम लोग न तो किसी अदालत में जा सकते हैं और न ही कहीं पर जाकर रिट कर सकते हैं जो कुछ भी आप कहेंगे उसका हम लोग पालन करेंगे । मान्यवर, हम विरोध पक्ष के तमाम विधायकगण नियमानुसार आपके संरक्षण में काम करना चाहते हैं । लेकिन कल जो अव्यवस्थित प्रक्रिया देखी गई और सदन में कल जो कुछ हुआ, उसे कोई भी सही नहीं कहेगा, इसलिए मैं मान्यवर, विरोध पक्ष, सत्ता पक्ष के दोनों ओर के माननीय सदस्यों से अपेक्षा करता हूं बल्कि निवेदन करता हूं कि कल बजट भाषण यदि प्रस्तुत होता तो कुछ मूल्यवान सुझाव हम सब देते, उससे भी हम सब वंचित रह गये और यदि कल के कार्यवाही को प्रदेश के लोग बाहर पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे, इसलिए मान्यवर, इस कल की कार्यवाही को आप निरस्त करें और हम लोग भी आपके संरक्षण में नियमों के अधीन पूरी तरह से कार्य करने को तैयार हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, हम सभी लोग हर दिन यही अपेक्षा करते हैं कि सदन को विचार अभिव्यक्ति का अवसर आपके संरक्षण में मिले । लेकिन मान्यवर, कल जो बातें हुयीं अगर उनको नियमों की कसौटी पर कसें तो हम लोग पायेंगे कि नियमों के विपरीत कल की कार्यवाही इस सदन में हुयी और इस प्रकार से दोनों ओर के माननीय सदस्यों को सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति न कर सके क्योंकि यदि व्यवस्थित ढंग से चलता तो वह जन-भावना व्यक्त करके जन-आक्रोष को आपके संरक्षण में व्यक्त करते, अगर विरोध पक्ष अपने इस अधिकार से वंचित रह जाता है तो हम समझते हैं कि आपकी ओर से हमें संरक्षण नहीं मिल रहा है, लेकिन कल जिस तरह से सत्ता पक्ष की ओर से कागज फेंके गये विरोध पक्ष की ओर, यह तो मान्यवर कल का इनका आचरण था, इसको भी यदि यह संसदीय आचरण कहें तो यह इन्हीं को मुबारक हो । दूसरी बात कल सार्वजनिक निर्माण विभाग का बजट था । इस महत्वपूर्ण विभाग के ऊपर दोनों ओर के विधायकगण अपने-अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना चाहते थे, अपने क्षेत्र की ज्वलन्त समस्याओं को रखना चाहते थे और जिस स्थिति में वह बजट पास करा लिया गया, हम इस प्रक्रिया को नियमों की अवमानना न कहकर यह कहेंगे कि नियमावली की हत्या की गयी है । हम इसे यही समझते हैं । हमारी नियमावली में प्राविधान है कि अगर सदन अव्यवस्थित है, तो जो भी कार्यवाही ऐसी

स्थिति में होगी, वह सदन की कार्यवाही नहीं मानी जानी चाहिए ऐसी स्थिति म क्या आप भी यहां से उठकर चले गये और यहां पर कोई नहीं सु पाया कि आपने क्या कहा या क्या नहीं कहा ? फिर आपके चले जाने के बाद एक प्रस्ताव पेश किया गया माननीय सदस्यों की ओर से कि माननीय राम आसरे वर्मा करेंगे और जब राम आसरे वर्मा वहां पहुंचे...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया बैठें, इस पर मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है, इस पर अब कुछ न कहें ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

सुनिए तो मान्यवर, मैं उस बात को नहीं कह रहा हूं जिस पर आपने व्यवस्था दी है, लेकिन जो हमारी बात का पहला पक्ष है कि सदन अव्यवस्थित था और अव्यवस्थित स्थिति में ही बजट पास करा लिया गया, जिससे समस्त माननीय सदस्य दोनों पक्ष के अपने-अपने अधिकारों से वंचित रह गये...

(घोर व्यवधान के कारण स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था)

श्री उपाध्यक्ष--

अब समाप्त करिए, अभी काम बहुत बाकी है, 301 है, नियम 56 में माननीय वर्मा जी समय का भी ध्यान रखें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

नियमों के अन्तर्गत यदि आप सदन को व्यवस्थित करेंगे तो हम सभी विरोध पक्ष की ओर से आपको पूरा सहयोग मिलेगा ।...

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ जोर-जोर से बोलने के कारण व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डे--

हम लोगों को भी मान्यवर कुछ समय दीजिए ।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया अपना-अपना आसन ग्रहण करें, मैं अब इस प्रकरण को खत्म कर रहा हूं, माननीय मैनेजर सिंह जी...

(व्यवधान)

श्री बाबूराम यादव--

मान्यवर, जिन नियमों के तहत सदन की कार्यवाही चली है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आप यह पूछ लें कि....

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह—

मैं मान्यवर कल सदन में उपस्थित नहीं था, जो कुछ हुआ...

(शोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कोई परम्परा तो माननी ही पड़ेगी। तिवारी जी आप इनको बैठाइये। यह नहीं हो सकता है कि सभी को सुना जाय।

(व्यवधान)

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, आप मुझे भी सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

नेता के हिसाब से सुना जायेगा। जब आप आगे आ जायेंगे तो आपको भी उसी तरह से सुना जायेगा.....

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि कल मैं था नहीं लेकिन जो कुछ यहां सदन में हुआ वह दुखद रहा, वैसा नहीं होना चाहिये आज हमारे कुछ नौजवान साथी, सत्तापक्ष के माननीय सदस्य कुछ व्यवस्था के प्रश्न पर कहना चाहते थे। हमारे परम मित्रों के सुपुत्र लोग हैं, मैं समझता हूं जो कुछ वह कहना चाहते थे, वह सुन लेना चाहिये था। जब व्यवस्था की बात उठायी जाती है तो नियमों के विपरीत भी आप लोग कृपा पूर्वक सुनते हैं। जब आप देख रहे हैं कि सदन का एक पक्ष उत्तेजित है तो दो-दो मिनट आप उनको सुन लेते। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप जानते हैं कि आज क्या हो रहा है? बंगाल में क्या हो रहा है? राज्यपाल के ऊपर हमला हुआ। केरल विधान सभा में क्या हुआ है, यह आप जानते हैं। अगर विधान सभाओं में हुल्लड़ बाजी होगी, मारपीट होगी और गाली गलौज होगी तो जनतंत्र पर आघात पहुंचेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी पक्ष हो, नारे बाजी के लिये यह सदन नहीं है सदन इसलिये है कि हम अपनी भावनाओं को मजबूती से व्यक्त करें। हम लोग इसी सदन में पहले एक-एक महीने के लिये निष्कासित हुये हैं। न धरना देने गये और न मार पीट पर गये, हम अपने सीट पर नहीं बैठे, तो इंगित कर दिया गया और सदन से निकाल दिया गया। हम फाइल लेकर चले गये। 1-1 महीना अपने क्षेत्र में रहे और निलम्बन के प्रस्ताव की वापसी के बाद भी हम नहीं लौटे माननीय कुशवाहा जी को आपने निलम्बित कर दिया। क्या वह मारपीट कर रहे थे? आपने इंगित किया बहुत सा हुड़दंग हो रहा था। किसी को आपने इंगित नहीं किया। कुशवाहा जी जब बोलते हैं तो वह लगने वाली बात बोलते हैं, सत्य बोलते हैं और आपने उन्हें इंगित कर दिया, तो सदन इस प्रकार से नहीं चलेगा।

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि इस विषय पर उधर के कई माननीय सदस्य, राम आसरे वर्मा, रामशरण दास, कौशिक जी ने अपने विचार व्यक्त किये, मैं उनके विचारों से अपने को सम्बद्ध करता हूं। जो कुछ उन्होंने अपने

विचार व्यक्त किये उस पर आपको नजर डालनी ही पड़ेगी। आप स्वयं इस पीठ पर से अपने देखा है कि जिन बातों को कह कर काम चलाया जा सकता है, नेता विरोधी दल बैठे रहे वह मना करते रहे लेकिन कुछ सम्मानित सदस्य बेल में चले गये। हम यहां पर एक जिम्मेदारी को लेकर आये हैं कि जनता की भावनाओं को रखेंगे। लेकिन अवसर नहीं मिलता है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं इधर से हम संसदीय परम्पराओं का पालन करेंगे। श्रीमन्, कल उधर से किसी ने कुछ फेंका, किसी ने देखा या नहीं, यह मैं नहीं कहता लेकिन आप पर फेंक कर जिस तरह से मारा गया वह मैं पूछना चाहता हूं कि किस संसदीय परम्परा के अन्तर्गत ऐसा किया गया है? मान्यवर, हम जो कहते हैं वह करते हैं लेकिन कुछ लोग जो करते हैं उसे नहीं कहते हैं। हम पूरा आपको सहयोग देने के लिये तैयार हैं लेकिन जिस तरह से आप पर दबाव की नीति अख्तियार की जाती है वह नहीं होनी चाहिये। यहां मैं कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

(श्री राम गोविन्द चौधरी के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप मेरी बात सुन लीजिये। अगर व्यवस्था के प्रश्न पर एक साथ खड़े होकर बोलने लगेंगे, तो कैसे काम चलेगा? एक तरफ तो कहते हैं कि कड़ाई से नियमों का पालन हो दूसरी तरफ इस तरह से होता है तो कैसे कार्यवाही चलेगी?

(व्यवधान)

3-4 आदमी खड़े हैं, व्यवस्था कैसे बनायी जाय?

श्री राम गोविन्द चौधरी--

आधा मिनट का समय दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--

आपको सुनूं तो दूसरों को क्यों न सुनूं?

*श्री राम गोविन्द चौधरी--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपने नेता लोगों को तो सुन लिया। परम्परा के अनुसार सबने कह दिया पक्ष के लोगों ने भी कह दिया और विपक्ष के लोगों ने भी कह दिया। लेकिन कल जो सार्वजनिक निर्माण विभाग का बजट आपने पास करा लिया और हम लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला। इन्होंने कल अपना बजट सस्ते में पास कर लिया।

(व्यवधान)

हम अपनी बात कहने से रह गये। मैं कहना चाहता हूं कि सभी विरोध पक्ष के लोगों के क्षेत्रों में 10-10 किलोमीटर पी0 डब्यू0 डी0 की सड़क और एक-एक पुल आप बनवा दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

फिर आप कहेंगे कि कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्मार रिजवी--

उपाध्यक्ष जी, माननीय रेवती रमण सिंह, माननीय मैनेजर सिंह जी, माननीय राजेन्द्र गुप्त जी, माननीय कौशिक जी, माननीय राजकिशोर सिंह जी, माननीय मिश्रसेन जी....

(व्यवधान)

(श्री सुखपाल पांडेय के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया बैठें ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, आप देख लें । हमने कितनी शांति से इनकी बात सुनी और माननीय सुखपाल पाण्डेय जी, मैं कहना चाहता हूं कि जिनके नाम में सुख लगा हुआ है, वही हमें दुःख दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि जो बातें माननीय सदस्यों ने कहीं और माननीय प्रमोद जी जिसका स्पष्टीकरण दे रहे थे, मैं समझता हूं कि जो जनतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं वे इससे अलग नहीं हो सकते हैं । यहां पर जब हम कोई बात करते हैं, हम पक्ष और विपक्ष दो हिस्सों में बटे हैं लेकिन इसका जो दोष है जब बाहर से जनता इसको देखती है तो यह एक ही नजर आते हैं, इसके दो हिस्से नजर नहीं आते हैं, एक ही दिखाई देता है, एक विधान सभा नजर आती है, एक ही जनप्रतिनिधि नजर आते हैं । अगर हम अपने आचरण से विचार कर लें, बाहर के लोगों का हम लोगों से विश्वास हट गया तो प्रजातांत्रिक प्रणाली से उनका विश्वास उठ जायेगा । श्रीमन्, मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं--

एक हम हैं कि लिया अपनी सूरत को बिगाड़,

एक वह हैं कि अपनी तस्वीर बना आते हैं ।

यह तस्वीर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बनती है, एक से नहीं बनती है । गल्तियां दोनों करते हैं, त्रुटियां दोनों करते हैं । प्रजातंत्र में सबसे बड़ी बात कहने की होती है लेकिन सबसे बड़ा कर्तव्य सुनने का है । इन दोनों के एक साथ होने से प्रजातन्त्र चलता है । मान्यवर एक फ्रांसिसी दार्शनिक ने कहा है कि स्वतन्त्रता वह सब अधिकार आपको देती है लेकिन अधिकारों को करने में दूसरों के अधिकार जख्मी न हों । यहां पर हमें अपनी बात कहने का हक है । लेकिन वह एक नियम के अन्तर्गत है । कल यहां पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का बजट था और कल से आजतक जो यहां पर आचरण हुआ, बजट को उस तरह से पास करने में सबसे बड़ा दुख अगर किसी को हुआ तो वह मैं हूं । मैं चाहता हूं कि इस सदन के माध्यम से जो इस विभाग ने सेवायें की हैं वह मैं आपके सामने रखें । हम चाहते थे कि आपका मार्ग दर्शन आये, हमारे बहुत सारे काम जो पूरे नहीं हो सके हैं, या जो काम रह गये हैं उनके लिये हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो । आप स्वयं जानते हैं कि हमने बड़ी कोशिश की तिवारी जी ने भी साथ दिया 3.30 बजे तक हम कोशिश करते रहे कि बजट पेश हो जाय और चर्चा उसमें हो सके । लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण बना और हमारी कोशिशें कायमाब नहीं हो सकी । बजट जिन परिस्थितियों में पास हुआ उसके लिये हम सब दोषी हैं । जनता इसका फैसला करेगी कि क्या हमारा ही दोष था, आप स्वयं निर्णय करेंगे क्या उस वक्त को लाने में हमारा ही दोष था । मैं

माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं जो माननीय तिवारी जी ने बात कही, वह प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं हमें उनकी बात का अनुसरण करना चाहिये। हम सब मिलकर ऐसा वातावरण बनायें जिससे आगे सारी बातें ठीक से हो सके।

आज जो बजट है उसमें पर्वतीय विकास के बारे में बहुत सी चीजें कहनी हैं। मेरा अनुरोध है कि जो घटना कल घटी है चाहे इस पक्ष से घटी या उस पक्ष से घटी उसका खेद है, मुझे दुख है। इस सदन को व्यवस्थित रूप से चलना चाहिये, जो आपके आदेश हैं, जो नियम हैं उनका पालन करने के लिये मैं आश्वस्त करता हूं, हम चाहते हैं कि नियमों का पालन हो माननीय तिवारी जी, सुखपाल पाण्डेय जी, मैनेजर सिंह जी ने कहा नियमों का कड़ाई से पालन हो। तो नियमों का उल्लंघन कौन कर रहा है, कहां नियमों का उल्लंघन हो रहा है वह मान्यवर, आपको देखना होगा। मान्यवर, माननीय राम आसरे वर्मा, माननीय कौशिक जी ने तथा अन्य सम्मानित नेताओं ने कहा कि नियमों का सख्ती से पालन करें। हमने कोई गलती की है तो हमें भी सजा दें। आपकी निगाह तो क्लास रूम में क्लास टीचर की तरह रहती है। टीचर के सामने न पक्ष होता है न विपक्ष सिर्फ उसके सामने स्टूडेन्ट होता है। कोई छात्र उद्दंडता करता है उसके लिये आपका कर्तव्य है कि उसे अनुशासित करें। इन शब्दों के साथ जो नेतागण ने बातें कही हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और चाहता हूं कि हम सब एक नया वातावरण नया माहौल बनायें और उम्मीद करता हूं कि इस माहौल में आज से काम शुरू होगा।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने क्या कहा चेंटर कहा, लीचर कहा या टीचर कहा सुनाई नहीं दिया।

श्री अम्मार रिजवी---

मैंने अध्यापक कहा, अध्यापक गुरु होता है। अध्यापक का हमारी संस्कृति में जो स्थान है वह माननीय कौशिक जी जानते हैं। इस विधान सभा की कार्यवाही में साढ़े 5 हजार रुपये प्रति मिनट खर्च हो रहा है तो इसको सही प्रयोग को भी आप सुनिश्चित करवायें इसकी जिम्मेदारी आपकी है।

श्री बाबू राम यादव--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री भगवान दीन कुशवाहा के निलम्बन की वापसी का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष--

मैं अब इजाजत नहीं दे रहा हूं।

कल जो माननीय भगवान दीन कुशवाहा का निलम्बन किया गया अगर सदन सहमत हो तो, उसे वापस ले लिया जाय।

(सदन की सहमति से निलम्बन को वापस लिया गया)

श्री बाबूराम यादव—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग किया सारा सदन इससे सहमत है।

## औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमशः)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठें ।

(व्यवधान)

नियम 300 की सूचनाओं पर आ रहा हूं । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी आप बोलें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरी ओर से श्री शाही जी रखेंगे ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

उसमें शाही जी का भी नाम है ।

(व्यवधान)

द्विवेदी जी का भी नाम है । लेकिन एक पर एक ही को सुनूंगा ।

*श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, मैंने जो औचित्य का प्रश्न दिया है वह विधान सभा की कार्यवाही से सम्बन्धित है । दिनांक 24 फरवरी, 1989 के एजेन्डे को देखें जिसमें क्रम संख्या 7 पर श्रम मंत्री ने श्रम अनुभाग 2 की अधिसूचना सदन के पटल पर रखा है, इसके सम्बन्ध में निवेदन है कि यह मृत अधिसूचना सदन के पटल पर रखी गयी है, जो प्रभावहीन है । यह राज्य विद्युत परिषद् के 8 हजार श्रमिकों को एवार्ड से सम्बन्धित है । लेकिन औद्योगिक अधिकरण, मेरठ द्वारा निष्प्रभावी घोषित कर दिया जिससे राज्य विद्युत परिषद् के मजदूर सर्वोच्च न्यायालय गये जहां इस एवार्ड को प्रकाशित करने के लिये राज्य सरकार को निर्देशित किया गया और कि एक महीने में इसका प्रकाशन होना चाहिए । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 2 नवम्बर, 1988 को गजट में प्रकाशित किया गया जो कार्यसूची में लिखा है । इस सम्बन्ध में मेरे तीन निवेदन हैं । पहला यह कि कानून की जो व्यवस्था है वह यू0 पी0 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, 1947 की धारा 6-ए में लिखा है कि ऐसे एवार्ड को जिसको राज्य सरकार समझती है कि परिवर्तित किया जाये या उसे निष्प्रभावी घोषित किया जाये । एवार्ड को घोषित करने के पश्चात् विधान मंडल के पटल पर पहले कार्य दिवस पर रखा जायेगा । इस सम्बन्ध में निवेदन है कि 8 फरवरी को सदन आहूत हुआ लेकिन इसको सदन के पटल पर 24 को रखा गया, इसके क्या प्रभाव होंगे इसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । सेक्शन 6 में प्राविधान "मैंडेटरी" है और शैल का प्रयोग किया गया है, इसलिये सदन के पटल पर प्रथम दिन न रखने से यह प्रभावहीन है । यह अधिसूचना जो सरकार द्वारा जारी है निष्प्रभावी होगी, इसलिये मृत अधिसूचना को सदन के पटल पर सरकार ने रखा है ।

दूसरी बात इसको 15 दिन बाद सदन के पटल पर रखा है जिससे नियमों का उल्लंघन होता है । इससे 40 रुपये प्रतिमाह कम मिलता है जबकि 150-345 का स्केल 190-376 में होना चाहिये था जिसको निष्प्रभावी घोषित किया गया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इससे 8 हजार बिजली परिषद् के मजदूरों में असंतोष है और यह अविलम्बनीय कुशोदयोई के निर्णयों की अवहेलना है ।

श्री कृष्ण दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, मैंने भी यही सूचना दिया है लेकिन मैं माननीय सदस्य श्री सूर्य प्रताप शाही की बातों को दोहराऊंगा नहीं बल्कि एक बात कहना चाहता हूं कि यदि नियमों का इसी तरह से उल्लंघन होता रहेगा और शासन की तरफ से तो हम लोग यहां हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो कितना बड़ा अनर्थ हो जायेगा । मान्यवर, श्री शाही जी ने 40 रुपये मासिकी अंतर को बताया तो वही नहीं यह "मैन्डेटरी" प्राविधान में सेक्शन 6-ए (2) में लिखा है—

> ह्वेयर एनी डिक्लरेशन हैज बीन मेड इन रिलेशन टू एन एवार्ड अन्डर दि फ्रस्ट प्रोविजो टू सब-सेक्शन वन दि स्टेट गवर्नमेन्ट मे विदिन नाइनटी डेज फ्रम दि डेट आफ पब्लिकेशन आफ दी एवार्ड अन्डर सेक्शन 6, मेक एन आर्डर रिजेक्टिंग आर मोडिफाइंग दि एवार्ड ऐण्ड शैल आन दि फ्रस्ट एवेलेबिल अपरच्युनिटी ले दि एवार्ड टुगेदर विद ए कापी आफ दि आर्डर बिफोर दि लेजिसलेचर आफ दि स्टेट ।"

"हिन्दी अनुवाद्यों हुआ कि एवार्ड पब्लिकेशन के दिनांक से 90 दिन के अन्दर में राज्य सरकार धारा 6-क की उपधारा(1) के परन्तुक के अनुसार उसे निरस्त कर सकती है किन्तु राज्य सरकार को विधान सभा के सत्र आरम्भ होने के प्रथम उपलब्ध दिवस पर ही उक्त एवार्ड को निरस्त एवं संशोधित करने हेतु सदन के पटल पर रखना अनिवार्य होगा ।" विधान सभा के उपवेशन के प्रथम दिवस 8 फरवरी को या उस दिन इसे पटल पर नहीं रखा जा सका। इसलिए यह स्वतः प्रभावी हो गया ।

किन्तु श्रमिकों की विरोधी यह सरकार कार्यवाही सम्बन्धी नियमों का घोर उल्लंघन करते हुए उक्त एवार्ड को निरस्त कराने और प्रदेश के 8 हजार बिजली कर्मचारियों के 50 रुपये प्रति माह वेतन कम करने पर उतारू है और नये वेतनमान से तो इन कर्मचारियों का सैकड़ों रुपये प्रतिमाह की क्षति होगी, सरकार की विफलताओं को यह सदन पुष्ट नहीं कर सकता है और शासन को गलत बात व बद-नियती को इन नियमों के विरोध मनमानी छूट देकर कर्मचारियों का अहित न होने दे एवार्ड से । इन कर्मचारियों को 190--376 का ग्रेड मिलना है वह उससे महरूम रह जायेंगे । और सरकार उनका वेतन 150--250 ही रखना चाहती जो अन्याय है । इसका जबरदस्त रिएक्शन होगा इस लिए मेरा यह जो औचित्य का प्रश्न उपस्थित हुआ है इसको आप ले लें और इस पर अपनी व्यवस्था दे दें ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, अभी सूर्य प्रताप शाही जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है उसमें कुछ सही बात कही है लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसमें द्विवेदी जी ने यह कह कर हमारी मुश्किल आसान कर दी है जो इसमें कहा गया है—एण्ड शैल आन दि फर्स्ट अवेलेबिल अपरच्युनिटी दि एवार्ड । यह मैं नहीं कहता कि यह नहीं रखा जाना चाहिये था रखा जाना चाहिये था लेकिन नहीं रखा गया है, देर हुई है । फिर भी इसमें यह नहीं है कि अनिवार्य रूप से इसको पहले दिन ही रखा जाना चाहिये था । क्योंकि आप देखें इन्डस्ट्रियल ऐक्ट में लिखा है कि—फर्स्ट अवेलेबिल अपर-च्युनिटी, इसमें दिन की कहीं बात नहीं है । इसमें यदि दिन की बात होती तो लिखा होता—आफ दि फर्स्ट अवेलेबिल डे । लेकिन इसमें यहां पर अवेलेबिल अपरच्युनिटी कही गयी है । अब जो सुविधा है वह एक तरफा नहीं होती । बहुत सी चीजें हैं जिन के

कारण देर हो जाती है। कभी प्रिन्टिंग में या कभी और किसी कारण से। मैं नहीं कहता कि नहीं रखा जाना चाहिये, वह रखा जाना चाहिए था। लेकिन इसके कारण से वह निरस्त अथवा निष्प्रभावी नहीं होगा। सुप्रिम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जो देर से रखे जाने के कारण निष्प्रभावी नहीं हुए। तो इसको रखा जाना चाहिए था, लेकिन यह 300 में नहीं आता।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसको अग्राह्य करता हूं लेकिन यह सूचनाएं अब समय से रख दी जाया करेंगी। यह 300 में नहीं आता है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आप नियम 125 देखने का कष्ट करें जिसमें दिया हुआ है कि कोई विधेयक इस आदरणीय सदन में लाया जायेगा, किन्हीं तथ्यों पर, किसी रिपोर्ट पर, किसी जजमेन्ट पर आधारित होगी तो उसको भी सदन के संज्ञान में लाया जायगा। किन्तु यहां के एजेन्ट पर आज जो मोटर यान विधेयक लाया गया है, इसमें...

श्री उपाध्यक्ष—

वह अभी कहां आ गया हम तो 300 पर सुन रहे थे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरा प्वान्ट आफ आर्डर है मान्यवर, इस पर आप अपनी व्यवस्था दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं तो समझता था कि आप नियम 300 पर कह रहे हैं, आप इस पर कैसे आ गये...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इस पर आप व्यवस्था दे दें, अभी आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह नहीं। 300 की सभी सूचनाओं को मैंने अग्राह्य कर दिया है। अब विजय सिंह राणा (व्यवधान) कोई भी सूचना 300 के अन्तर्गत नहीं आती, सब को अग्राह्य कर दिया गया है।

311 में जो सूचनाएं दी गई हैं उनको मैं भी अग्राह्य करता हूं। अब विजय सिंह राणा क्या कहना चाहते हैं, कहें ?

श्री विजय सिंह राणा—

मैं नियम 311 में अपनी बात कहना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष—

311 तो मैंने अग्राह्य कर दिया है, और आप जो कुछ कहना चाहें, कहें।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

मैं प्रस्ताव तो कर दूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रस्ताव करने की अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

150 लोगों ने लिख कर दे दिया कि भ्रष्ट मन्त्री बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

दल का आन्तरिक मामला क्या है उसमें मैं क्या नोटिस ले सकता हूं ?

(व्यवधान)

आप सब लोग बैठ जाएं मैं सब को अस्वीकार कर चुका हूं। मैंने राणा जी को बुला लिया है। आप कहते हैं कि नियमों का पालन करेंगे, क्या ऐसे नियमों का पालन करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, या तो आप मुझे समझा दें या मैं आपको समझा दूं।

श्री उपाध्यक्ष —

मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

## प्रदेश की नगर पालिकाओं, टाउन एरियाज व विकास प्राधिकरण आदि की सीमा से लगे ग्रामों की भूमि को अधिग्रहण के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विजय सिंह राणा—

पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों की बड़ी गम्भीर समस्या है कि नगर महापालिका, नगर पालिका और टाउन एरिया से लगे जो गांव हैं उनकी बिना किसी नियम के, बिना किसी कानून के, बिना किसी कायदे के स्वायत्त संस्थाओं द्वारा विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों की जमीनें मनचाहे ढंग से ले ली जातीं हैं, और यह किसानों को मनचाहे दाम दे देती हैं। मान्यवर, मेरे आगरा जिले में बिचपुरी ब्लाक में चार गांव दहतोरा, मोहम्मदपुर, नगला, लखनपुर, सुनारी और मरौली अहीर ब्लाक के, चमरौली, बसई, तोरा, लकावली, नगला मेवाली आदि जो गांव नगला, हैं यहां की जमीनें एक्वायर की जा रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप विस्तार में न जायें।

श्री विजय सिंह राणा—

विकास प्राधिकरण द्वारा 1974 के मास्टर प्लान में, नक्शे में, इसे हरित पट्टी के रूप में दिखाया गया था। इसको पहले आवासीय योजना में लिया जाना था, सन् 2000 तक के लिए जिस भूमि को लिया गया उसका विकास नहीं हुआ है तब 2001 के लिए जमीन के अधिग्रहण का प्रश्न ही नहीं उठता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

6 घंटे से सुन रहे अब क्यों नहीं सुनेंगे ?

(व्यवधान)

मान्यवर, जब किसानों की जमीन का एक्यूजीशन किया जाता है तो धारा 5 में उनके आब्जेक्शन्स मांगे जाते हैं । लेकिन धारा 5 को हटा दिया गया है और धारा 4 की कार्यवाही सीधे कर दी गयी है । तो इस तरह से नियमों के विरुद्ध कार्य हो रहा है । मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां पर जो एक्यूजीशन की कार्यवाही हो रही है वह पूर्णतया अवैधानिक है इस कार्यवाही को तुरन्त स्टे किया जाय। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन की एक कमेटी बनायी जानी चाहिये जो वहां जा कर देखे कि किस तरह से अनियमित ढंग से एक्यूजीशन की कार्यवाही की जा रही है । तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि जमीन ली जाय तो यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि बाजार दर पर जमीन की कीमत किसानों को दी जायेगी । इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस पर चर्चा करवायें ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, माननीय राणा जी ने 311 में एक प्रश्न उठाया था ।

श्री उपाध्यक्ष—

311 में नहीं है ।

श्री माता प्रसाद—

तो फिर आप किस नियम में सुन रहें हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 52 में है, मुझे सुनने का अधिकार है । किसी को सुनने में कोई दिक्कत नहीं है ।

*श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, माननीय राणा जी ने जमीनों की समस्या के सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाया । वह एक मुख्य प्रश्न है जो केवल आगरे से ही सम्बन्धित नहीं है । किसानों की जमीन एक्वायर की जाती है लेकिन इसमें कानूनी प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जाता है । शासन का एक दृष्टिकोण इस सम्बन्ध में सामने आना चाहिये । जमीनें चाहे विकास प्राधिकरण एक्वायर करे या कोई संस्था करे, यह ठीक है कि जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के साथ मकानों की आवश्यकता होगी लेकिन किसानों से कम पैसों को पर बड़े आदमियों 5 लाख, 10 लाख लेकर मकान दिए जाते हैं तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किसानों को जो जमीनें एक्वायर की जाती हैं उनको मारकेट रेट से मुआवजा दिया जाय ।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं नियम 52 में चर्चा स्वीकार करने के लिए तैयार हूं ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर ।)

जब चर्चा होगी तो कह लीजिएगा ।

श्री किरनपाल सिंह—

[ × × × ]

श्री उपाध्यक्ष—

यह कुछ नहीं लिखा जाएगा ।

श्री किरनपाल सिंह—

[ × × × ]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय राणा साहब ने एक प्रश्न उठाया तो यह केवल आगरा से ही सम्बन्धित नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश से सम्बन्धित है । इस गम्भीरता को देखते हुए मंत्रि परिषद का एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है तो सम्पूर्ण मामले को देखेगी ।

मान्यवर, जैसे मैंने स्वयं कहा कि ।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, सरकार की नाक के नीचे लखनऊ विकास प्राधिकरण का भी यही हाल है ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, हमारी नाक के नीचे लखनऊ है तो माननीय शुक्ला जी की नाक के नीचे भी लखनऊ है दोनों की नाकें एक हैं अलग-अलग नहीं हैं कटेगी तो दोनों की कटेगी । मान्यवर, यह प्रश्न काफी गम्भीर है मैं समझता हूं कि आपने स्वयं निर्णय दे दिया है । उस पर उस दिन चर्चा होगी और सारा प्रकरण, जो सरकार ने कार्य किया है, जो इस समय कोशिश की जा रही है मार्केट रेट से नीचे मुआवजा न दिया जाये वह सारी चीजें सामने आ जाएंगी माननीय राणा जी ने कुछ विशेष स्थान के बारे में बात कही उन्होंने सदन का ध्यान आकृष्ट किया यह नोटिस मुझे मिली है । माननीय नगर विकास मंत्री से परामर्श कर मैं उनसे स्वयं सम्पर्क स्थापित करूंगा और उम्मीद है कि उनकी शंका का समाधान हो जाएगा ।

---

टिप्पणी—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 52 के अन्तर्गत 2 घंटे की चर्चा स्वीकार करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने मेरा नाम लिया ।

(व्यवधान के मध्य)

## उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1989†

संयुक्त सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1989 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ), को सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, यह क्या बात है, आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं सुनेंगे ?

## कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 56 के अन्तर्गत 17 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें से 10 सूचनाएं चयनित की गयी । इनमें से पहली श्री राम सजीवन, श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, कुंवर मानवेन्द्र सिंह, डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा की, दूसरी है श्री अनुग्रह नारायण सिंह की, तीसरी है श्री नरेन्द्र सिंह की और रघुवर दयाल वर्मा और श्री विजय सिंह राणा की, पांचवी है श्री किरन पाल सिंह, की, छठी है श्री राम चन्द्र दक्ष सिंह, श्री राज किशोर सिंह, श्री मित्रसेन और शारदा सिंह की, सातवीं है श्री रेवती रमण सिंह, श्री राम आसरे वर्मा, श्री हरि शंकर तिवारी, श्री हृदय नारायण, श्री शेर बहादुर सिंह, श्री अच्युतानन्द तिवारी, श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी, श्री जयदीप सिंह बरार, श्री जनार्दन प्रसाद अग्रवाल, श्री शारदा नन्द अंचल, श्री गोपी नाथ वर्मा, श्री भगवती सिंह, श्री फजलुल बर्क, श्री अब्बर हुसैन बाबर, श्री जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री भगवान दीन कुशवाहा, श्री राम शरण दास की, आठवीं है श्री बदन सिंह की, नवीं है श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की और दसवीं है श्री हर्षवर्धन, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री मैनेजर सिंह, श्री गौरी शंकर और श्री विष्णु देव की । अब मैं पहली सूचना लेता हूं ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री गोपी नाथ वर्मा—

[ × × × ]

श्री उपाध्यक्ष—

कुछ नहीं लिखा जाएगा ।

---

† छापा नहीं गया ।

टिप्पणी—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है आज आप 10 सूचनाएं सुनेंगे ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

10 सूचनाएं जो चयनित हुई हैं वह मैंने बता दिया अब चाहे वह हरिजन की हो दुर्बल की हो यह कोई सवाल नहीं है ।

श्री राम सजीवन--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं ।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

[ × × × ]

श्री उपाध्यक्ष--

कुछ नहीं सुना जाएगा और न लिखा जाएगा ।

*श्री राम सजीवन--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कार्य स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर मुझे सुनने का आपने मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं । बड़े संघर्ष के बाद आप यह मौका मुझे दिया, इसलिए आपका विशेष रूप से आभारी हूं। बुन्देलखण्ड में 5 जिले आते हैं बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, झांसी और जालौन और इसी के साथ-साथ इलाहाबाद जिले का दक्षिणी हिस्सा, मिर्जापुर जिले का कुछ भाग, यह जमुना से दक्षिण की ओर पूरी पट्टी सूखे से प्रभावित है । झांसी, ललितपुर से लेकर बांदा, इलाहाबाद और मिर्जापुर की पूरी पट्टी सूखे से गम्भीर रूप से प्रभावित है और जहां पर सूखे की समस्या इतनी गम्भीर और जटिल हो गई है कि अकाल और भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है, मैंने राज्य सरकार को और मुख्य मंत्री जी को कई पत्र लिखे । यह स्थिति अगस्त के अंत सितम्बर से शुरू हुई, लेकिन कई पत्र लिखने के बावजूद आज तक कोई राहत कार्य नहीं शुरू किया गया । पेयजल संकट के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है, लगान और तकावी माफ करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई और इसी के साथ साथ जो पानी का अभाव पैदा हो गया है, उसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है । मान्यवर, मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा और उनसे भी निवेदन किया कि इस इलाके में गम्भीर सूखा है, कृपया मदद कीजिए और आर्थिक सहायता पहुंचाइए और राहत कार्य खुलवाइए । प्रधान मंत्री जी ने राज्य सरकार को पत्र लिखा और उसकी सूचना मेरे पास भी भेजी कि आपका पत्र उत्तर प्रदेश सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम सजीवन--

मान्यवर, मैंने आपके प्रति बड़ी कृतज्ञता प्रकट की है ।

---

टिप्पणी--[* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्राह्यता पर बोल रहे हैं ।

श्री राम सजीवन--

मान्यवर, मैं बता रहा था कि इसकी सरकार ने लगातार उपेक्षा की है और राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट भी नहीं भेजी है कि वहां से आर्थिक सहायता सुलभ हो सके । इसके अलावा भी राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है । अब इसका उत्तर राजस्व मंत्री देंगे । हम जानते हैं कि उनके पास लगान माफी के बारे में कहेंगे, लेकिन वहां सूखा राहत में और भी कई विभाग सम्बन्धित हैं जैसे पेयजल, नगर विकास और भी कई विभाग सम्बन्धित हैं । इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केवल राजस्व मंत्री जी इसमें सक्षम नहीं हैं, यह पूरी सरकार का मामला है । राजस्व मंत्री केवल अपनी बात कहेंगे । इसलिए मेरे दो निवेदन हैं । राज्य सरकार अविलम्ब वहां राहत कार्य शुरू कराए, दूसरे केन्द्र सरकार को तत्काल लिखें ताकि वहां से यहां अध्ययन करने के लिए कोई टीम आवे । केन्द्र सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की जाय ।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

मान्यवर, बुन्देलखण्ड के पांचों जिले सूखे से प्रभावित हैं, जिसके बारे में राम सजीवन जी ने कहा । मैं आपको ललितपुर जनपद, जो पूरे प्रदेश का दक्षिणी भाग है, वहां की जनता पिछले दो साल से सूखे से बुरी तरह के त्रस्त है । उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर गत 15 अगस्त के बाद से आज तक पानी की एक बूंद भी ईश्वर की कृपा से नहीं गिरी है । मान्यवर, रबी की फसल और खरीफ की फसल सिर्फ पांच प्रतिशत उपलब्ध हो पाई है और पानी की सिंचाई केवल पलेवा में किसानों को मिली जिसके कारण सम्पूर्ण फसल सूखे से नष्ट हो रही है । जो है वह भी किसानों को मिलने की आशा नहीं है । वहां पर पेयजल की गम्भीर समस्या है । नालों का गन्दा पानी पीने को मिल रहा है । नदी, नाले, तालाब, बांध कुएं पूरी तरह से सूखे पड़े हैं । जिलाधिकारी ने भी मान्यवर, यहां पर राजस्व मंत्री को रिपोर्ट भेजी है । अस्सी प्रतिशत के मडावरा ब्लाक और साठ प्रतिशत महरौला ब्लाकों को छोड़कर बाकी सभी ब्लाक 100 प्रतिशत सूखे से प्रभावित हैं और कहीं भी अभी तक राहत कार्य नहीं किया गया है । मान्यवर, किसानों से वसूली लगातार जारी है । मान्यवर, वहां किसानों की उत्पीड़न की कार्यवाही चल रही है । किसानों को तहसील के बंदीगृह में डाला जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्राह्यता पर बोलें ।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज वहां का आदमी भीषण समस्या से जूझ रहा है । इस पर तत्काल कार्यवाही हो और चर्चा कराई जाय ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

मान्यवर, बुन्देलखंड के पांचों जिले अगस्त के बाद से पानी न बरसने के कारण गत वर्ष की भांति सूखे की चपेट में है, मैं झांसी जिले से आता हूं वहां स्थिति बड़ी भीषण हो गई है । इसमें कुछ कारण प्राकृतिक है तो कुछ कारण सिंचाई विभाग

का भी है। मान्यवर, झांसी जिले में नहरों का रोस्टर पूर्व में बना था कि नहरें 4 पानी देंगे, वहां नहर कम हैं जिले का 10 या 20 प्रतिशत क्षेत्र ही नहरों से सिंचित होता है। सिंचाई का कोई अन्य साधन नहीं है बाद में सिंचाई विभाग ने नया रोस्टर बना कर 4 पानी में से आखिरी पानी न दिलाने की घोषणा की। 4 पानी मिलने के आश्वासन पर ही लोगों ने गेहूं की अधिकतम फसल बो ली थी और अब पानी ना मिलने के कारण वह सूख रही है। भूमिगत जल स्तर भी गिर गया हर वर्ष की भांति से है, वहां पीने के पानी की भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई है। जो इसके कारण कुयें गर्मी के दिनों में सूखते थे वह अभी से सूख गये हैं। हैण्ड पम्प में भी पानी नहीं आ रहा है। कारण यह है कि कम गहरे हैण्ड पम्प तत्काल चाहिए, पुराने को खुदवायें और गहरा किया जाना चाहिए। सहकारी विभाग और सरकारी विभाग किसानों को वसूली के लिए भयंकर रूप से परेशान कर रहा है। किसान अपने घरों पर ताला लगाकर भाग रहे हैं। वहां से लोग पलायन कर दूसरे रोटी रोजी की तलाश में दूसरे प्रदेश जा रहे हैं। इसकी जांच कराई जाय कि ऐसा क्यों हो रहा है। वहां राहत कार्य तत्काल प्रारम्भ कराये जायें और सभी प्रकार की वसूलियां माफ की जाय। मान्यवर, बुन्देलखंड की इस भीषण समस्या के संदर्भ में भी मांग करता हूं कि आज सदन की कार्यवाही को रोककर इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराई जाय।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

मान्यवर, बुन्देलखंड के पांचों जिले हमीरपुर, ललितपुर, जालौन, बांदा, झांसी के सम्पूर्ण भाग तथा इलाहाबाद और मिर्जापुर के कुछ हिस्सों में अगस्त से पानी न बरसने के कारण भीषण सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। अकाल की छाया वहां मंडराने लगी है। बांदा जनपद में भूख से मौतें होनी शुरु हो गई हैं। इसी के साथ-साथ जनवरी के माह में भीषण पाला पड़ने से जो रबी की फसल बोई गई थी चौपट हो गई है। खरीफ की फसल भी चौपट हुई थी सरकार ने वहां किसी भी तरह के राहत के उपाय नहीं किए हैं। सहकारी और सरकारी वसूलियों के लिए किसानों को वहां लगातार परेशान किया जा रहा है। किसानों की जमीनें इस वसूलयाबी की आपाधापी में नीलाम हो रहीं हैं वह किसान मजदूर भूमिहीन हो रहे हैं। कुओं का जलस्तर नीचे गिर गया है, हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं उनका भी जलस्तर गिर गया है। नदी नालों का गंदा पानी पीने से भयंकर बीमारियां पैदा हो रही हैं। बांदा जनपद के हजारों की तादाद में किसान मजदूर अपने घरों पर ताला लगाकर दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। बड़े शहरों में रोजी रोटी के लिए लोग पलायन कर रहे हैं। जानवरों का मरना भी वहां शुरु हो गया है। शासन द्वारा वहां तत्काल कोई राहत कार्य नहीं चलाये जा रहे हैं और न ही कोई दूसरी व्यवस्था की गई है। इसकी वजह से वहां लोगों में बड़ा आक्रोश व्याप्त है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आज सदन के सारे काम रोककर इस गम्भीर और अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आप चर्चा करवाइये।

[समय 3 बजकर 20 मिनट]

राजस्व मंत्री (श्री माता प्रसाद)—

मान्यवर, झांसी मंडल, हमीरपुर, जालौन से फसल सूखने की कोई भी सूचना नहीं आई है। अभी तक केवल बांदा जिले की रिपोर्ट आयी है, फसल सूखने के बारे में। इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग, उर्जा, कृषि, ग्राम्य विकास, खाद्य तथा रसद, नगर विकास, संस्थागत सहकारिता आदि जो भी सम्बन्धित विभाग हैं, उनको इसकी सूचना दे दी गई है कि वहां सूखा पड़ा है और वह अपने स्तर से कार्य करें। इसके लिए निर्देश दिया जा चुका है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कलेक्टर

अपने-अपने जिलों से रिपोर्ट देंगे कि फसल का कितना-कितना नुकसान हुआ है, उसकी सूची बनाकर देंगे, तो मालगुजारी माफ करने पर विचार कर लिया जाएगा। मालगुजारी के सम्बन्ध में हर गांव की अलग-अलग सूची आती है। जहां तक वसूली का सम्बन्ध है उसे पहले ही स्थगित किया जा चुका है और मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए किसी को उत्पीड़ित नहीं किया जायगा। अभी 3 महीने के लिए दिनांक 31 मार्च तक मालगुजारी पहले से ही स्थगित है, अगर आगे आवश्यकता पड़ेगी तो उस पर विचार कर लिया जायगा। इसके बीच में कोई रिपोर्ट आ गई, तो माफ कर दिया जायगा। एक चीज में और कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति वसूली के लिए परेशान नहीं किया जायगा। पानी उपलब्ध कराने के लिए सम्बन्धित विभाग से लिखापढ़ी हो रही है। बांदा जनपद में 200 हैन्ड पम्प लगवाने की मांग आई है और इसके लिए 4 लाख रु0 की मांग की गई है।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह--

ललितपुर जनपद में जो पेयजल संकट है, वहां से तो सूचना आ चुकी है।

श्री माता प्रसाद--

ललितपुर जनपद से हमें अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जब भी इन जिलों से हमें सूचना प्राप्त हो जावेगी, वहां राहत कार्य करने के लिए तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ की जायगी।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद के 35 ऐसे विद्यालय, जो हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित हैं, वहां अध्यापकों, कर्मचारियों व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 7 महीने से वेतन नहीं मिला है, वह लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। इन विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले अधिकतर बच्चे, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हजारों परिवारों के हैं और यह बच्चे आज सड़कों पर घूम रहे हैं, विद्यालय में पठन-पाठन पूरी तरह से बन्द हो गया है। इन हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जैसे बाई, चपरासी, चौकीदार आदि को केवल 50 रु0 महीना वेतन मिलता है और मान्यवर, यह समाजवादी सरकार कहती है कि हम न्यूनतम वेतन दर लागू करेंगे, लेकिन इनके द्वारा संचालित विद्यालयों में 50 रु0 महीना वेतन दिया जाता है। पिछले 7 महीनों से वेतन न मिलने की समस्या को लेकर कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है।

मान्यवर, वहां पर कर्मचारियों की तनख्वाहों के लिए जिला योजना में पुनर्विनियोग करके पैसा दिया गया था, लेकिन उस रुपये का उपयोग यहां दूसरे काम में कर लिया गया। मैं सचिव महोदय के यहां बैठा था, इत्तिफाक से निदेशक महोदय भी आ गये और उन्होंने कहा कि मैं इस पर विचार कर रहा हूं। मान्यवर, आज इन लोगों को गरीब बच्चों और उनके गरीब अभिभावकों की चिन्ता नहीं है सात महीने से वेतन नहीं दिया गया और विचार हो रहा है। यह अत्यन्त गंभीर मामला है। मैं चाहूंगा कि इसके लिए मंत्री जी को निर्देश दें कि गरीब अध्यापकों व कर्मचारियों को वेतन दे दिया जाय और इसके बाद वह सदन में इसकी घोषणा भी करें कि उनको वेतन दे दिया गया है तथा सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

*हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्रीमती दोपा)--

मान्यवर, पहले तो मैं यह बता दूं कि माननीय सदस्य ने जिन विद्यालयों का उल्लेख किया, उन्हें हरिजन एवम् समाज कल्याण विभाग नहीं चलाता है। वे स्वैच्छिक संस्थायें हैं, सिर्फ हरिजन समाज कल्याण विभाग अनुदान देता है। 7 महीने से वेतन नहीं मिला है, यह बात उनकी सही थी, मगर हफ्ते भर पहले उनको स्वीकृति दी जा चुकी है। चतुर्थ श्रेणी के वेतन बढ़ने की जो बात कही है, मैं यह बता दूं कि सिर्फ शिक्षकगण के लिए हम यह अनुदान देते हैं, जो कन्या पाठशालायें और उनमें जो दाईयां हैं, उनको हम मानदेय देते हैं। किसी माननीय सदस्य ने कहा कि इन्हें 45 रु0 देते हैं तो यह सुनकर मुझे बड़ी वेदना हुई, इसे सवा दो सौ रुपये स्वीकृत करने में हमें सहयोग करेंगे। इस प्रकार मान्यवर, न यह अविलम्बनीय है और न लोकमहत्व का है, इस पर आप चर्चा न करायें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, लोकमहत्व का क्यों नहीं है, यह मैं बताना चाहता हूं। 7 महीने से वेतन नहीं मिला है। दूसरा, माननीय मंत्री सदन को गुमराह कर रही हैं, इन विद्यालयों को हरिजन एवम् समाज कल्याण विभाग के नियमों के हिसाब से ही चलाया जाता है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वेतन 50 रु0 मिलता है पांच रु0 प्रावीडेन्ट फन्ड का काटा जाता है।

श्री उपाध्यक्ष--

कृपा करके आप बैठ जायं। आपने अपनी बात कह दी और माननीय मंत्री जी ने अपनी बात कह दी।

श्री नरेन्द्र सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अत्यन्त लोक महत्व के प्रश्न की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरठ जनपद का वैसे ही दुर्भाग्य रहा है, अभी हाल में ही वहां पर 4 सामूहिक हत्याकाण्ड हो चुके हैं। मेरठ से मिले जनपद के गृह राज्य मंत्री जी यहां पर विराजमान हैं, परन्तु उन्होंने किसी भी सामूहिक हत्या कांड में जाकर नहीं देखा कि क्या हो रहा है। पिछले 2 हफ्ते से इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं। मान्यवर, दो थाने-एक सुरुरपुर और दूसरा सरधना में 14/15 तारीख को 25-30 आदमी मुंह बांध कर आये और 4 किसानों की हत्या कर दी। उसमें से एक बेचाना ग्राम रास्ता का था, एक मदौड़ा का था और एक मीरपुर ग्राम का था। आगे जाकर एक तांगे वाले की हत्या कर दी और एक बस ड्राईवर की हत्या कर दी। आज 50 गांव ऐसे हैं, जहां लोग रात में सो नहीं पा रहे हैं। दिन में खेत में जाने की हिम्मत नहीं है। जाते भी हैं तो 20-25 आदमी इकट्ठा होकर जाते हैं। आज तक वहां पर न इनका कोई अधिकारी गया और न कोई मंत्री गया। कोई कार्यवाही नहीं की गई और न आज तक कोई गिरफ्तार किया गया। यदि इसी प्रकार आतंकवाद की गतिविधियां चलती रही तो सड़कों पर चलना दूभर हो जायेगा। खासकर थाना सुरुरपुर व थाना सरधना के अन्तर्गत आने वाले लोगों की कोई सुरक्षा नहीं है, सब अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए आज इस पर चर्चा करवायें। मेरठ की स्थिति पहले की सामूहिक हत्याकाण्डों से भयाक्रान्त है। माननीय मंत्री जी कुछ तो कार्यवाही वहां पर करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जिन घटनाओं की तरफ हकूमत का ध्यान आकर्षित कराया है, मैं पहले अर्ज कर दूं कि जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि आप लोग वहां कोई नहीं जा रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारी तरफ से जितनी भी देखभाल हो सकती है, वह की जा रही है। मैं खुद गया था बुलन्दशहर, गांव में मैं खुद गया था। चूंकि इस समय हाउस चल रहा है, इसलिये जाना नामुमकिन है। इन घटनाओं में पूरी सतर्कता बरती जा रही है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो मुल्जिम हैं, जल्द से जल्द उनको पकड़ें और उनके विरुद्ध कार्यवाही करें। जो पुलिस अधिकारी मौजूद हैं उन्होंने 3-4 थाने के थानेदारों को मिलाकर गश्त की व्यवस्था कर दी है और पी0 ए0 सी0 की गश्त भी जारी है। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो घटनायें हैं, जिनका ब्यौरा आ गया है, उन पर नियंत्रण किया जाय और मुल्जिमों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जल निगम को समस्याग्रस्त गांवों में हैण्डपम्प लगाने की जिम्मेदारी दी गयी थी। जो हैण्डपम्प लगे हैं वर्ष 1985 से 1988 तक उनमें से 60 प्रतिशत गांवों में और शहरों में खराब हैं। इस सम्बन्ध में ग्राह्यता के सम्बन्ध में दो बातें हैं एक तो यह कि इस हैण्डपम्प को खरीदने के लिये जल निगम ने एक ही कम्पनी को ठेका दिया और भारत सरकार ने एक विदेशी संस्था "यूनीसेफ" से परीक्षण करने के लिये कहा। जब परीक्षण किया गया तो जो सामान देहात के लिये जल निगम को सप्लाई किया गया, उस सम्बन्ध में "यूनीसेफ" ने भारत सरकार से कहा कि जो परीक्षण के लिये दिखाया था, उस मानक का नहीं है लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार से कहा जाय कि इनको नगर और देहातों में न लगायें। इसके बाद जल निगम ने देहात में उनको लगाया। इसका नतीजा हुआ कि जो गांव पानी की कमी से ग्रस्त थे, अब भी हैं। 15-16 हजार रु0 का हैण्डपम्प है, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं गिराता है। मैं चाहूंगा कि जब जांच करने के लिये जाते हैं तो एक तो यह होता है कि यान्त्रिक दोष है, जिसके कारण नहीं चल रहा है, दूसरा कारण आता है कि बोरिंग की खराबी हो सकती है। ग्राम्य विकास से जहां 2 करोड़ 60 लाख रु0 हैण्डपम्प की मरम्मत के लिये मिलता है, वह भी रख-रखाव शाखा ने मरम्मत के कार्य पर इस्तेमाल नहीं किया है। इससे दुगना रुपया नगर विकास विभाग मरम्मत के लिये देता है। ये जो बातें हैं मैं चाहूंगा कि एक हाई पावर कमेटी गठित कर दी जाय और जो भी दोषी हैं चाहे एम0 डी0 हों या और कोई हों, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय करोड़ों का मामला है यह लोक महत्व का विषय है, इस पर चर्चा कराने की आज्ञा प्रदान करने का कष्ट करें।

नगर विकास मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)--

मान्यवर, माननीय रघुवर दयाल जी से सुन रहा हूं कि देहात में जो हैण्डपम्प भेजे जाते हैं, जल्द ही खराब हो जाते हैं और उनकी मरम्मत नहीं की जाती है, तो मैं उनको यह आश्वस्त करता हूं कि हम देखेंगे और देखकर उनकी मरम्मत की व्यवस्था करेंगे और जहां पीने के पानी की कमी है वहां नये इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प लगाने की कोशिश करेंगे ताकि जो पेयजल की कठिनाई है, दूर हो सके। मैं माननीय सदस्य से यह अनुरोध करता हूं कि आगे उनको शिकायत का मौका नहीं दूंगा और उस कार्य को हम सम्पन्न करेंगे।

श्री किरन पाल सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से—

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि हैण्डपम्प को दिखवा लेंगे । मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि वहां पर एक भी हैण्डपम्प में पानी नहीं है । खरीद म करोड़ों का घपला है । इसलिये हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट आनी चाहिये इसलिये आप इस पर चर्चा स्वीकार करने की कृपा करें ।

*श्री किरन पाल सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक लोक महत्व की ओर अविलम्बनीय सूचना की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, जिस विषय की ओर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं वह बहुत ही गम्भीर और विचित्र विषय है । मान्यवर, बुन्देलखण्ड और गाजियाबाद में मध्य गंगा नहर की योजना चल रही है जिसमें कि लखवटी ब्रांच नहर भी है । लखवटी ब्रांच नहर का इस समय निर्माण कार्य चल रहा है । इस लखवटी ब्रांच नहर के अन्तर्गत जिन किसानों के गांव बीच में आ गये हैं, विडम्बना यह है कि उनसे भी तावान, आबपाशी लेने के लिये सूचना भेजी जा रही है । माननीय सिंचाई मंत्री ने अपना बजट पेश करते हुए कहा था कि लखवटी मुख्य शाखा को वर्ष मार्च, 1989 तक पूर्ण कर शीर्ष से टेल तक चलाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि जब उनके विभाग के अधिकारी 1987–88 और 1988–89 का तावान क्यों भेज देते हैं, इससे लाखों किसानों को आक्रोश है और वे आन्दोलनरत हैं । इसलिये यह जो किसानों पर तावान पेनाल्टी के रूप में वसूला जा रहा है, इसको वापस लिया जाय अन्यथा वहां वातावरण हिंसक होने की सम्भावना है । किसानों की वह जेनुइन मांग है और तावान को आप को वापस लेना चाहिये ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, किसानों से किसी तरह की गलत वसूली करना गलत है । माननीय किरनपाल सिंह ने जो प्रश्न उठाया है कि वहां पर किसानों से पैसा वसूल किया जा रहा है, सिंचाई जिनकी नहीं हुई है उनसे भी पैसा लिया जा रहा है तो जिन्होंने सिंचाई नहीं करायी है, उनसे किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जायेगा ।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, जब [नहर बनकर तैयार ही नहीं हुई है तो उससे किसान सिंचाई कैसे करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—]

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि क्या व्यवस्था है, इसे दिखवा लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राम सजीवन, माननीय देवेन्द्र कुमार सिंह, माननीय कुंवर मानवेन्द्र सिंह तथा माननीय श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की सूचना जो कि बुन्देलखण्ड के समस्त जनपद,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इलाहाबाद, मिर्जापुर में सूखे से उत्पन्न स्थिति के बारे में है, इस पर एक घण्टे की चर्चा स्वीकार की गयी है। माननीय नरेन्द्र सिंह की सूचना को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है। माननीय किरनपाल सिंह की सूचना को भी वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है। शेष सभी सूचनायें अस्वीकार की गयी हैं।

*कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, आपसे उस दिन बात हुई थी और आपने कहा था कि 5 उस दिन की और 5 आज की सूचना ली जायेंगी। जब एक बार बात हुई और उस पर आपने कह भी दिया कि उस दिन की 5 सूचनायें ली जायेंगी तो आज आपने केवल आज की ही सूचनायें क्यों ली हैं क्या कल की सूचनायें समाप्त हो गयीं ? यह कैसे हो गया ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने केवल आज की ही 5 सूचनायें ली हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या कल वाली सूचनायें आपने खत्म कर दीं ?

(एक साथ कई सदस्यों के खड़े होकर जोर-जोर से बोलने के कारण व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

हैण्ड पाइप वाले पर चर्चा एक घंटे की स्वीकार कर ली गयी है।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

कल मान्यवर, आपने स्पष्ट कहा था कि 5 कल की और 5 आज की। इस प्रकार से कुल 10 हो गयीं....

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं ऐसी कोई बात तय नहीं हुयी, जो मुझे जानकारी है, उसी के अनुसार करना है मुझे, जो शलाका में आता है, उसी के अनुसार करना होता है। कृपया अपना-अपना आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, आप सत्य से परे बात कह रहे हैं,, और जो आश्वासन आप देते हैं, उसे पूरा नहीं करते हैं, यह मान्यवर, अच्छी बात नहीं है....आपकी ओर से....

(घोर व्यवधान)

आप मान्यवर, बात सही नहीं बोल रहे हैं....

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

कल की सारी सूचनायें अस्वीकार की गयी हैं, इसलिये कल की सूचना फिर आने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, कृपया शांत रहें....

(घोर व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

कल मान्यवर, आपने कहा था कि कल की 5 और आज की 5 सूचनायें दोनों मिलाकर ले ली जायेगी....

(घोर व्यवधान)

श्री पूरन सिंह माहरा--

मान्यवर, यह क्या हो रहा है, शांत करिए आज पर्वतीय विकास का महत्वपूर्ण बजट है....(एक साथ कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, यदि आप सच्चाई से काम नहीं लेंगे तो मैं भी इसी तरह खड़ा रहूंगा, देखें चले कार्यवाही....

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 56 ही चलता रहेगा, अब तक ? कृपया अपना-अपना आसन ग्रहण करें ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, एक सूचना हमारी बेरोजगार स्नातक इन्जीनियर्स के सम्बन्ध में है और यह लोग कई दिनों से विधान भवन के बाहर आंदोलन चला रहे हैं जहां तक मुझे जानकारी है कि इनका आंदोलन बहुत ही रचनात्मक है और यह सरकार की सबब की नीति रही है कि यह रचनात्मक को पहले संघर्षात्मक बना देते हैं, उसके बाद....

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अब नियमों के पालन ऐसे ही होंगे ? कृपया आसन ग्रहण करें जो नियम आपने बनाए हैं ? कार्यवाही उसी के अनुसार होगी ।

(घोर व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह--

आपके कक्ष में कल जब हम लोग बैठे थे और हम लोगों ने जब जानकारी आपसे चाही तो आपने यही कहा कि कल की 5 सूचनायें ले लेंगे और आज की भी 5 ले लेंगे, इस प्रकार से 10 हो जायेंगी तो हम लोगों ने कहा कि क्या फिर लिखकर देना पड़ेगा तो आपने कहा कि नहीं लिखकर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो इससे तो यह बात स्पष्ट हो गयी कि आज 10 सूचनायें ही ली जायेंगी, तो अब इस बात को बदलने की क्या बात है, फिर उसमें हम लोगों के नाम भी हैं, क्योंकि सूचना हम लोगों की कल है, इसलिये कल के नाम भी उसमें अंकित हैं इस हिसाब से भी हम लोगों की सुनी जानी चाहिये....

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कल वाली कोई सूचना आज नहीं है, नाम भी उसमें नये हैं, कल के नाम नहीं हैं और हमारी आपकी कोई कल बात-चीत इस बारे में कहीं पर नहीं हुई। कृपया बैठें, आसन ग्रहण करें।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह—

अगर परसों सदन में आया था तो मैंने कोई बात नहीं कही, लेकिन जब कल एक निर्णय हो गया, उसके बाद ऐसा हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—

कहां निर्णय हुआ ? मुझे तो पता ही नहीं।

(व्यवधान के ही मध्य)

कुंवर रेवती रमण सिंह—

अगर हमारी बात सही नहीं है, तो हमारा नाम कहां से आ गया। मैं जाऊंगा नहीं, आप हमें निलम्बित कर दें।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, रेवती रमण सिंह कभी इस तरह का रवैया नहीं अपनाते हैं, जैसा आज खड़े हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक सूचना दी। कल दी है या आज दी है, उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा निवेदन है कि उन्होंने कभी भी इस तरह से नहीं किया है। आप उनको अपने कक्ष में बुलाकर उनकी बात सुन लें और देख लें। आज नहीं तो कल इस पर निर्णय दे दें। आज वर्कलीय विकास विभाग का बजट है और 4 बजने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी सूचना किस विषय पर है ?

कुंवर रेवती रमण सिंह—

सूखे के सम्बन्ध में है....

श्री उपाध्यक्ष—

सूखे के सम्बन्ध में नहीं, ग्रेजुएट इन्जीनियर्स के बारे में है।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

कल जो दिया था।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने उसको अस्वीकार कर दिया था। आप सूचना फिर दे दें।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

आज जब आप निलम्बित करेंगे, तभी जाऊंगा। बात कुछ होती है और निर्णय कुछ होता है। यह तो आपके दफ्तर की गड़बड़ी है। जो बात तय होती है, उसका उल्टा काम होता है। रोज लिखकर हम भेजते रहें, मैं जानना चाहता हूं कि क्यों ऐसा हुआ ?

श्री शारदा प्रताप--

मैंने 50 हजार सूती मजदूरों के बारे में सूचना दी थी, उसका क्या हुआ ? यह बड़ा अहम मामला है.....

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने कल सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया था । उस पर निर्णय हो गया है, आप कल दूसरी सूचना दे दें ।

(व्यवधान)

(कुंवर रेवती रमण सिंह के अपने स्थान पर खड़े रहने पर व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मैं बैठूंगा नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष--

तो नियमों के खिलाफ कैसे करूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

आप मुझे निलम्बित कर दें, मैं चला जाऊंगा ।

श्री शारदा प्रताप--

विधान सभा के सामने मजदूर अपनी समस्याओं को लेकर धरना दे रहे हैं लेकिन मजदूर विरोधी यह सरकार बोलने का मौका नहीं दे रही है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं 15 मिनट के लिये सदन को स्थगित करता हूं ।

(इस समय 3 बजकर 50 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित कर दी ।

4 बजकर 5 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि माननीय उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजकर 30 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है ।

4 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल नें पुनः सूचित किया कि माननीय उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट और बढ़ा दिया है ।

4 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि माननीय उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 5 बजे तक बढ़ा दिया है ।

5 बजे डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया, कि माननीय उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट और बढ़ा दिया है ।

5 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि माननीय उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 5 बजकर 30 मिनट तक और बढ़ा दिया है ।

5 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि माननीय उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 5 बजकर 45 मिनट तक और बढ़ा दिया है ।

5 बजकर 45 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि माननीय उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 6 बजे तक के लिये और बढ़ा दिया है ।

6 बजे डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि माननीय उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 6 बजकर 30 मिनट तक बढ़ा दिया है परन्तु 6 बजकर 12 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

## तराई विकास जनजाति निगम के अधिकारी श्री शंकर दत्त ओझा द्वारा श्री हरदेव, सदस्य, विधान सभा के साथ कतिपय माननीय सदस्यों के समक्ष किये गये अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवमानना की सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है ।

मान्यवर, मेरे संज्ञान में एक तथ्य आया है कि इस आदरणीय सदन के सदस्य के साथ एक अधिकारी ने इतना अभद्र अनैतिक व्यवहार किया है कि जिससे मान्यवर, विशेषाधिकार की अवमानना हुई है । सदन के माननीय सदस्यों के समक्ष हुई है । मेरी जानकारी में यह भी मामला आया है कि उसकी लिखित सूचना आपके पास भी पहुंच गयी है । घटना के विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं, केवल प्रार्थना करना चाहता हूं। वह घटना माननीय सदस्यों के संज्ञान में है । नियमावली के नियम 63 में विशेषाधिकार की अवहेलना की स्थिति स्पष्ट की गयी है, उसके परन्तुक को देखने की कृपा करें । अगर कोई घटना सदन के संज्ञान में है, सब सदस्यों के सामने है, उसका तत्काल निस्तारण किया जाना है । इसमें एक बात और जोड़ दी है, माननीय सदस्य ने लिखित सूचना दे दी है । यह अनुसूचित वर्ग के विधायक हैं, इनको मारा गया, यह जानते हुए कि वह हरिजन हैं, विधायक हैं और विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं । माननीय हरदेव जी को भी आप सुनें । नियम 67 व 71 को देखें जिसमें साफ-साफ व्यवस्था है कि सदन कोर्ट के रूप में खड़ा होकर, दण्ड का प्राविजन कर सकता है । माननीय मुख्य मंत्री जी भी नेता सदन की हैसियत से खड़े होकर खुद कोई बात कहें उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की बात कहें । माननीय हरदेव जी को भी सुनें ।

*श्री हरदेव—

माननीय उपाध्यक्ष जी, जब आप 3-50 पर सदन को स्थगित किये हैं तो मैं सदन से बाहर कागज लेकर ज्यों ही "हाँ" की गैलरी से आगे गया तो एक अधिकारी मेरे सामने आया और कहा कि तुम मुख्य मंत्री से मेरी विजिलेंस की जांच बिठवा दिये, तो मैं चौंक गया सुन करके, मैंने कहा भाई बताओ, क्या बात है । वह बोला तुम्हारा नाम हरदेव है, विधायक हो और तुम बलिया के हो । तुम नहीं समझते हो, मेरा भाई सुप्रीम कोर्ट में जज है । मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो । हम तुमको देख लेंगे । सदन में सवाल उठाना चाहते हो । इसके बाद हमारी बांह पकड़ी । उसके नाखून से मेरी उंगली कट गई और खून उसमें से आया । इसके बाद शोर पड़ने पर सदस्य और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सुरक्षाकर्मी गैलरी में पहुंच गये और उन्होंने बीच-बचाव किया और उस अधिकारी को पकड़कर माननीय अध्यक्ष के कमरे में सुपुर्द किया और उस अधिकारी से बातचीत हुई पूछा गया। नाम पूछा गया उसने अपना नाम शंकर दत्त ओझा बताया। उसका काम पूछा गया तो बतलाया कि तराई विकास जनजाति निगम का मैं अधिकारी हूं। मैं यह सूचना लिखित रूप से श्रीमन्, के पास दिया हूं। श्रीमन्, गरिमा के खिलाफ उन्होंने काम किया है। इसलिये मैंने आपसे दरख्वास्त किये हैं और विशेषाधिकार की नोटिस दिये हैं और इनके विरुद्ध आज ही कार्यवाही करने की मांग की है। श्रीमन्, यह आज की घटना यही है।

*श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय हरदेव जी ने एक पत्र आपको लिखा है। उसको मैं पढ़े देता हूं। उसकी कापी मेरे पास है।

माननीय अध्यक्ष जी,

विधान सभा, उ0 प्र0, लखनऊ।

मान्यवर,

आज दिनांक 2 मार्च, 1989 को सायंकाल 3-50 बजे विधान सभा जब 10 मिनट के लिये स्थगित हुई तब मैं "हॉ" लाबी की गैलरी से बाहर ज्यों ही निकल रहा था कि विधान सभा कम्पस की गैलरी में ही एक अधिकारी ने मुझे रोका और धमकी देते हुए कहा कि तुम्हारा ही नाम हरदेव है बलिया के विधायक हो। तुमने मेरे खिलाफ मुख्य मंत्री को शिकायत की है। विधान सभा में प्रश्न उठाने की धमकी देते हो। चमारिया तुझे नहीं मालूम, तुम नहीं जानते हो कि मेरे बड़े भाई सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो और बांह पकड़ कर जोर-जोर से धमकाने लगा कि बोलो तुमने लिखा है कि नहीं। शिकायत-पत्र वापस लेते हो कि नहीं। तुम्हें अभी बताता हूं, मेरे बांये हाथ का पंजा उसके नाखून से जख्मी हुआ है। साथ ही शोर सुनकर काफी लोग तथा सुरक्षा और माननीय विधायकगण आदि इकट्ठे हो गये। मुझे छुड़ाया और उसे माननीय अध्यक्ष के कमरे में ले गये। उस अधिकारी ने अपना नाम शंकर दत्त ओझा बताया अपने को तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम का अधिकारी बताया। यह घटना विधान सभा परिसर में हुई। इस कारण इस पर तत्काल कार्यवाही होना आवश्यक है। इसके विरुद्ध विशेषाधिकार की नोटिस देता हूं। इसकी प्राथमिक रिपोर्ट पुलिस में भी कर दी जाय।

यह पत्र माननीय हरदेव जी ने आपको लिखा है जिसकी प्रतिलिपि मेरे पास है। यह पत्र आपको मिला है या नहीं ?

[समय 6 बजकर 20 मिनट]

*कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, आज जो घटना घटी है, वह विधान सभा के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है और इससे इस सदन के दोनों तरफ के सदस्य उद्वेलित हैं। यह कोई पहली घटना नहीं है, विधान सभा के बाहर एक नहीं, अनेकों बार इस तरह की घटनायें हो चुकी हैं, जिन्हें विधान सभा में भी उठाया गया है, अगर मान्यवर, इन घटनाओं पर प्रभावी कार्यवाही की गई होती, तो इस तरह की घटना न घटती। उसी का नतीजा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज यह है कि दो माननीय सदस्य श्री कत्याल और श्री रंजीत सिंह की हत्या भी हो गई। रोजाना मान्यवर, विधायकों के साथ इस तरह की घटनायें घटती हैं, आज तो उसकी इन्तिहा हो गयी, जब माननीय हरदेव जी जा रहे थे, तो अधिकारी जो यहां बैठा हुआ था, बाहर निकला और इनके साथ अभद्र व्यवहार किया। इन्होंने तो बड़ी संयत भाषा में और बड़े धीरज से बताया है, लेकिन असलियत यह है कि वह बड़ी उद्दंडता का व्यवहार इनके साथ कर रहा था। अगर हम लोग न होते, हर्षवर्धन जी, राकेश जी तथा गौरी भइया आदि लोग, तो संभवतः उस अधिकारी ने इनको चांटा लगाया होता।

मान्यवर, यह घटना विधान सभा के इतिहास में पहली घटना है। मैं यह चाहूंगा कि विधायकों के साथ पूरे प्रदेश में जो प्रतिदिन हो रहा है और जब भी विधायकगण अधिकारियों से मिलने जाते हैं, चाहे सचिवालय हो, चाहे जिला कार्यालय के हों, कोई भी अधिकारी खड़ा होकर विधायकों से मिलता नहीं है। इसका कारण यह है कि मंत्रियों ने अपना स्तर इतना गिरा लिया है और मंत्रियों की बात कोई सुनता नहीं है। मंत्री कुछ भी लिख दें, उसका क्रियान्वयन नहीं होता और विधायक बेचारा यहां से वहां दौड़ता रहता है, आज उसकी हालत चपरासी से भी गैरत है। आज हरदेव जी, जो एक हरिजन विधायक हैं, निर्बल वर्ग आते हैं, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, वह विधान सभा की अवमानना है। मैं चाहता हूं कि इसको गम्भीरता से लेते हुए मेरा प्रस्ताव है कि यह सदन एक कोर्ट के रूप में परिवर्तित कर दिया जाये, लेकिन उसके पहले माननीय सदस्यों की बात सुन ली जाय और उसके बाद सुनवाई करके नियम-63 के अन्तर्गत यहीं पर कार्यवाही होनी चाहिये और उस अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये। आज अगर कार्यवाही नहीं की गयी, तो विधान सभा के इतिहास में आज का दिन काले अक्षरों में लिखा जायगा। इसमें कोई ब्यूरोक्रेसी को बचाने की बात नहीं है, यह विधायकों के सम्मान की बात है, यह पूरे विधान सभा की अवमानना हुयी है।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि और नियम कानून अपनी जगह पर हैं, लेकिन आज जो घटना हुई है, उसके लिये उस अधिकारी को दंडित किया जाना चाहिये, ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। अन्यथा वह दिन दूर नहीं, जब इस विधान सभा के अन्दर घुसकर अधिकारी लोग इस तरह की हरकतें करेंगे। इस तरह की घटना पिछले वर्ष सचिवालय में घटी थी, उसमें भी कोई कार्यवाही नहीं हुई और इसीलिये आज इन लोगों के हौसले इतने बुलन्द हैं। इसकी गम्भीरता को देखते हुये इस पर आज तत्काल कार्यवाही करने की कृपा करें।

*श्री राम शरण दास--

मान्यवर, जो शर्मनाक घटना हुई है, मैं विधान सभा को 10 साल से देख रहा हूं, जो कुछ बाहर हुआ हो, उसका वर्णन किया गया। लेकिन विधान सभा परिसर के अन्दर और आपके कमरे के सामने ऐसी घटना घटी है, जिससे हम सभी का सिर शर्म से धरती में गड़ा जा रहा है, चाहे आपका सिर झुका हो या न हो। अगर इस तरह के खराब अधिकारी को जिन अधिकारी ने यह चीजें की हैं, हरदेव जी के साथ, अगर आज उस अधिकारी को यहां पेश करके सजा नहीं दी गयी, तो आप सभी विधायकों के साथ अन्याय करेंगे। आप इस कुर्सी की परवाह मत करें, यह तो आती जाती रहती है। मैं तिवारी जी से भी कहना चाहता हूं, आप पुराने समाजवादी हो आज मुख्य मंत्री हो कल नहीं रहोगे, आप द्वारा उस अधिकारी को सजा मिलनी चाहिये, यह हम लोग यहां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तय करके बैठे हैं। आज आप उस अधिकारी के सम्बन्ध में यहां कोई सर्वसम्मत फैसला कीजिये, इसमें कोई हिचक वाली बात नहीं है। आज चाहे असेम्बली भंग हो जाये, हम रहें या न रहे, इसकी हमें कोई परवाह नहीं है, चाहे हमारी सीट चली जाय, लेकिन उस अधिकारी को जेल भेजा जाय, तभी हम लोग शान्त होंगे।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, जो घटना हम सब लोगों के सामने हुई, वह बड़ी शर्मनाक है। इस घटना को मान्यवर, सदन के अन्दर ही मानना चाहिये क्योंकि यह जो गैलरी का दरवाजा है, उस दरवाजे से निकलते ही माननीय हरदेव जी के साथ यह घटना हुई। मान्यवर, यह सदन अपने में पूरी तरह से सक्षम है। किसी भी ऐसे अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित करने के लिए जो सदन का अपमान करता है, जो सदन के कार्यों को करने में बाधा पहुंचाता है। आप नियम 67 को देखने का कष्ट करें। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि "यदि अध्यक्ष इस मत के हों कि सूचना का विषय ऐसा है जो बिना विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किये ही सदन में निस्तीर्ण किया जा सकता है तो यह प्रस्ताव किया जा सकेगा कि प्रश्न पर तत्काल या किसी आगामी तिथि पर विचार किया जाये।" मेरा निवेदन है कि इस सदन को कार्यालय के रूप में परिवर्तित करने का आदेश दें और उस अधिकारी को बुलाकर दण्ड दें।

*श्री जयदीप सिंह बरार—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज जो विषय इस आदरणीय सदन के विचाराधीन है। माननीय सदस्य श्री हरदेव जी ने जो विशेषाधिकार व सदन के अवमान की सूचना दी है, उसके सम्बन्ध में मैं दो बातें कहना चाहता हूं। इससे पहले भी इस तरह के मामलों में सदन का ध्यान आकर्षित कराया जा चुका है। कि माननीय सदस्यों को अपने कार्यों व दायित्वों के निर्वहन में किस तरह से कई लोग अधिकारी लोग धमकी देते हैं। पहले यह परम्परा थी कि विशेषाधिकार की सूचना को आप सदन के अन्दर सुन लेते थे, किन्तु कुछ समय से यह परम्परा बन गई है कि आप उसे बिना सुने विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर देते हैं। अथवा अस्वीकार देते हैं यदि किसी मामले में सर्वसम्मति से विशेषाधिकार समिति ने अनुशंसा कर भी दी तो आज तक उस पर कार्यवाही नहीं हो पाई। इसी की परिणति है कि जिस धृष्टता व अभद्र व्यवहार अधिकारी लोग माननीय सदस्यों से जिलों में करते थे आज वह यहां से चलकर इस विधान सभा तक आ गया। यह जो घटना हुई, इसके पीछे के पूर्व नियोजित मामला था। यह घटना तब हुई जब श्री हरदेव जी सदन से उठकर बाहर गये तो वह अधिकारी दर्शा से उठकर उनके पीछे हो लिया और उन्हें धमकी दी। अब इसी से अन्दाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से अधिकारी धृष्टता पर उतारू हो गये हैं। वैसे हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे यदि हम हर वक्त यही देखते रहे कि कौन आदमी गैलरी में बैठा और हमारे सदन से बाहर निकलते ही वह हमारा पीछा करे और धमकी दे। मान्यवर, पहले जंगल में या अंधेरे में ऐसा होता था, किन्तु आज यह यहां तक पहुंच गया है। ठीक है. आज हमारी हत्या हो जाय शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा किन्तु यह एक माननीय सदस्य का सवाल नहीं है, यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रश्न है सिद्धान्तों का प्रश्न है। जिस लोकतांत्रिक सिद्धान्तों की बात माननीय नेता सदन व आप यहां पर करते हैं, उसकी याद आज हमें आपको दिलानी है। हमें अपने विचारों को स्वतन्त्र होकर अभिव्यक्त करने का अधिकार है। आप इस मामले को गम्भीरता से लें। यह किसी दल का मामला नहीं है, यह लोकतांत्रिक मूल्यों व सिद्धान्तों का मसला है। इसलिए मेरी आपसे मांग है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप इस हाउस को न्यायालय में परिवर्तित करें और तुरन्त इस पर कार्यवाही करें। यदि आज भी आपने अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया तो मेरा आपसे अनुरोध है कि नियमावली के नियम-63 से लेकर 69 तक आपको जो अधिकार प्राप्त हैं, उन्हें आप इस नियमावली से निकाल दें ताकि फिर किसी सदस्य को विशेषाधिकार की सूचना देने का कोई अधिकार ही न रहे।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, श्री हरदेव जी के साथ जो घटना घटी....।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, नेता सदन बैठे हैं। यह कोई चर्चा का विषय नहीं है, इस पर आप कार्यवाही करें।

श्री राम आसरे वर्मा--

आज हरदेव जी के साथ जो घटना घटी, इसी प्रकार का व्यवहार आज माननीय सदस्यों के साथ पूरे प्रदेश में होता है। उसी की यह एक कड़ी है।

(श्री राम आसरे वर्मा के बोलने पर विपक्ष की ओर से "मुख्य मंत्री को बुलवाइए" "मुख्यमंत्री को बुलवाइए" की आवाजें आने से (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने श्री राम आसरे वर्मा को बुला लिया है, उनके बोलने के बाद मुख्यमंत्री जी बोलेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा--

जो घटना घटी, सदन के संज्ञान में है और हमारी नियमावली सक्षम है कि इस तरह की घटना पर विचार करके यहीं पर उसका निर्णय लिया जाय। आज जो स्थिति विधायकों की सदन के बाहर है, वह किसी से छिपी नहीं है। उनकी मान मर्यादा पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। आज इस बात की घोषणा मुख्यमंत्री जी करें कि वह माननीय सदस्यों की मान मर्यादा की हिफाजत कर सकते हैं या नहीं? अगर नहीं कर सकते और वह इसमें सक्षम नहीं हैं तो इस सदन के नेता और मुख्य मंत्री बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा नेता सदन को पुकारे जाने एवं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बोलने के लिये खड़े होने पर (व्यवधान)

श्री मंनेजर सिंह--

नेता, सदन से निवेदन करूंगा पहले उस पक्ष के माननीय सदस्यों को सुन लें फिर बोलें।

श्री उपाध्यक्ष--

उधर से कोई खड़ा हो नहीं हुआ, यदि खड़ा होता तो मैं बुलवा देता।

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, मैं किन शब्दों में अपनी व्यथा का वर्णन करूं कि आज हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी का ऐसा साहस हुआ, बल्कि मैं तो इसे दुःसाहस कहूंगा, कि उन्होंने एक माननीय सदस्य को सदन के कर्तव्यों के सम्बन्ध में सदन के ही परिसर में आकर ऐसा व्यवहार किया। इसको देखकर बड़ा दुख होता है और जितने भी कड़े शब्दों में निन्दा करूं, कम है। किसी भी तरह से यह उचित नहीं है कि किसी भी विधान सभा के सदस्य को और विशेष रूप से श्री हरदेव जी जैसे सतर्क विधायक के किसी भी प्रकार से काम करने में बाधा डाली जाय। किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के लिये यह बिल्कुल शोभनीय नहीं है और असंसदीय है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं इसकी निन्दा करता हूं। मुझे बताया गया है कि इस सम्बन्ध में विशेषाधिकार हनन की सूचना का प्रस्ताव आपके पास है। मैं इसे आप पर छोड़ता हूं कि जो उचित समझें वह करें। मैं बाधा नहीं डालना चाहता हूं। अगर आप यह समझते हैं कि सदन नियमों के आधार पर स्वयं निर्णय ले लें इसको विशेषाधिकार हनन का मामला मान कर हम उसके लिये भी तैयार हैं। किसी भी मायने में, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रश्न ही नहीं उठता है कि इस आदरणीय सदन के किसी भी कार्य या व्यवहार में कोई भी बाधा या व्यवधान डाले। हम उसको स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है और यह बड़े दुख की बात है कि इस तरह की घटनायें हो रही हैं और एक आज यहां परिसर में घटित हुई। यह घोर निन्दा का विषय है। यदि आप मुझसे प्रायश्चित की अपेक्षा करते हैं तो मैं उसके लिये भी तैयार हूं। यह वातावरण का दोष है जो इस तरह का वातावरण हमारे देश में, हमारे प्रदेश में हो रहा है अधिकारी भी इसके प्रभाव में आ जाते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे अधिकारी और कर्मचारी कभी भी इस बात का समर्थन नहीं करेंगे कि जो घटना आज यहां पर हुई है। लाखों अधिकारी हैं, लाखों कर्मचारी हैं, जो काम आज यहां विधान सभा के परिसर में हुआ है, वे इसकी निन्दा ही करेंगे, मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है क्योंकि वह प्रश्न बुनियादी है। कोई भी विधायक या सांसद जब अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, टीका टिप्पणी करता है यह उसका अधिकार है। मैं नेता सदन होने के नाते इससे सहमत हूं कि यह माननीय सदस्यों का विशेषाधिकार है। इस लिये मैं इसको आप पर छोड़ता हूं कि इस सम्बन्ध में आप जैसा उचित समझें, कार्यवाही करें।

(कुछ पलों की शान्ति के बाद)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, नियम 67 को देख लें।

(पुनः कुछ पलों की शान्ति के बाद)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं इस मामले में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सदस्य हरदेव जी ने जो सूचना दी, वह आपके सामने है। आपको अपना निर्णय इस सदन के माननीय सदस्यों को सुनने के बाद देना है। नियम 67(2) में यह है कि "यदि अध्यक्ष इस मत के हों कि सूचना का विषय ऐसा है जो बिना विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किये ही सदन में निस्तारण किया जा सकता है तो यह प्रस्ताव किया जा सकेगा कि प्रश्न पर तत्काल या किसी आगामी तिथि पर विचार किया जाय" श्रीमन्, इस प्रकार यह आपके विवेक पर है कि यह विषय तात्कालिक है, गम्भीर है या नहीं कि इस पर तुरन्त निर्णय किया जायेगा। मेरा विचार है कि इससे बड़ा गम्भीर कोई प्रश्न हो ही नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सकता । अब श्रीमन्, ग्राह्यता की बात आयी, विशेषाधिकार के हनन का मामला यह बनता है या नहीं, तो संविधान के अनुच्छेद 194 में व्यवस्था है कि हमारे विशेषाधिकार वही होंगे जो कि हाउस आफ कामन्स के हैं और तब तक वे रहेंगे जब तक कि उनको हम फिर से माडीफाई न कर लें। मैं पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस के बीसवें एडीशन के पेज 145 पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें है कि "डिसओविडिन्स टू दि आर्डर आफ आइदर हाउसेस वेदर सच आर्डर आर आफ जनरल एप्लीकेशन आर रिक्वायर ए पर्टीकुलर इनडिविजुअल टू डू आर अब्सटेन फ्रोम डूइंग ए पर्टीकुलर ऐक्ट, आर कन्ट्रावेनशन आफ एनी रूल्स आफ आइदर हाउस इज ए कन्टेम्प्ट आर डेड हाउस" इसलिए श्रीमन्, सदन के लिए जो बात है यह भी इन्क्लूड है । यदि किसी माननीय सदस्य के दायित्वों के निर्वहन में किसी प्रकार का व्यवधान होता है तो वह विशेषाधिकार की अवमानना होगी क्योंकि वह इस सदन का सदस्य है, माननीय हरदेव जी की शिकायत पर उनको स्पष्ट धमकी दी गयी है कि तुम हमारे खिलाफ शिकायत करना चाहते हो । हमारे भाई सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे और मैं तुमसे निपट लूंगा क्योंकि तुमने ही हमारी शिकायत माननीय मुख्य मन्त्री जी से की है और तुम्हारी ही शिकायत पर मेरे खिलाफ विजिलेंस की जांच हो रही है ।

एक सदस्य--

चमरिया भी कहा....

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

इसकी बात मैं नहीं कहता, इस पर हाउस का कंटेम्प्ट नहीं बनता । यहां पर मैं सिर्फ हाउस के कंटेम्प्ट की बात ही करूंगा कि यह कहा कि तुम्हारी ही शिकायत पर विजिलेंस इन्क्वायरी शुरू हो रही है, मैं तुमसे निपट लूंगा । मान्यवर, यह साफ-साफ धमकी है और क्लियरली कंटेम्प्ट का मामला है और श्रीमन्, यह परिसर आपका है, अगर यहां पर इस तरह की बातें होंगी तो आदमी कहां सुरक्षित है, इस लिए सदन यह अपेक्षा करता है कि यहां पर गवर्नमेंट सर्वेन्ट का आचरण ऐसा होगा, जो सदन की गरिमा के विपरीत न होगा और श्रीमन्, यह आचरण इस अधिकारी का निश्चित रूप से ऐसा है जो सदन की गरिमा को गिराने वाला है, और सदन का अपमान करने वाला है, इसलिए इस मामले में आपसे अनुरोध है कि यह खुला हुआ अवमानना का प्रश्न है जो बहुत ही गम्भीर है, इस पर सदन को इसी समय नियम 67 के अधिकारों का प्रयोग करते हुये कोर्ट की शक्ल में विचार करना चाहिये और हमको इस पर कोई और निर्णय न लेना चाहिए ।

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जब माननीय नेता सदन ने आप के ऊपर छोड़ दिया है, तो इस पर आप अपना निर्णय दीजिए...

(शोर)

*श्री मैनेजर सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस सदन के अधिकारों का हनन का प्रश्न है, इसे माननीय नेता सदन ने भी ताईद किया है कि घोर अवमानना हुई है, इसको माना है, बहुत ही गम्भीर प्रश्न भी माना है और फिर आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

निर्णय लें, लेकिन मैं समझता हूं कि इस मात्र भर्त्सना से काम चलने वाला नहीं है। यहां पर प्रस्ताव करें कि उस दोषी अधिकारी के प्रति कौन-सी कार्यवाही की जाय और क्या दण्ड दिया जाय ? यदि माननीय नेता सदन अपने इस कर्तव्य निर्वहन में असमर्थ हैं तो फिर हम लोग प्रस्ताव करेंगे कि इसमें क्या दण्ड दिया जाय। आज सत्ता पक्ष के लोग बतायें अधिकारीगण क्यों बिगड़ गया है, आज एक सीनियर आफिसर पी0 ए0 सी0 की मीटिंग में कहता है कि खड़े हो कर जवाब नहीं देंगे और आज ऐसे अशिष्ट अधिकारी को सांस्कृत विभाग दिया गया है, जो यह कहता है कि हम खड़े हो कर कमेटी में जवाब नहीं देंगे। इस प्रकार आपके आफिसर आज उच्छृंखल हो गये हैं और ऐसे उच्छृंखल अधिकारियों को आप अच्छे-अच्छे कमाने खाने वाले विभाग देते हैं। श्रीमान जी मुझे खेद है इन सबको देखते हुए, मेरे मन में आपके लिए (माननीय नेता सदन) बड़ा सम्मान है क्योंकि आप हमारे साथ रहे हैं पिछले दिनों में, लेकिन इस बार आपके मुख्य मन्त्री मंत्रित्व काल में आफिसर्स बे लगाम हो गये क्योंकि आज कल यह आफिसर्स किसी माननीय मन्त्री की बात को सुनते नहीं हैं तो विधायक को यह क्या घास डालेंगे ? मैं कहना चाहता हूं कि आप इस घटना से सबक लीजिये। अपने अफसरों पर अंकुश लगाइये, वरना शासन चलाना तो आपके लिये असम्भव है ही, यह सदन भी चलाना असम्भव होगा। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, बहुत सारे अफसर अपनी पहली बीबियों को छोड़कर दूसरी शादी किये हुए हैं। यह कानून वर्जित है, लेकिन किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई है। यह शंकर दत्त ओझा है, पहली बीबी को छोड़कर अपने गुरु की लड़की के साथ शादी कर ली है अपनी पहली बीबी और जवान बच्चों को छोड़ दिया है अपने उसको एक निगम का एम0 डी0 बना दिया है। क्या यह सरकार का दोष नहीं है, क्यों न वह पगला जायें। अगर पगला नहीं होता तो वह एक विधायक के साथ इस प्रकार की जुर्रत नहीं करता। एक विधायक को अपमानित किया है और अपने को सुप्रीम कोर्ट के जज का भाई बताता है। अगर आप उसको दुरुस्त नहीं करेंगे तो उसका दिमाग बढ़ा रहेगा और आगे भी इसी प्रकार के कार्य कर सकता है, इसलिये आप उसको दण्ड अवश्य दें। इस घटना से मुझे बड़ी ठेस पहुंची है कि इस तरह की घटना घटी है, और शिकायत है इस आदरणीय पीठ से कि वह सदन की गरिमा को बचाने में असमर्थ है [×××] हो गयी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप प्रस्ताव करते हैं या नहीं। अगर आप नहीं करते हैं तो मैं करता हूं और इस शंकर दत्त ओझा को यहां कटघरे में लाया जाय और यह सदन न्यायालय के रूप में बैठे और सभी की बात को सुनें और जो दण्ड यह सदन तय करे वह दिया जाये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, न जाने क्यों आप को देर लग रही है। इस अधिकारी के खिलाफ माननीय मुख्य मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है, उसके भ्रष्टाचार के बारे में ज्ञापन दिया गया है, इस सदन में। इस समय आप मूक दर्शक क्यों बने हैं ? आप नियम 71 और 72 देखने की कृपा करें। आपको इन नियमों के अन्तर्गत अधिकार है। मैं चाहूंगा कि तत्काल आप दण्डित करने की कृपा करें।

(व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज एक शर्मनाक काण्ड अध्यक्ष जी के कमरे के सामने घटित हुआ। उससे इस सत्ता पक्ष के लिये और विशेषकर मान्यवर, इस सरकार के

---

[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

लिये चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। यह सरकार विधायकों की इज्जत की रक्षा नहीं कर पा रही है, जो पहले अत्याचार विधायकों पर किये गये हैं, उस समय सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, इस कारण इस प्रकार की घटनायें विधायकों के साथ हो रही हैं। तो जो इस प्रकार का शर्मनाक घटना हुई, और जो व्यवहार एक विधायक के साथ किया गया, इससे और अधिक शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। मैंने बराबर कहा है, माननीय मुख्य मंत्री जी आप विद्वान हैं, वित्त के ज्ञाता हैं, लेकिन वर्तमान नौकरशाही को आपसे डर नहीं रह गया है। आपके किसी भी आदेश को नहीं माना जाता है, आप के मंत्रियों के आदेशों को नहीं माना जाता है और निरन्तर नौकरशाही के हौसले बढ़ते जाते हैं। इसलिये इस पर सख्ती से पेश आकर और गम्भीरता को देखकर आप प्रस्ताव लायें और इस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये।

(व्यवधान)

किताबें हाथ में ले जाने से या सदन में छोड़ जाने से इस सदन की गरिमा नहीं रहेगी। मान्यवर, मैनेजर सिंह जी ने सही कहा है कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, उसकी गरिमा रखिये। उस कुर्सी पर न तो आप हमेशा रहेंगे और न मुख्य मन्त्री रहेंगे।

(व्यवधान)

## विशेषाधिकार की अवमानना के प्रश्न पर तत्काल विचार किये जाने और सदन को कोर्ट के रूप में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

आप सुनिये। बैठ जायें।

(व्यवधान)

शांति से बैठें। नियम 67 में व्यवस्था है कि यदि अध्यक्ष इस मत के हों कि सूचना का विषय ऐसा है जो बिना विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किये ही सदन में निरस्तीकरण किया जा सकता है तो यह प्रस्ताव किया जा सकेगा कि प्रश्न पर तत्काल या किसी आगामी तिथि पर विचार किया जाय। इसके संदर्भ में नियम 70(2) में लिखा है कि "जब सदन इस प्रस्ताव से कि नियम 67 के अन्तर्गत विषय पर तत्काल विचार किया जाय" प्रस्ताव आना चाहिए। किसकी तरफ से आये। तो इस 70(2) के अनुसार कोई भी सदस्य प्रस्ताव ला सकता है। मैनेजर सिंह जी ने प्रस्ताव किया है। मैं तो सदन का सेवक हूं। जो सदन का निर्णय होगा वह सर्वोपरि होगा। मैं अपने आप में कुछ नहीं हूं। इसलिये जो प्रस्ताव मैनेजर सिंह जी ने रखा है सदन उस पर विचार करे।

(व्यवधान)

माननीय मैनेजर सिंह जी, प्रस्ताव फिर से दुहरा दें।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस प्रश्न को तत्काल ले लिया जाय जो सदन के संज्ञान में है और सदन को कोर्ट के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

पहले समर्थन तो हो जाय। मैं इसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, मुझे दुःख है कि इस तरफ से यह प्रस्ताव आया है। अच्छा होता यदि यह नेता सदन लाते।

श्री उपाध्यक्ष--

इसे कोई भी ला सकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

अब प्रस्ताव का समर्थन हो गया। आगे की कार्यवाही प्रारम्भ करें।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव मैनेजर सिंह जी ने प्रस्तुत किया है, उस पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया शांति बनाये रखें। मैं चाहता हूं कि सदन की प्रक्रिया क्या हो, क्या दण्ड दिया जाय ?

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

श्रीमन्, इस पर हमेशा परम्परा तो यह रही है कि इस तरह के प्रस्ताव पार्लियामेंटरी एफेयर्स के मंत्री अथवा नेता सदन लाते रहे हैं। जो निर्धारित परम्परा रही है उसका तो पालन उधर हुआ नहीं है। इधर से प्रस्ताव आया है।

अब मेरा एक प्रस्ताव है कि चार्जशीट आपको बनानी है वह बनाकर मुलजिम को बुलायें और उनसे पूछें कि यह उन्हें स्वीकार है कि नहीं।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

तिवारी जी बोल रहे हैं उसके बाद आपका हो जायेगा ।

(व्यवधान)

शांति बनाये रखें । जो प्रोसीजर है, वह यही है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

इसमें श्रीमन् मेरा निवेदन यह है कि अपराधी के अपराध के बारे में विवरण तो माननीय हरदेव जी ने दे दिया है और माननीय सदस्यों ने भी अपने विचार आपके सम्मुख रखे हैं । श्रीमन् उन्हें मानते हुये आप उसे तुरंत लाने की अनुज्ञा दे और सदन में लाने के लिये अभिमत भी ले लिया है और सदन ने अनुज्ञा भी दे दी है । सदन के समक्ष घटना घटी है और अवमानना का प्रश्न अपराधी द्वारा हुआ है । इसलिये अपराधी को तलब करके पूछा जाय कि जो विवरण माननीय हरदेव जी ने बताया है कि वह आपको स्वीकार है या नहीं और उसके बाद उसे हटा दें तब सदन आपस में तय करे कि उस पर क्या करना है, क्या सजा उसे दी जाय । यही निर्धारित प्रक्रिया रही है उस प्रक्रिया का अब पालन किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

प्रक्रिया के सम्बन्ध में तिवारी जी ने जानकारी दी ।

श्री उपाध्यक्ष—

ओझा जी को तलब किया जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जिन नियम 71, 72 और 73 में प्रक्रिया दी हुई है मैं तिवारी जी का सम्मान करता हूं वह वरिष्ठ सदस्य हैं मुझे दुःख है मैं थोड़ा सा मतभेद रखता हूं । आप नियम 71 देखने की कृपा करें उसमें लिखा हुआ है—उस दशा को छोड़कर जब कि विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष किया गया हो, सदन दण्ड आदेश देने के पूर्व दोषारोपित व्यक्ति उस पर लगाये गये दोष के स्पष्टीकरण या निर्दोषिता सिद्धि के सम्बन्ध में अपना पक्ष उपस्थित करने का अवसर देगा ।

लेकिन यह मामला सदन के समक्ष हुआ है इसलिये उन्हें न कोई चार्जशीट देने की जरूरत है और न पूछने की जरूरत है । गवाह यहां बैठे हुये हैं जो प्रश्न करेंगे उसके बाद उत्तर के लिए कहेंगे ।

अब नियम 72 में लिखा है अध्यक्ष दोषारोपित व्यक्ति को सूचना अथवा बन्दीकरण के अधिपत्र द्वारा कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर सदन के सम्मुख उपस्थित होने के लिए आहूत कर सकेंगे ।

अब मान्यवर, एक ही चारा है कि हम सम्मन जारी करके उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं उनको कटघरे में खड़ा किया जाय और उस समय उनको दंड आरोपित किया जाय । यह मैंने नियम 71, 72 और 73 में जो दिया है उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो आपने हवाला दिया यह सदन के प्रत्यक्ष नहीं है, सदन के परिसर में हुआ है उस समय सदन स्थगित था।

श्री राम शरण दास--

मान्यवर, आप मार्शल से कहें कि फलां व्यक्ति को इस जुर्म में यहां हाजिर किया जाय। आप न्यायालय में तब्दील हो गये हैं, और हम लोग कोई नहीं बोलेंगे। आप नोटिस देंगे कि यह आरोप है इसके संबंध में आपको क्या कहना है। जब वह अधिकारी अपनी बात कह दें तब उनको बाहर निकाल दें।

श्री उपाध्यक्ष--

यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। हमने कह दिया है कि ओझा जी को बुलाया जाये।

(श्री शंकर दत्त ओझा के सदन में रक्ष कटघरे में आकर खड़े हो जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय ओझा जी, हरदेव जी ने आपके खिलाफ शिकायत की है, उसे मैं पढ़ रहा हूं।

"आज दिनांक 2 मार्च, 1989 को सायंकाल 3-50 बजे विधान सभा जब 10 मिनट के लिए स्थगित हुई तब मैं "हां" लाबी की गैलरी से बाहर ज्योंही निकल रहा था कि विधान सभा कैम्पस की गैलरी में ही एक अधिकारी ने मुझे रोका और धमकी देते हुए कहा कि तुम्हारा ही नाम हरदेव है, बलिया के विधायक हो। तुमने मेरे खिलाफ मुख्य मंत्री को शिकायत की है। विधान सभा में प्रश्न उठाने की धमकी देते हो। चमारिया तुझे नहीं मालूम, तुम नहीं जानते हो कि मेरे बड़े भाई सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो और बांह पकड़ कर जोर-जोर से धमकाने लगा कि बोलो तुमने लिखा है या नहीं। शिकायती-पत्र वापस लोगे या नहीं तुम्हें अभी बताता हूं। तुम्हें मरवा दूंगा। मेरे बांयें हाथ का पंजा उनके नाखून से जख्मी हुआ है। साथ ही शोर सुनकर काफी लोग तथा सुरक्षा गार्ड और माननीय विधायकगण आदि इकट्ठे हो गए और मुझे छुड़ाया है और उसको माननीय अध्यक्ष के कमरे में ले आये। उस अधिकारी ने अपना नाम शंकर दत्त ओझा बताया है और अपने को तराई अनुसूचित जनजाति वित्त निगम का अधिकारी बताया। यह घटना विधान सभा परिसर में हुई है इसलिए इस पर तत्काल कार्यवाही होना आवश्यक है। उनके खिलाफ विशेषाधिकार की नोटिस देता हूं। इस सम्बन्ध में आप पुलिस में प्रथम रिपोर्ट कराने की कृपा करें। भवदीय-हरदेव, विधायक।"

श्री शंकर दत्त ओझा (कटघरे से)--

मैं परम श्रद्धेय विधायकों का हृदय से सम्मान करता हूं। इस सम्मानित तीर्थतम सदन का सम्मान करता हूं। मुझे क्षमा किया जाय। मैं आपकी कृपा पर हूं। आगे मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष--

ओझा जी को वापस भेज दिया जाय ।

( श्री शंकर दत्त ओझा को सदन से बाहर वापस भेज दिया गया ।)

( नेता विरोधी दल का नाम पुकारे जाने पर )

नेता विरोधी दल (श्री सत्य पाल सिंह)--

अब अपराधी के सम्बन्ध में नेता सदन की क्या राय है, इसको पहले मालूम कर लिया जाये । हो सकता है कि मैं उससे सहमत ही हो जाऊं और मेरे बोलने की आवश्यकता न हो ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र--

मुल्जिम ने, उसने कन्फेशन किया है और अपना अपराध कबूल किया है । अतः अब इस गम्भीर अपराध को देखते हुए हम चाहेंगे कि गम्भीरतम दण्ड देने के लिए यह सदन तैयार हो।

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा इसमें उन्होंने क्षमा मांगी है "मैं आपकी कृपा पर निर्भर हूं " और इसमें क्या कहा ।

श्री उपाध्यक्ष--

सदन की कृपा पर कहा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

"क्षमा" कहा है या नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष--

सदन की कृपा पर हूं यह कहा है ।

(कार्यवाही देखी जाय की आवाज पर)

( व्यवधान )

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने कहा है कि मुझको क्षमा किया जाय। मैं आपकी कृपा पर हूं । मुझे आगे कुछ नहीं कहना है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन् जो अभी यहां पर सदन के सामने अपराधी आया जिन्होंने संसदीय और विधायी मर्यादा का अनुपालन नहीं किया, उन्होंने इसको स्वीकार किया । साथ ही, उन्होंने इस सदन की कृपा पर अपने को छोड़ दिया, कृपा अर्थात् अंग्रेजी में इसका अर्थ 'मर्सी' आयेगा, और क्षमा मांगता हूं शब्दों को देखते हुए, यह सारे उत्तर प्रदेश की 13 करोड़ जनता की गरिमा का सवाल है, यह सदन एक अदालत के रूप में बैठा हुआ है 13 करोड़ लोगों की ओर से, एक अपराधी अपराध स्वीकार करता है, माफी

चाहता है और सदन की कृपा पर छोड़ता है तो यह सदन कभी क्रोधी नहीं हो सकता है, व्यक्ति क्रोधी हो सकता है, लेकिन सदन क्रोधी नहीं हो सकता है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सदन की गरिमा को देखते हुए, सदन की परम्पराओं को देखते हुए अगर किसी ने अनइन्डीशनल क्षमा चाही है, उसी पर छोड़ दिया है, तो सदन को मर्सीफुल होना चाहिए, दयावान होना चाहिए, इस सदन को क्षमा प्रदान करनी चाहिए।)

श्री गौरीशंकर भैया—

जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। यह सदन महान सदन है, जब आपके सामने माफी मांग ली गई है, तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि उसको माफ कर देना चाहिये।

श्री राम आसरे वर्मा—

जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्थिति बताई, मैं समझता हूं कि सदन की गरिमा को बनाये में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो भावना व्यक्त की, वह उचित है, सदन को उससे अपने को सम्बद्ध करना चाहिए।

श्री कौशिक रमाशंकर—

जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने तथा अन्य नेताओं ने विचार व्यक्त किए हैं मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं।

श्री जयदीप सिंह बरार—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन ने जो प्रस्ताव रखा है, इस सदन की गरिमा को देखते हुए मैं समझता हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को इससे असहमति नहीं हो सकती है। जब आपने कार्यवाही सुनाई।

(शोर)

जब आपने कार्यवाही पढ़कर सुनाई, तब मेरे दिल में एक बात आई, जिसको सदन के संज्ञान में अवश्य लाना चाहूंगा। आज इस सदन को न्यायालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि 13 करोड़ जनता का सवाल है। 13 करोड़ लोगों से जुड़ा यह सदन है। मैं समझता हूं कि आप सभी इससे सहमत होंगे, जो कार्यवाही पढ़कर सुनाई है, जो अपराध उसने किया, उसमें उसने कहा, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सदन की कृपा पर हूं। मैं न्याय की बात कर रहा हूं, पहले न्याय की बात आएगी, फिर कृपा की बात आएगी। अगर कोई यह कहता है कि मैं आपकी कृपा पर हूं, मैं समझता हूं कि अगर उसे क्षमा नहीं करेंगे तो यह सदन की गरिमा के प्रतिकूल होगा। क्या उन्होंने अपराध की स्वीकारोक्ति की है। अगर स्वीकारोक्ति के बाद क्षमा मांगी है तो मैं भी इसी राय का हूं कि क्षमा कर दिया जाय।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मैंने प्रारम्भ में कहा कि अवमानना के मामले पर हम हाउस आफ कामन्स से वही अधिकार भी ड्यूव करते हैं और उन्हीं परम्पराओं का अनुसरण करते हैं जो हाउस आफ कामन्स की परम्परायें रही हैं। रिग्रेट एक्सप्रेस करने के बाद हाउस फ कामन्स गम्भीर से गम्भीर विशेषाधिकार के मामलों में क्षमा प्रदान करता है। हमारी

लोक सभा ने भी यही किया है। हम अपने रिकार्ड्स में विश्वास रखते हैं। जो कहकर लिखा है, उसे हमें मानना चाहिये। उसमें कहा गया है कि "क्षमा मांगता हूं" तो उसको क्वेश्चन करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। इसलिये जैसा कि माननीय नेता सदन ने कहा है और जैसा हाउस आफ कामन्स और लोक सभा की परम्परायें हैं उसको देखते हुये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राम शरण दास—

आज सदन में जो मसला उठा था और सदन के सामने वह पेश हुये, मान्यवर, जब वह आदमी, वह व्यक्ति यह कहता है, क्षमा मांगता हूं, आपकी कृपा पर हूं, इसे मैंने सुना। जब कोई आदमी इतना सरेंडर कर गया तो मेरे जैसा सख्त आदमी जो उनको जेल भेजने की चेष्टा कर रहा था, तो मैं इस बात से सहमत हूं, उनको माफ कर दीजिये और सदन चलाइये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं इस बात से सहमत हूं कि क्षमा कर दिया जाय। मैं कुछ कहना चाहता हूं लेकिन उससे पहले यह चाहता हूं कि हरदेव जी को सुन लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

अब नहीं, जो कुछ कहना था कह दिया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं व्यक्तिगत रूप से, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो सुझाव दिया है मैं उससे सहमत हूं क्योंकि उन्होंने अन-कंडीशनल क्षमा मांगी है और सदन की कृपा पर अपने को छोड़ दिया, मेरा इतना कहना अवश्य है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, माननीय नेता सदन ने जो विचार व्यक्त किया है उससे मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं और मैं चाहूंगा कि उन्हें क्षमा कर दिया जाय और क्षमा करने के पहले हरदेव जी को एक बार सुन लिया जाय।

*श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस अदालत के समक्ष जो अपने विचार रखे उससे सभी माननीय नेताओं ने सहमति व्यक्त की। यह सही है कि अपराधी सज्जन थे उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल किया और साथ-साथ उन्होंने क्षमा मांगी। माननीय नेता सदन ने सहृदयता का परिचय दिया और कहा सदन इतना क्रूर नहीं हो सकता, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन की तरफ से कहा कि सदन क्रूर नहीं हो सकता तो मैं उनसे सहमति व्यक्त करता हूं और सदन की राय के अनुसार उनको क्षमा कर दिया जाय। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी अपने ब्यूरोक्रेट्स को चेतावनी अवश्य दे दें कि भविष्य में माननीय विधायकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार कम से कम सदन के अन्दर में करने की हिम्मत न करें।

श्री हरदेव—

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस माननीय सदन में जो इस समय न्यायालय के रूप में है, मैं एक बात कहना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी के यहां मेरा पत्र उस अधिकारी के भ्रष्टाचार के बारे में गया था, उस पर विजीलेंस की जांच बैठाई गयी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है और उससे क्रुद्ध होकर उसने हमारा अपमान किया और अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए हमें बदनाम चाहा, हमें धमकियां दी। क्या उत्तर प्रदेश में इस महान सदन का यह माननीय न्यायालय इस बिन्दु पर विचार नहीं करेगा कि भ्रष्टाचार को छिपाने वाले इस अधिकारी को जो कानून को तोड़ने वाला अधिकारी है जैसे किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाता है और न मैं कानून तोड़ता हूं और न जालिमों को छोड़ता हूं। उत्तर प्रदेश सदन का माननीय यह न्यायालय अगर माफ करता है, तो मैं आप लोगों से न्याय की भीख मांगता हूं कि ऐसे अधिकारी जो कानून को तोड़ते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, उन्हें कैसे माफ किया जायेगा ? मैंने स्वयं कभी कानून तोड़ने की कोशिश नहीं की, इसलिए हमारे सामने यह एक बहुत बड़ा बिन्दु है और भ्रष्टाचार को मैं छिपाने के लिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को कभी छोड़ता नहीं हूं और न माफ करता हूं। इसलिए इस सदन के न्यायालय का निर्णय जो हो इस बिन्दु पर विचार करते हुए यथार्थ और उचित होना चाहिए। यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय मुख्य मंत्री ने इस सम्बन्ध में जो क्षमा प्रदान किये जाने का प्रस्ताव रखा है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

शंकर दत्त ओझा को छोड़ दिया जाय।

## कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (क्रमागत)

[समय सायं 7 बजकर 20 मिनट पर]

श्री उपाध्यक्ष—

यह कार्य-स्थगन के सम्बन्ध में जो सूचनाएं आई हैं, उनमें से सातवीं सूचना जो माननीय रेवती रमण सिंह आदि की, बेरोजगार ग्रेजुएट इंजीनियरों के लम्बे आंदोलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, उसे एक घंटे की चर्चा के लिए स्वीकार करता हूं और आठवीं सूचना जो माननीय बदन सिंह की, कु0 कटोरी देवी द्वारा पुलिस उत्पीड़न के विरुद्ध लगभग छब्बीस सौ तेरह दिन से विधान भवन के समक्ष किये जा रहे अनशन एवं धरने के सम्बन्ध में है, उसे वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं। बाकी सबको अस्वीकार करता हूं।

## वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 47—पर्वतीय विकास विभाग

पर्वतीय विकास एवं पर्यटन राज्य मंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 47—पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,98,83,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

## वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 44—पर्यटन विभाग

*पर्वतीय विकास एवं पर्यटन राज्य मंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 44—पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,45,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(इस समय 7 बजकर 22 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।)

श्री गुलाब सिंह—

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में 1988-89 में जो उपलब्धियां हुई हैं, वह विशेष करके इस क्षेत्र की समस्याओं के निदान और सर्वांगीण विकास तेजी से हो सके, उसके लिए हमारी सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है । इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार केन्द्र सरकार से और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही है और इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हर सम्भव कार्य कर रही है । वर्तमान समय में मान्यवर, 270 करोड़ 50 लाख रुपये का परिव्यय अनुमानित है । इस समय भारत सरकार की ओर से 150 करोड़ 75 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता हमको मिली है और आने वाले 1988-89 में जो हमारा परिव्यय होने वाला है वह 300 करोड़ रुपये का है और उसमें 170 करोड़ रुपया केन्द्रीय सहायता भारत सरकार से मिलने का अनुमान है ।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया शान्ति बनायें ।

श्री गुलाब सिंह—

मान्यवर, यह जो परिव्यय हमारा है इसमें जिला योजनाओं के लिए 50 प्रतिशत रखा गया है और इसमें हमने एक कार्य किया है कि 1988-89 के लिए नवम्बर में जिलों से जो योजनाएं आई हैं उनको स्वीकृत किया जायेगा बहुत जल्दी ताकि इसमें कार्य हो सके ।

डा0 शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अब करीब-करीब साढ़े 7 बजने को हैं, काफी समय हो गया है तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस बजट पर आप कितना समय देंगे ताकि उसी हिसाब से बात करें नहीं तो जैसे पास हो रहा है वैसे ही पास कर लें ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी, आप कुछ सीमित करें तो आसानी से हो जाय । अभी मैं समय निर्धारित नहीं कर रहा हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डा0 शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, बाद में तो कोरम की भी समस्या आयेगी और दुनिया भर की बात होगी ।

श्री गुलाब सिंह--

मान्यवर, मैं कह रहा था कि आवश्यक सुविधा जो हम कर रहे हैं उसमें मान्यवर, एक तो बागवानी के सम्बन्ध में है और एक पशुपालन के सम्बन्ध में है ।

डा0 शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बाद में जवाब देंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी, छोटी-छोटी बुनियादी बातें हों, वह कह दें ।

श्री गुलाब सिंह--

मान्यवर, बुनियादी चीज तो मैंने कही हमारे जो पर्वत की समस्याएं हैं उसमें हमारा पशुपालन, बागवानी और अध्यापकों के सम्बन्ध में यह सब चीजें ऐसी हैं जिससे कि हम अपने पर्वतीय अंचलों का कार्य करने से वहां के लोगों के जीवन में हम अच्छा कार्य कर सकते हैं और उनका जो स्थान है वह अच्छी तरह से हो सकता है । इसमें बहुत सी चीजें हैं चाहे सिंचाई को ले लें, लघु उद्योग को ले लें, चाहे शिक्षा को ले लें, चाहे गरीब परिवारों को ले लें ।

डा0 शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री गुलाब सिंह--

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि नौटियाल जी ने मान ही लिया है और सरकार ने काम भी किया है । आपने मान भी लिया है और काम भी किया गया है तो मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य जो सुझाव देंगे उसके अनुसार हम शुरू कर देंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया शान्ति बनायें ।

*श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 47--पर्वतीय विकास विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44--पर्यटन विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, आज पर्वतीय विकास विभाग के बजट (आय-व्ययक) पर चर्चा होनी थी। एक तो सदन में आज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई लेकिन उससे पहले यह तो आकस्मिक थी मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, समय बहुत कम है और सभी सदस्यों को पर्वतीय विकास में वैसे भी रुचि भी नहीं है, सरकार को भी रुचि नहीं रहती। लगता है कि माननीय सदस्यों को भी रुचि नहीं रह गयी है क्योंकि समय अधिक हो गया है। सरकार की रुचि नहीं है, यह इसलिये कहना चाहता हूं कि जो आय-व्ययक इस महीने की 19 तारीख को प्रस्तुत होना था और जिसका कार्यक्रम सरकार निर्धारित करती है, उसने आज 2 तारीख को ही ले लिया और कोई विभाग इनको नहीं मिला, जिसको पहले आय-व्ययक की चर्चा पर लिया जाता। केवल पर्वतीय विकास विभाग ही मिला, जिसको चर्चा पर आधा दिन दिया जाता रहा है, और आज तो आधा दिन भी नहीं दिया। इसको पहले कर दिया और पर्यटन जैसे एक महत्वपूर्ण विभाग को भी आज ही रख दिया गया।

मान्यवर, यह इसलिये है कि पर्वतीय विकास के बारे में किसी को चिंता नहीं है। घड़ियाली आंसू सभी बहाते हैं, यहां पर पर्वतीय विकास के नाम पर सरकार भी बहाती है। माननीय इंदिरा जी ने सन् 1972 में कहा था कि पर्वतीय क्षेत्र के विकास से उत्तर प्रदेश की प्रगति का मापदण्ड नापा जायगा। मान्यवर, माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने, जब वह मुख्य मंत्री थे, उन्होंने एक बार नैनीताल में, उस समय में भी था, यह कहा था आंकड़ों पर हमारा रोस नहीं है। आंकड़ों में तो लंका भी सोने की थी, लेकिन ऐसी खुशहाली वहां नहीं थी। खुशहाली आंकड़ों से नहीं बताई जा सकती। पर्वतीय क्षेत्र का भी यही हाल है। ऐसा न होता तो जिस तरह से पर्वतीय विकास के लिये राय देने के लिये एक परिषद पर्वतीय विकास परिषद् बनायी गयी, उसको अपनी मर्जी का स्रोत नहीं बनाते। पर्वतीय विकास परिषद् बना है, जिसकी हैसियत एक टाउन एरिया की कमेटी के बराबर भी नहीं है। अगस्त, 1986 के बाद उस पर्वतीय विकास परिषद् की कोई भी बैठक नहीं हुई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें जन-प्रतिनिधियों के जो सुझाव आयेंगे, उन्हीं के आधार पर पर्वतीय विकास का कार्य होगा, योजना बनेगी और सुझाव को माना जायगा। ऐसा नहीं किया गया, अगस्त, 1986 के बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। इसके अतिरिक्त पर्वतीय विकास विभाग के कार्य को देख लें, हमारे सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनती थी, मेरी जानकारी है कि कम से कम सात कमेटियां विभिन्न कार्यकलापों को देखने के लिये बनती थीं, लेकिन वह कमेटी भी कुछ दिनों के लिये बनी और उसके बाद उनका भी अता-पता नहीं है।

ऐसा इसलिये है कि पर्वतीय विकास का काम ठीक तरह से करना ही नहीं चाहते हैं। आपने पर्वतीय विकास को उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री की मर्जी पर छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री चाहेगा तो पर्वतीय विकास परिषद् की बैठक बुलाएगा। उत्तर प्रदेश का मंत्री या सरकार चाहेगी तो विकास होगा, नहीं चाहेगी तो नहीं होगा, क्योंकि इस परिषद् का कोई वैधानिक, स्टेटुटरी स्टेटस नहीं दिया गया है, न इस विभाग को दिया गया है। मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि आपको पर्वतीय विकास करना है तो पर्वतीय विकास परिषद् और विभाग को विधिक मान्यता देनी चाहिये। विधिक मान्यता देते तो समय पर बैठक होती और सुझाव लिये जाते, जैसे विधान सभा की कार्यवाही होती है और टाउन एरिया कमेटी की बैठकें होती हैं। जो भी कार्यवाही होती, वैधानिक तरीके से होती। इसलिये आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं पर्वतीय विकास के लिये उस क्षेत्र के लोगों के लिये झुनझुना न बजाएं। आपको कुछ करना है तो वहां के विकास के लिये बहुत पैसा दिया जाता है, यह कहने की आवश्यकता पड़े, इसकी कोई अहमियत नहीं है। इसका कोई प्रयत्न नहीं है।

क्षेत्र पर्वतीय विकास के लिये एक सचिव और एक राज्य मंत्री हैं जिनको कोई पावर नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। पता नहीं दस्तखत के लिये फाइल भी आती है या नहीं। इन दोनों के हाथों में पर्वतीय क्षेत्र के 55 लाख लोगों के विकास का काम सौंप दिया गया है। आपने कहा कि 300 करोड़ रु0 का बजट पर्वतीय विकास के लिये दिया, बहुत ढिंढोरा पीटा गया। उसका कार्यान्वयन कैसे होगा? कहते हैं कि हिमांचल प्रदेश के बराबर यहां के पर्वतीय विकास के लिये बजट दे दिया। कितनी बराबरी की बात करते हैं। इसमें भी बातें हैं, वह यह है कि हिमांचल में उस बजट के लिये, उसके नियोजन के लिये, उसे खर्च करने के लिये, उसकी देखरेख करने के लिये, उस पर काम करने के लिये, वहां पूरी सरकार है, मुख्य मंत्री हैं, सदस्य हैं, पूरी सरकार है।

लेकिन आप वहां के बराबर बजट देकर उसका ढिंढोरा पीटकर खुश करना चाहते हैं? यहां क्या व्यवस्था है, दो ही लोग हैं, एक सचिव, एक राज्य मंत्री। राज्य मंत्री, जिनके पास तो कोई शक्ति नहीं है। पर्वतीय विकास परिषद् की बैठकें बुलाई नहीं जाती। इस विभाग को पूरी तरह देखा नहीं जाता, न नियोजन को देखा जाता है। वहां की जनभावनाओं के अनुरूप, वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के मुताबिक जो योजनायें बनें उत्तर प्रदेश सरकार का नियोजन विभाग उसे माने, ऐसा नहीं है। न कोई फाइनेन्शियल पावर है। वित्त की जो शक्ति है, वित्त का जो अधिकार है, पर्वतीय विकास विभाग के पास नहीं है। आपने बजट दिया, परियोजनायें दी, कार्यान्वयन पर्वतीय विकास विभाग करे, लेकिन पर्वतीय विकास के संदर्भ में काम करने वाले विभिन्न विभागों के काम करने वाले अधिकारी, कर्मचारी हैं उन पर प्रशासनिक नियंत्रण पर्वतीय विकास विभाग का नहीं है। कोई प्रशासनिक नियंत्रण इस विभाग का उन अधिकारियों पर नहीं है। नतीजा यह है कि जो पैसा आप दे रहे हैं, ढिंढोरा पीट रहे हैं, वह पैसा बरबाद हो रहा है, उस पैसे का उपयोग नहीं हो रहा है। क्योंकि वह भ्रष्टाचार में, मुनाफाखोरी में चला जा रहा है।

पर्वतीय विकास कुछ भी नहीं है, यह मेरा स्पष्ट आरोप है। मान्यवर, जब मैं कल पर्वतीय क्षेत्र विकास गया, तो वहां हड़कम्प मचा हुआ था इसलिये कि जो 19 तारीख को बजट पेश होना था इस विभाग का, वह आज होना है। वहां के लोगों ने मुझे कुछेक कागज दे दिये कि यह-यह परियोजनायें हैं। दो क्षेत्रीय कार्यालय पर्वतीय विकास के स्थापित किये जा रहे हैं पौड़ी और अल्मोड़ा में, वह भी एक झुनझुना है। हमने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र का विकास करें, केन्द्र सरकार कह रही है कि पर्वतीय क्षेत्र का विकास करें, दुनिया के लोग भी कह रहे हैं कि पर्वतीय क्षेत्र का विकास हो सही नियोजन हो तभी देश में खुशहाली रहेगी। आप कहते हैं कि विकास होना चाहिये। आपने दो क्षेत्रीय कार्यालय दिये, उन दो कार्यालय की गति क्या है? आप वहां ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी बिठायें, विशेष सचिव स्तर का अधिकारी बिठायें या आपके सेक्रेटरी बैठें, उसकी वही गति होगी है। यहां प्रमुख सचिव बैठे हैं, राज्य मंत्री बैठे हैं, उनका नियंत्रण नहीं है, पावर नहीं है। अल्मोड़ा में बैठे ज्वाइंट सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी को क्या पावर होगी? उन्हें योजना बनाने के लिए लखनऊ का मुंह देखना होगा। 10 रु0 से लेकर 10 करोड़ के लिए फाइनेंस का चक्कर काटना पड़ेगा। एक बात हो सकती है वह यह होगी कि अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति जरूर होगी। वह लखनऊ के जरूर चक्कर काटेंगे। दोनों क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारी कर्मचारी रोज लखनऊ के चक्कर काटेंगे और डी0 ए0 टी0 ए0 बनायेंगे और इसका भार जनता पर बढ़ायेंगे, इसलिए मेरा निवेदन है कि पर्वतीय विकास मंत्री कृपया इस पर ध्यान दें और दोनों क्षेत्रीय कार्यालयों को पूरी ताकत दें पूरा अधिकार दें। मान्यवर, जो डिस्ट्रिक्ट सेक्टर की प्लानिंग है, जिला सेक्टर

की जो परियोजनाएं हैं, वह हमको बनानी होती हैं, चाहे विधायक रहे या न रहे, उसमें डी0 एम0 के दस्तखत हो जाते हैं और यह मान लिया जाता है कि यह हमारी बात है। लेकिन अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के जिम्मे यह मढ़ डाल दिया है कि वह जिला नियोजन अपनी ओर से करेंगे। इससे काम नहीं चलने वाला है। राज्य सेक्टर का जो नियोजन है, जो उसका पैसा है, उसके लिए प्राथमिकता वहीं तय होनी चाहिये, इसलिए दोनों कार्यालयों को नियोजन करने का पूरा अधिकार होना चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो परियोजनायें स्वीकार की जाती हैं, जो परिव्यय होता है, उसकी पावर दोनों कार्यालय के अधिकारियों की बॉडी को होनी चाहिए। उनको इतनी पावर होनी चाहिए कि वह अपने स्तर से परियोजनाओं को स्वीकृति दे सकें। यह नहीं होना चाहिये कि हर छोटे से काम के लिए उन्हें लखनऊ दौड़ना पड़े, लखनऊ दौड़ने की जहमत नहीं होनी चाहिये।

तीसरी बात जो योजनायें आप बनाते हैं, नियोजन आप करते हैं, उसका क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें अधिकारी लोग काम कर रहे हैं या नहीं, उनके ऊपर अंकुश करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए यह जो आपने क्षेत्रीय कार्यालय खोला है, उसके अधिकारियों को इतने अधिकार दिये जाने चाहियें कि वह ऐसे लोगों पर नियंत्रण पूरी तौर से कर सकें। उनको इंट्री करने का या उन्हें दंडित करने का अधिकार दिया जाना चाहिये। अगर यह तीन चीजें आप कर देंगे तो मैं समझूंगा कि वास्तव में आप पर्वतीय विकास करना चाहते हैं। अगर आपने यह चीजें नहीं कीं तो हम समझेंगे कि आप पर्वतीय विकास की बात केवल जनता को, इस देश की, प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं।

दूसरी बात जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, चूंकि समय बहुत कम है इसलिए मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त करने की चेष्टा करूंगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यहां कहा जाता है कि हमने हिमांचल के बराबर आपको दे दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप देखें कि दोनों में फर्क क्या है। आप हिमांचल प्रदेश से इसकी तुलना करते हैं क्यों नहीं आप इसकी तुलना सिक्किम, नागालैण्ड, मेघालय, त्रिपुरा से करते हैं। वहां की छठी योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति परिव्यय है, उसके मैं आंकड़े संक्षेप में आपके सामने रखना चाहता हूं। हिमांचल प्रदेश में छठीं योजना से सातवीं योजना तक परियोजना परिव्यय में 87.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इसी तरह जम्मू काश्मीर में 55.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मणिपुर में 79.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इस तरह मेघालय में 87.20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, नागालैंड में 90.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और सिक्किम में 88.50 प्रतिशत की तथा त्रिपुरा में 79.63 प्रतिशत की वृद्धि परियोजना परिव्यय में हुई है और आप बराबर का दावा करते हैं कि पर्वतीय विकास में हिमांचल के बराबर कर दिया है, उत्तर प्रदेश में केवल यह प्रतिशत 53.29 ही है, इससे आपका दावा झूठा साबित हो जाता है।

इसी तरह छठीं योजना से सातवीं पंचवर्षीय योजना के जो प्रति व्यक्ति व्यय के आंकड़े हैं, उनको भी मैं संक्षेप में रखना चाहता हूं। हिमांचल प्रदेश में छठी योजना से सातवीं योजना तक इसमें काफी अन्तर आया है। यह गत वर्ष 86-87 में हिमांचल में 486 रु0 था, जो इस वर्ष बढ़कर 549 रु0 हो गया लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में यह अब दो वर्षों बाद 538 रु0 हुआ है। जो वह दो वर्ष पहले पहुंच चुके थे, उस पर अब हम पहुंच सके हैं। इससे जाहिर होता है कि आपका दावा

एकदम खोखला है। आप हिमाचल के बराबर पैसा अब दे रहे हैं लेकिन उनके बराबर आपकी व्यवस्था नहीं है, आप उनके बराबर व्यवस्था कर ही नहीं सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कितनी प्रगति हुई है, जन सुविधाओं की, सामाजिक सेवाओं की और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की चीजों में।

लेकिन हमारे यहां क्या हुआ है। मेरे पास आंकड़े हैं, आप चाहें तो मैं आपको अलग से दे सकता हूं, लेकिन इससे साबित होता है कि जो हिमाचल में हो रहा है वह आप कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए आपको यह सम्पूर्ण व्यवस्था ठीक करनी होगी। मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। पर्वतीय क्षेत्र विकास की बात आपने कही है। आप ही के आंकड़े कहते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के लिए 570 करोड़ रु0 पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए था, उसके बावजूद भी अपकी जो परियोजनायें थी, उसे पूरा करने के लिए आपको 243 करोड़ की और आवश्यकता थी। 357 करोड़ रु0 की आज आपको और आवश्यकता है। छठी पंचवर्षीय योजना के कार्यों का जब यह हाल है, सातवीं पंचवर्षीय योजना आपकी खत्म होने को जा रही है, आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आप तैयार हैं, तो ऐसी स्थिति में आप बतायें कि किस तरह से आप पर्वतीय क्षेत्र का विकास करेंगे, इस पर आप गहराई से विचार करें। और ठोस कदम उठायें। जब आप कोई ठोस कदम उठायेंगे, तभी आपका पर्वतीय विकास मंत्री के पद पर रहना न्यायोचित होगा।

केन्द्रीय सरकार जो अपना बजट देती है, और उसमें जो वह बढ़ोत्तरी करती है, वह तो ठीक है, किन्तु आप जो यह कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के लिए मुश्किल पैदा करता है, उसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं 1987-88 में उत्तर प्रदेश का अंशदान केवल 46.2 प्रतिशत था, जो 1988-89 में घटकर यह केवल 44.7 प्रतिशत रह गया और 1989-90 में घटकर यह केवल 43.3 प्रतिशत रह गया है। इस प्रकार जो आप पर्वतीय क्षेत्र के विकास का ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारा ज्यादा पैसा पर्वतीय क्षेत्र पर खर्च हो जाता है, बिल्कुल गलत है। हो यह रहा है कि केन्द्र सरकार से जो पैसा मिलता है, उसका दुरुपयोग किया जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे देखें और सुनिश्चित करें।

प्राथमिकताओं के बारे में मैं अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आपने कुछ प्राथमिकताओं को बताया है, जैसे फलोत्पादन, पर्यटन, पशुपालन और दुग्ध आदि। आपने इन प्राथमिकताओं के हिसाब से क्या परिव्यय रखा है। परिव्यय रखा भी है कि नहीं। फलोत्पादन के बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं। आपने कहा कि 10 हजार हैक्टेयर में फल पट्टी बनायेंगे। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि यह 10 हजार हेक्टेयर जमीन आप लायेंगे कहां से? जो हमारी कृषि भूमि है, क्या उसमें से लेंगे या फिर वन भूमि से लेंगे। यदि वन भूमि से लेने का आपका इरादा है तो आपकी जो यह योजना है, उसमें वन संरक्षण अधिनियम लागू हो जायेगा। आप एक गड्ढा तो खोद नहीं सकते, फल पट्टी कहां से बनायेंगे। इसकी कल्पना कैसे हम करें कि आप फल पट्टी बनायेंगे। इसलिए आपकी योजना भी एक ढोंग है। कृषि भूमि के बारे में तो मान्यवर, आप जानते ही हैं, वहां पर आदमी के पास आधे हेक्टेयर से ज्यादा जोत की जमीन नहीं है।

दूसरा, आपने पशु पालन व दुग्ध विकास की बात कही है। दुग्ध विकास के लिए आप भी सहमत होंगे कि कम से कम चारे की आवश्यकता होगी। चारा कहां से मिलेगा। हमारे यहां तो चारे के लिए पेड़ों की टहनियां काटी जाती हैं, किन्तु

उसे आप काट नहीं सकते हैं क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम लागू है तो ऐसी स्थिति में कैसे दुग्ध उत्पादन बढ़ पायेगा और पशुओं की संख्या बढ़ पायेगी। आपने 8 हजार हैक्टेयर में चारा उगाने व वनीकरण की बात कही है। क्या 8 हजार हैक्टेयर से आप चारे की खपत पूरा कर लेंगे। इसलिए पशुपालन के लिए आप चारा कहां से देंगे, इस पर ध्यान दें। इस पर कृपया ध्यान दें, चारे का विकास जरूर करें। इसको निश्चित करें कि पशुपालन और दुग्ध विकास में जो पैसा लगता है, उसका सदुपयोग हो। दोनों की व्यवस्था सुनिश्चित करें तब समझूंगा कि प्रायरटी देकर काम कर पायेंगे।

इसके अतिरिक्त फलोत्पादन की बात कही है। इसमें सुझाव देना चाहूंगा कि आज हिमाचल की क्या स्थिति है और हमारी क्या स्थिति है कहने की आवश्यकता नहीं है। एक निवेदन करना चाहूंगा आपने पर्वतीय क्षेत्र में सेब को खरीदने के लिए समर्थन मूल्य 1.50 रु0 दिया है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

(श्री काशी सिंह ऐरी द्वारा ध्यान न दिए जाने पर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय ऐरी जी, अब आप समाप्त करें।

श्री काशी सिंह ऐरे--

वहां से सेराघाट तक लाने में कितना देना पड़ेगा, इसको आपने नहीं देखा, कितना हैंड लोड में पैसा देना पड़ेगा, इसको आपने नहीं देखा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप वास्तव में समर्थन मूल्य दिलाना चाहते हैं तो अलग-अलग कैटेगरी बनानी पड़ेंगी। हैंड लोड में कोई चीज खरीदेंगे तो कितने में खरीदेंगे और सड़क पर आने के बाद कितने में खरीदेंगे।

जिस तरह मैदानी क्षेत्रों में फसलों के मूल्य के लिए फसल समर्थन आयोग अपनी रिकमण्डेशन देता है, उसी तरह से पर्वतीय क्षेत्र में फल समर्थन मूल्य आयोग बनाने की कृपा करें।

जिस तरह से फसल बीमा योजना मैदानी क्षेत्र में शुरू हुई है, वैसे ही पर्वतीय क्षेत्र में शुरू करनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र में जो फलों की विविधता है, उसको कैसे बढ़ाया जाय, इसके लिए भी प्रयत्न करना चाहिए।

पशुपालन के विषय में बताया है, जब तक वन संरक्षण अधिनियम से निजात नहीं पा लेते और चारे की व्यवस्था नहीं कर लेते तब तक कुछ होने वाला नहीं है।

वानिकी का भी बड़ा जोर है, लेकिन उसमें पैसा कम है। वन संरक्षण अधिनियम के नाम पर एक भी रोड नहीं बनने दे रहे हैं, पेयजल योजना नहीं बनने दे रहे हैं और कोई पुल नहीं बनने दे रहे हैं। सारे विकास कार्यक्रम ठप्प हैं। जंगल लगाने के लिए कोई पैसा या सहायता नहीं दे रहे हैं और जो भी रहे हैं वह ठीक तरह से खर्च नहीं हो रहा है। जब लाखों पेड़ों की बात होगी, तो हजारों पेड़ लगाए जायेंगे और उसमें से भी आधे सूख जायेंगे। एक लाख के प्लाण्टेशन की बात होगी तो मौके पर एक हजार पेड़ भी नहीं मिलेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री काशी सिंह ऐरी—

पेड़ भी लगायेंगे तो यूकीलिप्टस के लगायेंगे क्योंकि उनकी आवश्यकता उद्योग पतियों को होती है। एक तो इसमें बजट बढ़ाने की आवश्यकता है और दूसरे प्रभावी ढंग से प्लाण्टेशन करने की जरूरत है। ऐसी प्रजातियां जो चारा, ईंधन और घास दे सकें उनको लगाने की जरूरत है। इसमें एक सुझाव और है जिस तरह से जम्मू और कश्मीर में आपने वनों के काम में भूतपूर्व सैनिकों को संगठित करके लगाया है, उसी तरह से पर्वतीय क्षेत्र में भी साढ़े चार लाख भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको संगठित करके जंगल बनाने में उनकी सेवा लेनी चाहिए। इससे भूतपूर्व सैनिकों का भी भला होगा और जंगलों का भी मैनेजमेन्ट ठीक होगा। इसके अतिरिक्त मान्यवर, संक्षेप में मैं शिक्षा की ओर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसमें सालों-साल शिक्षकों की व्यवस्था नहीं थी। आज असरकारी शिक्षक तीन-चार साल से हैं जब उनका ही कोई भविष्य नहीं है तो वे आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या बनायेंगे? इसलिए मेरी प्रार्थना है कि उनकी रोजी-रोटी की तरफ भी आप जरा ध्यान दें।

इसके साथ ही मैं वहां के उद्योग के बारे में भी कहना चाहूंगा कि वहां और उद्योग लगाए जाने चाहिए। इलेक्ट्रोनिक उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिससे कि वातावरण भी प्रदूषित नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं और अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

समय बहुत हो गया है, मैं चाहूंगा कि संक्षेप में आप लोग अपने सुझाव के रूप में ही कुछ कहें।

*श्री पूरन सिंह माहरा—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे पर्वतीय विकास के बारे में, जो कि हमारे वरिष्ठ सदस्य माननीय गुलाब सिंह जी ने रखा है, उस पर बोलने का मौका दिया है। मैं उनके द्वारा रखे गए बजट का समर्थन करता हूं। मेरे योग्य सदस्य, माननीय काशी सिंह ऐरी जी को मैं सुन रहा था और समझता था कि पर्वतीय विकास के लिए वे बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव देंगे, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वे आंकड़ों के मायाजाल में ही उलझ कर रह गये। जो बातें उन्होंने अभी कही ये सारी बातें यहां दो बार माननीय सदन में आय-व्ययक की सामान्य चर्चा पर सत्ता पक्ष के सदस्य प्रस्तुत कर चुके थे। मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यहां से लेकर केन्द्र सरकार तक यानी कि राजीव गांधी की सरकार के लिए भी कहा कि वे भी पर्वतीय क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं।

मान्यवर, अब मैं कुछ बातें पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए और पर्यटन के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां पर पेय जल की गम्भीर समस्या है। यहां अधिकारी स्तर पर यह निर्णय ले लिया गया है कि वहां पर अब लिफ्ट पेय जल योजना को नहीं चलायेंगे। पर्वतीय क्षेत्र में हमारी मां, बहनें पांच-पांच किलो मीटर से पानी ढोकर गांवों में लाती हैं। वहां स्रोत का पानी नहीं है, प्रेवटी का पानी नहीं है। वहां पर्वतीय क्षेत्र में लिफ्ट पेय जल योजना को बन्द न होने दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात वन संरक्षण अधिनियम के विषय में है जिसके कारण सारा विकास रुक गया है । मेरा निवेदन है माननीय मंत्री जी से और माननीय मुख्य मंत्री जी से कि यदि वन संरक्षण अधिनियम के कारण विकास के कार्य रुक गए हैं तो अभी एक कार्य ऐसा है कि पर्वतीय क्षेत्र के लोगों में जिज्ञासा है, वह चाहते हैं कि विकास के कार्य रुक जाने से जो पैसे का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है जब तक वन संरक्षण अधिनियम का सरलीकरण नहीं हो रहा है तब तक आप उस पैसे को शिक्षा के क्षेत्र में लगा दें, वहां से जिस शिक्षण संस्था के उच्चीकरण की मांग आये उसे आप तुरन्त स्वीकार कर लें ।

पर्वतीय क्षेत्र में लोगों के जीवन का मुख्य जरिया उद्यान है लेकिन दुख की बात है कि मैं सात-आठ साल से देख रहा हूं कि उद्यान विभाग का पहले एक अलग से निदेशक होता था जबकि वहां की भौगोलिक स्थिति समस्याग्रस्त थी । परन्तु आज उत्तर प्रदेश में अलग से इसका निदेशक नहीं है और जो है भी वह यहां मैदानी क्षेत्र में बैठा हुआ है उसे वहां जाने की फुर्सत नहीं है । 1953 में पंडित गोविन्द बल्लभ पंत ने इस डायरेक्ट्रेट की स्थापना की थी । इस प्रकार से दोनों जगहों पर अलग-अलग डायरेक्टर थे परन्तु अब एक कर दिए गए हैं, जिससे सारे कार्य अवरुद्ध हैं । इसलिए इस ओर मेरा सुझाव है कि तत्काल पर्वतीय क्षेत्र का एक अलग से डायरेक्टर बनाकर भेज दिया जाए ।

अब मान्यवर मैं पी0 डब्ल्यू0 डी0 के बारे में कहना चाहता हूं कि कहीं पर तो आज हाट-मिक्स से मोटी सड़कें बनाई जा रही हैं और कहीं पर बीस वर्षों से बनी हुई सड़कें पक्की तक नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से वहां आवागमन से धूल उड़ती है और इस धूल के उड़ने से यात्रियों को टी0 बी0 व अन्य बीमारियों के पैदा होने का अंदेशा रहता है और दुकानदारों के रखे हुए सामान के ऊपर भी गर्द पड़ती है । इसलिए इस ओर मेरा सुझाव है कि यदि बजट की कमी के कारण आप उन सड़कों को पूरा पक्का करने में समर्थ नहीं हैं तो कम से कम आबादी वाले क्षेत्रों में आधे किलो मीटर से एक किलोमीटर तक सड़कें ही बनवा दें जिससे यात्रीगण भी अन्य बीमारियों के शिकार होने से बच सकें और दुकानदारों के रखे सामान पर भी गर्द न पड़ सके ।

अब मान्यवर, मैं वनों के बारे में भी कहना चाहता हूं, हम सबका जीवन उससे जुड़ा हुआ है । यहां पर आपने जो वन संरक्षण अधिनियम बनाया है जिसकी वजह से वहां तक हम लोग जा नहीं सकते । जबकि मान्यवर आज हमारे देश में ही कश्मीर में यह अधिनियम लागू नहीं है, और वहां पर जो सुविधाएं हमें प्राप्त थीं, वह भी नहीं मिल रही हैं, पर्वतीय क्षेत्र जो दुर्गम है, जहां काफी निर्धनता है । यदि आप सही मायनों में वनों की सुरक्षा करना चाहते हैं, तो वहां के जन-जन को वहां से जोड़ना होगा, इसके लिए आपको वहां पर जालौनी लकड़ी, गैस, विद्युत तथा चीरा पत्ती आदि आधे दामों पर उपलब्ध कराना होगा ताकि लोगों का ध्यान जंगलों से हट सके ।

इसी प्रकार से मान्यवर अब मैं सहकारिता के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं कि रानी खेत के लिए एक सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र का शासनादेश हुआ है, लेकिन उसे अन्यत्र खेलने की कोशिश की जा रही है । इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से हमारा सुझाव है कि जैसा कि शासनादेश रानी खेत के लिए प्रशिक्षण केन्द्र के खोलने के लिए हुआ है, उसी के अनुसार वहीं पर इसे खोला जाना चाहिए, इससे विकास में असंतुलन भी दूर होगा ।

अब मान्यवर, मैं पर्यटन के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहूंगा । पहले तो इस सम्बन्ध में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय पर्यटन मंत्री जी को बधाई दूंगा

चाहता हूं कि उन्होंने वहां पर पर्यटन के लिए दी जाने वाली धनराशि 50 हजार से बढ़ा कर ढाई लाख रु0 कर दी है तथा 50 हजार तक सब्सीडी देने का निर्णय लिया है। और पर्यटन को उद्योग विभाग से जोड़ दिया है। इससे नीचे के स्तर में भी वहां पर प्रगति होगी। इसके लिए मैं आपको कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं कि कुमायूं मंडल विकास निगम से इसे छीनकर आपको पर्यटन विभाग द्वारा ही संचालन करना होगा। जिससे वहां के बेरोजगार व्यवसायियों को आगे ला सकें। और पर्यटन व्यवसाय से उनको छोड़ सकें। इसी प्रकार से मेरा सुझाव है कि पर्वतीय विकास विभाग के राज्य मंत्री को अधिक से अधिक अधिकार मिलने चाहिए साथ ही प्रमुख सचिव के नीचे 4 और सचिव होने चाहिए, जिन्हें अधिकार के साथ-साथ क्रियान्वयन का भी अधिकार होना चाहिए और पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक अलग से वित्त विभाग का सेल होना चाहिए जिससे सारे कार्य समय से हो सकें। श्री आर0 के0 दर साहब जब इसके सचिव बनकर वहां आए थे तो हम सभी विधायकों को बड़ी आशाएं बनी थीं परन्तु पता नहीं क्यों वह भी पर्वतीय क्षेत्र की जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य कर सकने में असमर्थ हो रहे हैं साथ ही हमारा यह भी सुझाव है कि पर्वतीय विकास का एक यहां पर बड़ा भवन बनाया जाए जिसके नीचे पर्वतीय विकास विभाग से सम्बन्धित सारे मांडल आफिसर तथा विभाग हों ताकि पर्वतीय क्षेत्र से आने वाले व्यक्ति यहां पर आकर भटकते न फिरे, बल्कि एक ही छत के नीचे सुबह से शाम तक हर विभाग का कार्य करवा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोनों बजटों का समर्थन करता हूं और मान्यवर जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जय हिन्द, जय भारत।

*श्री माता प्रसाद पान्डेय—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि पर्यटन और पर्वतीय विकास दो बजट हैं, जिसे एक ही माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, जब तक पर्यटन की माननीय मंत्री जी प्रेमिला बहुगुणा हैं मैं नहीं समझता हूं कि वह यहां पर हैं या नहीं, लेकिन दोनों बजट एक ही दिन जब होते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि एक दिन पर एक बजट का 4 घंटा। मान्यवर, इसको कम से कम 4 घंटे तो चलायें।

श्री अधिष्ठाता—

मानता हूं लेकिन सदन सक्षम है कि जैसे चाहे व्यवस्था बनाये रखें।

डा0 शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, माननीय ऐरी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका विरोध करता हूं। मान्यवर, यह बजट जो है यह पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष है, उसका बजट है। इससे पहले के 4 वर्षों के बजट में देख चुका हूं और यह देखा चुका हूं कि उनसे धरती पर क्या आया है और उसका स्वरूप क्या बना है? मान्यवर, यदि आप पर्वतीय अंचल को देखें, और वहां के प्रत्येक व्यक्ति से पूछें, तो यही उत्तर वह देगा कि हमारे सामने तो कुछ आया ही नहीं है। इसके मान्यवर, कुछ कारण हैं, मैं यह तो नहीं कह सकता, कि सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किया जाता है, लेकिन किसी न किसी जगह पर कहीं न कहीं पर ऐसे कारण हैं और ऐसी कमियां हैं, जिनके कारण धरती पर बीज उगता नजर नहीं आता है।

मान्यवर, अब मैं इन सबके मूल बिन्दु पर आ रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि वन अधिनियम से रहते पर्वतीय विकास नहीं हो सकता है। इसके रहते न तो वहां पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सड़कें बन सकती हैं और न ही और कोई काम हो सकता है। वन अधिनियम अगर चालू न होता, तो बिजली की लाइन पर्वतीय अंचलों पर टिमटिमाती नजर आती। मैं ऐसा इसलिये कह रहा हूं कि पहाड़ों में बिजली दिन में आती है और रात में अंधेरा रहता है। पेयजल की समस्या है, नलों के द्वारा जंगल का कोई कटान नहीं होता है, लेकिन इस वन अधिनियम के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नल नहीं बिछाये जा सकते हैं। इसलिये पर्वतीय अंचलों का विकास करना बहुत कठिन हो गया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अब हर चीज के लिये हिमाचल का उदाहरण देते हैं। हिमाचल में सारे विभाग के लोग एक जगह पर बैठते हैं और किसी भी समस्या पर निर्णय करते हैं परन्तु उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता यहां के विभागीय अधिकारी आपस में बैठकर योजनाओं को पास करते ही नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश में यदि सड़क बनानी होती है तो सार्वजनिक निर्माण वन विभाग का जो उच्च अधिकारी होता है, वह बैठता है और अन्य विभागों के अधिकारी बैठते हैं और वहीं पर फैसला कर लेते हैं लेकिन हमारे यहां पर कोआरडीनेशन की कमी है। एक अधिकारी दूसरे विभाग के अधिकारी से सम्पर्क नहीं करता है चमोली में सड़क बनी है तो गोपेश्वर का डी0 एफ0 ओ0 गोपेश्वर में ही एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर को चिट्ठी लिखता है, तो तीन महीने के बाद जवाब आता है इस प्रकार से कोआरडीनेशन की कमी है और जो सहयोग होना चाहिये वह नहीं हो पाता है। यह पर्वतीय अंचल की प्रगति का सबसे बड़ा बाधक बन गया है। वन अधिनियम के कारण पहाड़ की प्रगति रुक गई है।

पहले जो मोटर मार्ग बने थे। उनमें कहीं-कहीं बीच-बीच में 3-3, 4-4 पेड़ कटने से रह गये। उन पेड़ों के कारण मोटर यातायात नहीं हो सका। इस पर कई बार वन विभाग से आग्रह किया गया कि वे इन पेड़ों को काट दें ताकि मोटर यातायात सुलभ हो सके। परन्तु, वन विभाग की चुप्पी ने जनता को दुखी कर दिया। इसी दुख को देखकर वर्तमान अध्यक्ष, जिला परिषद्, चमोली के श्री रामचन्द्र उनियाल ने 3 वर्ष पूर्व देवाल क्षेत्र मोटर मार्ग पर 3-4 पेड़ जनता से कटवाकर मोटर मार्ग खुलवा दिया था।

हम नियमों के विरुद्ध नहीं जाना चाहते। परन्तु मिलकर पर्वतीय अंचल की समस्याओं को हल करना चाहते हैं। वन अधिनियम के विरुद्ध नहीं हैं परन्तु जन सहयोग योजनाओं के लिए इस अधिनियम में सुधार चाहते हैं। कि हमारे यहां की जितनी भी समस्यायें हैं उनका निदान हो, उसमें हमारा भी सहयोग हो, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का भी सहयोग हो और हम सब मिलकर यह काम करें।

मान्यवर, अब मैं वन अधिनियम के बाद सबसे गम्भीर समस्या और अंशकालिक अध्यापकों के बारे में कहना चाहता हूं। पिछले 3 वर्षों से अंशकालिक अध्यापकों की ऐसी दुर्गत हो रही है न तो उनको सर्विस मिल रही है, न सरकारी नौकरी दे रहे हैं और न उन्हें रेगुलर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में न तो वे अध्यापन में रुचि ले रहे हैं और न स्कूलों में रेगुलर अध्यापक हैं। मान्यवर, आपने देखा होगा कि यहीं पर विधान सभा के सामने टेन्ट लगाकर वे लोग बैठे हुये हैं। आप स्वयं सोच सकते हैं कि वहां के शिक्षण की क्या स्थिति होगी। पहाड़ों पर स्कूल जरूर बने हैं पर अध्यापक कहीं नहीं हैं। सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे। अन्यथा पहाड़ में भयंकर स्थिति पैदा हो जायगी (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर दो ही व्यक्ति विरोध में बोल रहे हैं। आप कुछ ज्यादा समय मुझे दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

आप दो मिनट और बोल लें।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

पान्डेय जी तो बोल नहीं पायेंगे । अधिष्ठाता महोदय यहां पर प्रोक्सी नहीं हो रही है, सोचने की बात है । मान्यवर, अंशकालिक अध्यापकों के बारे में सरकार निर्णय कर दे तो एक बहुत बड़ी समस्या उनकी और हमारी हल हो जायेगी । इस समस्या पर अविलम्ब निर्णय करना बहुत आवश्यक है ।

मान्यवर, पर्यटन के बारे में कहा गया है । चूंकि समय कम है इसलिए केवल बिन्दु के रूप में ही कह रहा हूं । पर्यटन पहाड़ में जितना सफल हो सकता है, अन्यत्र नहीं हो सकता । अब तक इसका जो स्वरूप होना चाहिए वह नहीं हो पाया । मैं समझता हूं कि यहां पर दुर्बल शासन चल रहा है । पर्यटन विभाग का सीधा नियंत्रण वहां पर न होने की वजह से इस तरह की व्यवस्था है । जो हो भी रही है वह पंच-सितारा होटलों की चल रही है । इन पंच सितारा होटलों से वहां की क्या प्रगति होगी, यह मैं नहीं समझता । मुझे मालूम है कि इस विभाग में बड़ी सूझ-बूझ के लोग हैं । वे कार्यवाही करें तो पर्यटन के दिशा में वहां काफी कार्य हो सकते हैं और इससे पर्वतांचल भी लाभान्वित हो सकता है ।

मान्यवर, जो 50 हजार रुपये पहले इस विभाग को अनुदान के रूप में दिया जा रहा था वह अब ढाई लाख रुपये कर दिया गया है । शायद ऐसा किया गया है । लेकिन पता नहीं वह मिल भी पा रहा है या नहीं . . . (व्यवधान) मेरा आपसे निवेदन है कि जो ढाई लाख रुपये की राशि आपने स्वीकार की है वह पर्वतीय अंचल के लोगों को मिलनी शुरू हो जाय तो अनेकों पर्वतीय उद्यमी इस दिशा में आगे बढ़कर पर्यटन उद्योग को प्रभावी बनाने में सफल होंगे । तभी पर्यटन उद्योग वहां सफल होगा । मान्यवर, मैंने पहले भी कहा था कि यह पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष का बजट है और इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बजट में बचती-खुचती नजर आती हैं, अगर बजट में गुंजाइश हो और बचत की कोई सम्भावना हो, तो मेरा माननीय मंत्री जी आग्रह है कि पर्वतीय अंचल में जो हमारे विद्यालय हैं, उनकी बहुत बड़ी समस्या है और वह है शाखा विद्यालयों की 8 जिलों के जो शाखा विद्यालय हैं जो प्राइमरी विद्यालय हैं । उनमें न तो बिल्डिंग है न स्कूल है अगर कुछ रुपया बचता है तो एक ही बार आप उनको अनुदान दे दीजिये जिससे उनकी यह समस्या दूर हो ।

दूसरी बात यह है कि जो हमारे अन्य विद्यालय हैं, उनको भी कैसे आगे बढ़ा सकते हैं ? इस दिशा में सरकार ध्यान नहीं दे रही है । हाई स्कूल इन्टर तथा डिग्री कालिजों के भवन तक नहीं हैं । यदि कुछ बचत होती है तो विद्यालयों को खोलने पर वह लगाया जाय ।

(व्यवधान)

मान्यवर, आप तो जल्दी-जल्दी लाल बत्ती कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप सीमित करें ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, मैं संक्षेप में ही बोल रहा हूं । अन्यथा जैसा आपने सार्वजनिक निर्माण विभाग का बजट पास कर दिया, ऐसा ही हमारा भी पास कर दें ।

श्री अधिष्ठाता—

ऐसा नहीं है ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यदि माननीय मंत्री जी और यह सरकार वास्तव में पर्वतीय अंचल के विषय में जागरुक है तो वहां की जो छिट-पुट समस्यायें हैं, उनका निदान कर दिया जाय तो वहां काफी विकास हो सकता है । हम नहीं कहते कि शासन की ओर से रुपया नहीं जाता है । परन्तु वह बिना विभागों के पारस्परिक सहयोग के खर्च नहीं हो पाता या उसका दुरुपयोग हो जाता है । पर्वतीय अंचल में अध्यापकों के अलावा डाक्टरों की कमी है पेयजल समस्या का हल अभी तक नहीं हुआ है । भूमि संरक्षण कार्य संतोषजनक नहीं है । उद्योग धन्धे नहीं हैं । युवकों के लिए कोई स्पष्ट मार्ग नहीं है ।

अन्त में पुनः शासन को सुझाव देना चाहूंगा कि पर्वतीय जनजीवन में पर्याप्त सुधार लाने के लिए वन अधिनियम में आवश्यक परिवर्तन करवा दें । अंशकालिक अध्यापकों एवं डाक्टरों को नियमित सेवा में लेने का निर्णय शीघ्र ले लें । पर्यटन उद्योग को प्रभावी बनाने क योजना बना लें । स्कूलों के लिए भवन तथा पठन-पाठन की सामग्री उपलब्ध करवा दें । प्राइमरी की शाखा विद्यालयों को मूल विद्यालय में परिवर्तन करने हेतु एक साथ निर्णय ले लें ।

डाक्टर रजनी कांत दत्त—

मान्यवर, इसमें पर्यटन विभाग का भी बजट है इसलिये हमें भी समय दें ।

श्री अधिष्ठाता—

समय बचेगा तो आपको भी समय मिलेगा ।

*श्री किशन सिंह तड़ागी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पर्वतीय विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, हमारी सरकार पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिये बड़ी चिन्तित है । सरकार चाहती है कि वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो इसके लिये अलग से पर्वतीय विकास विभाग खोला है । जैसा कहा गया है कि वहां जगह-जगह सड़कों का जाल बिछाया जायेगा लेकिन जैसे अभी मेरे मित्र ने कहा कि 1980 का वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की वजह से विकास के कार्यों में गति अवरुद्ध हो गयी है । आम जनता, जो पर्वतीय क्षेत्र की रहने वाली है, उसमें इसके लिये गुस्सा है, उनका कहना है कि हमारी सड़कें 1980 के पूर्व जिस गति से बन रही थी वह 1980 के बाद बिल्कुल रुक गयी है । तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जो सड़कें पहले से बनी हुई हैं वह वन अधिनियम लागू होने से बीच में एक-दो कि0 मी0 बनकर आज से रुक गयी हैं । ऐसी सड़कों को बनवाने की व्यवस्था की जाय । यदि यह सड़कें नहीं बन पायेंगी तो पर्वतीय क्षेत्र का विकास नहीं हो सकेगा और जो सड़कें बनाने में खर्च हुआ है वह बेकार साबित हो जायेगा । इसकी वजह से वहां स्कूल नहीं बन पायेंगे, अस्पताल नहीं बन पायेंगे और इस प्रकार वहां के विकास के लिये जो धन दिया गया है वह बेकार रह जायेगा । इसलिये पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये इस वन अधिनियम को सरकार को कोशिश करनी चाहिये ।

[समय 8 बजकर 20 मिनट]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भारत सरकार का अधिनियम लागू होने के कारण जो प्रस्ताव होते हैं वह बिना भारत सरकार की सहमति के पास नहीं हो सकते हैं। भारत सरकार के लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नियमानुसार प्रस्ताव नहीं आते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वन विभाग को बदला दें और उनको चेतावनी दे दें कि बार-बार प्रस्ताव दिल्ली और दिल्ली से उत्तर प्रदेश न आया करें और सभी सम्बन्धित विभाग एक साथ बैठ कर प्रस्ताव तैयार कर लें।

मान्यवर, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये 50 हजार से ढाई लाख ऋण उत्पादन की योजना लागू की गयी है और उसमें 20 प्रतिशत सबसिडी का प्रस्ताव है तो उससे वहां की जनता की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और उससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और पर्यटकों को रहने के लिये भवन मिल सकेंगे।

पर्वतीय क्षेत्र में स्कूलों के भवन भी नहीं बन पा रहे हैं। स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिये यह कहा जाता है कि एक-एक बिल्डिंग को बनाने के लिये एक करोड़ से ऊपर का खर्च आता है। तो मेरा निवेदन है कि पूरा भवन न भी बने तो चार-चार कमरे के भवन प्रत्येक वर्ष बन जाया करें तो उससे बच्चों के बैठने का भी प्रबन्ध हो जायेगा और गर्मी वर्षा में आराम से बैठकर वह पढ़ाई कर सकेंगे।

इसी तरह से जो सड़कें रुकी हुई हैं और जो कच्ची सड़कें हैं उनको पक्का किया जाय।

नैनीताल जो एक पर्यटन स्थल है वहां पर पेयजल के लिये एक मात्र स्रोत तालाब है उसमें दिन प्रति दिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है क्योंकि गंदे पानी के नाले उसमें गिराये जाते हैं।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी बड़े-बड़े नाले पहाड़ की ओर से आते हैं जिसमें गंदा पानी रहता है, उन सब नालों को टेप करके सीवर लाइन में डाल दें जिससे वह गंदा पानी लेक में नहीं जायेगा और तब अच्छा पानी लोगों को उपलब्ध होगा।

मान्यवर, इसी तरह से स्वास्थ्य की ओर देखें तो पर्वतीय क्षेत्र में कहीं अस्पताल बने हैं तो डाक्टरों की कमी है और कुछ ऐसे स्थान हैं जहां भवन नहीं बने हैं और जहां भवन बने हैं तो वहां दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाना चाहते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो डाक्टर पर्वतीय क्षेत्र के अस्पतालों में रहना चाहते हैं, चाहे वह वहां के हों या मैदानी क्षेत्र के हों, जबतक उनकी शिकायत न हो तबतक उनका 10 साल तक स्थानान्तरण न किया जाये, यह मेरा सुझाव है। इससे अस्पतालों की देख-रेख बढ़ेगी।

मान्यवर, सरकार को मेरा एक यह भी सुझाव है कि हमारे क्षेत्र की कुछ सड़कें वन अधिनियम के कारण रुकी हैं जैसे परमपुरी से हंड़ाघाट और हंड़ाघाट से काठगोदाम तक एवं दूसरी सड़क रतनपुर से बैजपड़ाव तथा पाठकोटल से रामनगर तक की यह सड़कें जल्दी बनवा दी जायं ताकि लोगों को यातायात की सुविधा मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय अधिष्ठाता महोदय अभी मन्त्री जी ने पर्वतीय विकास और पर्यटन विभाग दोनों का बजट प्रस्तुत किया। पर्यटन मन्त्री इस समय उपस्थित नहीं हैं। मान्यवर, पर्वतीय विकास विभाग से....

श्री पूरन सिंह नाहरा—

माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पर्यटन मन्त्री नहीं हैं, जबकि वह हैं, तो आपकी नजर किस मन्त्री को ढूंढ रही है, यह बता दें ?

श्री मैनेजर सिंह—

जिसको ढूंढ रही हैं वह नहीं हैं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, पर्वतीय विकास विभाग से न केवल पर्वत में रहने वालों से बल्कि समस्त भारतवर्ष के उन तमाम लोगों का जो हिन्दू संस्कृति में विश्वास रखते हैं पर्वत से भावात्मक लगाव है और वहां जाने की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति की होती है चाहे वह कन्याकुमारी का रहने वाला हो या पश्चिमी बंगाल या गुजरात का रहने वाला हो । इसलिये पर्वतीय क्षेत्र के सम्बन्ध में मैं दो सुझाव देना चाहता हूं कि जब सारी दुनिया विकास की ओर जा रही है तो हमारे गांव का बूढ़ा आदमी जो धार्मिक भावना से केदारनाथ जाता है तो उसे पैदल और घोड़े से जाना पड़ता है । जब बूढ़ा आदमी गंगोत्री जाता है तो उसे पैदल जाना पड़ता है जबकि आज दूसरी तरफ आदमी चंद्रमा पर पहुंच गया है लेकिन यहां केदारनाथ और गंगोत्री एवं जमनोत्री पैदल जाना पड़ता है कि केदारनाथ और यमुनोत्री को जिस तरह से बद्रीनाथ को गंगोत्री से जोड़ा है, उसको भी जोड़ना चाहिए ।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर सबसे बड़ी समस्या है—उनका अन्न का अभाव । वहां रानीनगर में पन्तनगर विश्वविद्यालय का एक केन्द्र है । उसके लिये अलग से पैसा लगाकर उससे कहें कि वह इस प्रजाती के नये गेहूं की खोज करे जो जून का पहला हफ्ता लगते-लगते तैयार हो जाये क्योंकि उसके बाद वहां बरसात शुरू हो जाती है । यमुनोत्री में मैंने देखा है कि जो गेहूं वहां के लोगों ने बोया था उसमें बाली निकल रही थी, पर बरसात शुरू हो गई थी । वह बरसात से चला जाता है इसलिए आप पन्तनगर के केन्द्र को अपनी ओर से इस तरह का बीज तैयार करना चाहिए जिससे कि वहां का सबसे बड़ा अन्न का संकट दूर हो सके । पर्यटन के मामले को तो लेकर मेरा सिर ही शर्म से झुक गया जब अभी लंका के प्रधान मन्त्री श्रावस्ती और कपिलवस्तु पूर्वांचल का गौरव लिये हुए हैं और पर्यटन विभाग की ओर से भारतीय संस्कृति और बौद्ध धर्म से सम्बन्धित प्रमुख स्थान श्रावस्ती, कपिलवस्तु और लुम्बिनी आदि पर्यटन की दृष्टि से उपेक्षित पड़े हुए हैं ।

यह प्रमुख धरोहर आज भी क्यों कि त्यों पड़ी हुई है । अभी जयवर्धन और प्रेमदासा वहां आये थे बस्ती के सारे लोग वहां गये थे । उन खण्डहरों में यह लोग जमीन पर सिर झुकाये हुए गये और उन्होंने उसे जो सम्मान दिया, श्रद्धा व्यक्त की उसे देखकर तो हमारा सिर शर्म से झुक गया कि यहां एक स्थान ऐसा नहीं जहां पर पुजारी रह सके, पर्यटक आ कर सुविधा से रह सके । जो राजधानी का महल था शुद्धोधन का वहां तक जाने के लिये सड़क बनी थी और यही हाल श्रावस्ती का भी हाल था । इस दो करोड़ से काम नहीं चलेगा । आप करोड़ों अरबों रुपया यूंही ही फेंके दे रहे हैं किन्तु पर्यटन की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं । हमारी महा योजना, कपिलवस्तु की महायोजना और श्रावस्ती की योजना कहां गई और साथ ही कबीर की निर्वाण स्थली मगहर से सम्बन्धित योजना कहां गई ।

इसके साथ में मांग करता हूं कि पर्यटन विभाग इन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों का और वहां का विकास करे । इसके साथ यह भी चाहता हूं कि

इसके लिये एक अलग से संवर्ग बनाया जाय। डाक्टर हो पहाड़ पर रहे, अध्यापक हो पहाड़ पर रहे। यह सही नहीं जान पड़ता है कि रोज उनका ट्रांसफर होता रहे। क्योंकि आये दिन हम विधायकों के पास लोग ट्रांसफर करवाने और रुकवाने के लिए दौड़-भाग किये रहते हैं। पर्वतीय संवर्ग बन जाता है तो जो अपनी इच्छा से चाहता है कि पहाड़ पर रहे तो वह हमेशा वहीं पर रहे। इन शब्दों के साथ में ऐरी साहब द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री किशोरी लाल सकलानी—

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे पर्वतीय विकास और पर्यटन के बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने, पर्वतीय विकास और पर्यटन मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह वास्तव में प्रशंसा के पात्र हैं। इसके बावजूद कुछ बिन्दुओं की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो आपका ध्यान शिक्षा के बारे में ले जाना चाहता हूं। शिक्षा हमारे यहां सबसे बड़ा और पहला काम है। क्योंकि खेती हमारे यहां बहुत कम होती है। लोग पढ़-लिख कर अपना गुजारा करते हैं और अधिकांश लोग फौज की सेवा करने का काम करते हैं। दो वर्षों से बराबर प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहां हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कालेजेज में एग्रीकलचर की शिक्षा का प्रबन्ध नहीं है, वह खोल दी जाय, लेकिन अभी वह किया नहीं गया है। पटवारी, अमीन और सुपरवाइजर 9 ऐसी सर्विसेज हैं जिनमें एग्रीकलचर की मांग की जाती है।

मेरा आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन है कि इस ओर ध्यान दिया जाय। गत वर्ष इस पर तत्कालीन पर्वतीय विकास मन्त्री श्री राम औतार दीक्षित ने एक आश्वासन दिया था कि वह हमारे यहां हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कालेजों में एग्रीकलचर सब्जेक्ट खोल देंगे, लेकिन आज तक वह नहीं खुले। जबकि वहां के इन विद्यालयों में 50-50 बीघा जमीन मौजूद है। इससे हमारे बच्चों का लाभ हो सकता है। परन्तु इस पर ध्यान नहीं दिया गया। हमारे यहां पूरे गढ़वाल मण्डल में 54.06 शिक्षा है जबकि प्रदेश की 27.26 है। मैं कुछ स्कूलों की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे स्वर्गीय शांति प्रपन्न शर्मा के नाम पर एक रीता इण्टर कालेज है। उसका प्रान्तीयकरण करने की मांग सर्वसम्मति से हम गढ़वाल के विधायकों ने करके भेजा था। उस पर ध्यान दिया जाय और उस कालेज का प्रान्तीयकरण किया जाय। इस तरफ ध्यान देकर इसका प्रान्तीयकरण किया जाय।

इसी तरह से मेरे क्षेत्र में एक गुनियाल गांव है वहां पर 10-15 किलोमीटर के रेडियस में कोई हाई स्कूल नहीं है। मैं बड़ी विनम्रता से मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर एक हाईस्कूल बनाया जाय। इससे तमाम छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी। मान्यवर, इसी तरह से दूधली के 15 किलोमीटर के रेडियस में कोई इंटरमीडिएट कालेज नहीं है। मेरा निवेदन है कि वहां पर छात्रों के लिए एक इन्टरमीडिएट कालेज खोला जाय ताकि छात्र आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकें। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में आवागमन के लिए सड़कों का विशेष महत्व है। एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए जहां सड़कों की आवश्यकता है वहीं पर जंगल से लकड़ी लाने के लिये भी सड़कों की बहुत आवश्यकता है। लकड़ी और घास वहां की जीविका का मुख्य साधन है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां यह प्रचार किया जा रहा है कि यूकलिप्टस लगाओ। मैंने गतवर्ष भी कहा था माननीय कृषि मन्त्री जी से कि यूकिलिप्टस लगाने से कृषि की उर्वरा भूमि नष्ट होती जा रही है। अभी रुड़की इंजीनियरिंग कालेज के विशेषज्ञ श्री माथुर साहब ने रिपोर्ट दी है कि सरकार को यूकिलिप्टस का लगाना बिल्कुल बन्द कर देना चाहिये, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे कुछ दिनों के बाद जमीन रेगिस्तान हो जायेगी। मैं विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि फैडर प्राम, आम तथा लीची के पौधे वहां पर लगाये जायं।

श्री अधिष्ठाता--

समय समाप्त हुआ ।

श्री किशोरी लाल सकलानी--

मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । मान्यवर, हमारे यहां सड़कों और पुलों की व्यवस्था भी दयनीय है । मेरे क्षेत्र में गढ़ियावाला मार्ग है जहां पर 20 लाख रुपये की लागत का पुल बनवा दिया गया है लेकिन वहां पर 3 किलो मीटर मार्ग नहीं बनाया गया है जिससे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है । इस मार्ग को शीघ्र बनवाया जाय । इसी तरह से डोईवाला-दूधली मार्ग पर 12 किलो मीटर सड़क बनी है किन्तु दूधाली-देहरादून जाने के लिये 5 किलो मीटर सड़क नहीं बनी है जिसके कारण 40 किलो मीटर दूरी आने जाने में बेकार तय करनी पड़ती है । इस मार्ग को बनवाया जाय । वहां पर 400 आदमियों ने 15 दिन तक श्रमदान करके सड़क बना दी । कुछ लोगों ने आक्रोश में कुछ पेड़ भी काट दिये जिसकी मैं निन्दा करता हूं । तो इस सड़क को बनवाने की मैं पुरजोर मांग करता हूं । मान्यवर, इसी तरह से हमारे यहां 2-3 पुल ऐसे हैं जो खतरनाक हैं । दुलहती नदी पर एक एस टाइप का पुल बना है । इस पर एक्सीडेंट होते हैं । इसको सीधा किये जाने की आवश्यकता है । इसी तरह से एक अनारवाला-सिनौला-भालसी सड़क है । यह 18 साल पहले बन गयी थी लेकिन इस पर जो पुल है वह बहुत छोटा है जिसके कारण इस पुल से छोटी गाड़ियां ही गुजर सकती हैं । आज के युग में बड़ी-बड़ी गाड़ियां हैं जो इस पुल से नहीं जा सकती हैं तो इस पुल को बड़ा करवाया जाय । इसी तरह से थानो-रायपुर रोड पर सौंग का पुल बनवाया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

आप विराजें ।

श्री किशोरी लाल सकलानी--

मान्यवर, एक मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । हमारे यहां डोईवाला में एक आई0 टी0 आई0 खोलने की घोषणा भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी ने की थी लेकिन अभी तक यह नहीं खोला गया है । यहां की जनसंख्या लगभग 2 लाख है । आज का युग इंजीनियरिंग का युग है । इंजीनियरिंग की शिक्षा आई0 टी0 आई0 को स्वतः रोजगार के लिये बहुत जरूरी है । इस लिये मेरी विनम्रतापूर्वक मांग है कि यहां पर आई0टी0आई0 खोला जाय । अन्त में मैं कहना चाहता हूं हमारे यहां ऋषिकेष में भारत के कोने-कोने से लोग आते हैं यह एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है । यहां पर एक संजय झील बनाने की योजना थी । इसको बनवाया जाय । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री फरीद महफूज किदवई--

मान्यवर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं जो आपने पर्यटन और पर्वतीय विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं इस बजट का विरोध करता हूं और माननीय एरी साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं । पर्यटन विभाग के सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं । मैंने देखा है कि पर्यटन के बारे में कोई खास नीति इस प्रदेश में नहीं है । मेरी समझ में, शायद इस प्रदेश की सरकार, इस प्रदेश में जो पर्यटन का पोटेंशियल है उससे पूरी तरह से वाकिफ नहीं है । इस दुनिया में बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिनकी आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया पर्यटन के जरिये होता है । एक आध मुल्क ऐसे हैं जहां पूरी की पूरी आमदनी पर्यटन से होती है । मैंने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

देश के बारे में पढ़ा है इसके अलावा और भी देश ऐसे हैं जिनकी आमदनी का जरिया पर्यटन है। उत्तर प्रदेश पर्यटन के स्थलों के हिसाब से आगे है लेकिन मैं देख रहा हूं कि पर्यटन पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पर्यटन के मामले में बाराबंकी की जो हालत है उसको मैं बताना चाहता हूं। करीब एक साल हो गया है बाराबंकी में पर्यटन का दफ्तर तो है लेकिन वहां पर एक चपरासी के अलावा कोई दूसरा अधिकारी नहीं पहुंचा है। इस विभाग के जरिये 3 लाख की धनराशि बाराबंकी के महादेवा मंदिर को बनवाने के लिये दी गयी थी लेकिन एक साल से वह धनराशि पड़ी है उसका उपयोग नहीं हो रहा है। सचिव से मैंने इस सम्बन्ध में कहा सचिव का रवैया मुनासिब है लेकिन जब तक वहां कोई अधिकारी नहीं जाता है तब तक पैसे का उपयोग नहीं हो सकता है।

इसी तरह से हमारे जिले में एक बगहर झील है। यह करीब एक किलोमीटर लम्बी है। ब्रिटिश पीरियड में जो वायसराय हुआ करते थे वह क्रिसमस की छुट्टियां मनाने वहां जाते थे और वहां ठहरते थे। मैंने सुझाव दिया है कि झील का सौन्दर्यीकरण कर दिया जाय और वहां पर बोटिंग का इंतजाम किया जाय तो पर्यटन को काफी तरक्की मिलेगी। इसी तरह से पर्वतीय विकास के बारे में मैं कहना चाहता हूं। यह जो गढ़वाल मंडल विकास निगम है इसकी एक अजीब कहानी है। मैंने जितने टूरिस्ट बंगले वहां पर देखे हैं जो गढ़वाल मंडल विकास निगम के जरिये से चलाये जाते हैं तो उनमें जो अधिकारी उनको चलाते हैं उनका होटल मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है और कैटरिंग से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता है लेकिन वह मैनेजर बना दिये जाते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि होटल का रख-रखाव इतना खराब होता है कि पर्यटक वहां पर ठहरने के लिये तैयार नहीं होते हैं। दूसरी समस्या वहां पर यह टायर तरीका है। वहां जब टूरिस्ट डिमांड कहता है कि टूरिस्ट बंगला बनाया जाय तो पी० डब्लू० डी० बंगला बनाता है और उसको गढ़वाल मंडल विकास निगम को हैंड ओवर कर देता है। गढ़वाल मंडल विकास निगम को जब कोई कमरा या छत बनानी होती है तो निगम पी० डब्लू० डी० को लिखता है। उनके पास अपनी कोई सेल नहीं है जिसके जरिये वह छोटी सी रिपेयर करवा सकें। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाय।

मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि बाराबंकी में महादेवा मन्दिर के सौन्दर्यीकरण का जो पैसा आवंटित किया गया है उससे जल्दी से जल्दी वहां पर काम शुरू किया जाय। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि बाराबंकी में पर्यटन आफिस या तो बंद कर दिया जाय और चलाया जाय तो वहां पर अधिकारी भेजे जायें चपरासी से वहां का काम चलने वाला नहीं है। इसी तरह से बगहर झील जो है उसकी तरफ ध्यान दिया जाय। जब वहां वायसराय आकर ठहरते थे तो जरूर कोई खास बात रही होगी। इसका सर्वे कराया जाय और हो सकता है तो उसका डेवलपमेंट कराया जाय। धन्यवाद।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पर्वतीय विकास विभाग और पर्यटन विभाग के बजट पर बोलने के लिए अनुमति दिया। मान्यवर, इस वक्त हमारे जो विरोधी पक्ष के सदस्यों ने पर्वतीय विकास के सम्बन्ध में बातें कही हैं, मैं उतना निराश नहीं हूं, जिस तरह से पर्वतीय विकास के सम्बन्ध में बातें की जा रही हैं। मान्यवर, यह निश्चित बात है कि मेरे क्षेत्र में काफी विकास हो रहा है, वहां पर काफी तरक्की की गयी है, स्कूलों के सम्बन्ध में और अस्पतालों के सम्बन्ध में काफी विकास हुआ है। मान्यवर, हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोग मुख्यतया कृषि और पशुपालन पर आधारित हैं, और कुछ लोग सेना में भी जाते हैं। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना

चाहता हूं कि हमारे यहां जो रानी कौरी कृषि महाविद्यालय है, वह पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का परिसर है। इस कृषि विकास के लिए महाविद्यालय को पूरी स्वायत्तता दी जानी चाहिए, हर बात पर इस महाविद्यालय का उनको पंत विश्वविद्यालय पर निर्भर रहना पड़ता है। इसको पूरी स्वायत्तता दी जाय। एक बात मैं अपने जनपद के लिए कहना चाहता हूं कि भवन निर्माण के लिए, चाहे स्कूल हो, या औषधालय हो, उसके लिए जमीन उपलब्ध नहीं होती है और निर्माण में भी बहुत देरी होती है। हमारे यहां जमींदारी उन्मूलन कानून लागू है, लेकिन उसके अन्दर कोई भी प्राविधान ग्राम समाज की जमीन का नहीं है। वहां पर कृषकों के लिए भूमि देने के लिए कहा जाता है और रजिस्ट्री के लिए उनसे भारी स्टाम्प ड्यूटी ली जाती है। वहां पर निर्माण कार्य के लिये जब भूमि की आवश्यकता होती है, तो काश्तकारों से कहा जाता है कि वे अपनी कृषि भूमि की रजिस्ट्री विभाग के नाम करें, चाहे स्कूल हो या औषधालय हो या अन्य विभाग हों उनसे कहा जाता है कि वे स्टाम्प ड्यूटी भी दें। जो सार्वजनिक काम के लिए जमीन देता है, तो उससे यह स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली जानी चाहिए। कृषि की भूमि हमारे यहां बहुत कम है, उसको भवन निर्माण में नहीं लिया जाना चाहिए। गवर्नमेंट वाटे ऐक्ट में जो प्राविधान है, उसमें भवनों का निर्माण बंजर भूमि पर किया जाना चाहिए, चाहे विद्यालय हो या औषधालय हो, उन्हें भवन निर्माण के लिए दिया जाना चाहिए और उनके भवन जल्द से जल्द बन जाने चाहिए। वन संरक्षण अधिनियम के सम्बन्ध में जो बातें कही गयी हैं, मैं उससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। पर्यावरण एक बहुत जटिल समस्या है और इस अधिनियम के अन्तर्गत जो भूमि और वन का संरक्षण हो रहा है, उससे हमारे यहां कुछ सड़कें रद्द हो गयी हैं और लोग भी समझते हैं कि पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने एतराज नहीं किया। मेरा सुझाव है कि 1980 से पहले जितने मार्ग या जितने निर्माण कार्य स्वीकृत हो गये थे, उनको बनवाया जाय, क्योंकि मान्यवर, यातायात से ही विकास संभव हो सकता है। आज हमारे कर्मचारी और अधिकारी लोग सिर्फ वहीं जाते हैं, जहां पर मोटर जाती है। जहां पर गांव के दूर-दराज के क्षेत्र हैं, जहां पैदल चलना पड़ता है, वहां पर वे नहीं जाते हैं। पैसे ही विकास का एक माध्यम नहीं है, उसका कार्यान्वयन भी होना चाहिए।

श्री मनेजर सिंह--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि न अध्यक्ष महिला, न उपाध्यक्ष महिला और न अधिष्ठाता मण्डल में कोई सदस्य ही महिला है, तो मान्यवर, यह महिला के साथ अन्याय हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

अच्छी बात। आप बैठें।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी--

मान्यवर, बिनसाली सौड़ व नई टेहरी में हवाई पट्टी बनने का प्रस्ताव है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों के 60 स्थानों को दूर संचार व उपग्रह से जोड़ने का शासन का कार्यक्रम है, उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि दूर संचार आदि की व्यवस्था आज के युग में विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। इन शब्दों के साथ, मैं पर्वतीय विकास विभाग और पर्यटन विभाग का समर्थन करता हूं।

*श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, मैं इतना चाहता हूं कि ....

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हीरा सिंह बिष्ट--

मान्यवर, हम लोगों के लिए एक मात्र यह बजट है और इसमें तमाम विभाग समाहित हैं। अगर इसमें हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं तो इसको पास कर दीजिए।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य की भावना को समझते हुए ज्यादा से ज्यादा समय देंगे उसमें 5 मिनट में वह अपनी बात कह दें।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, मुझे भी वहां पर जाने का मौका मिला और वहां पर पर्यटकों की जो स्थिति होती है उससे इस सदन को सम्मुख में चिन्ता होनी चाहिए। हजारों की तादाद में वहां पर्यटक आते हैं लेकिन वहां पेयजल की, निवास की और बिजली की तमाम असुविधाएं हैं जिनकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, मैं अपनी क्षेत्र की तरफ देवरिया जनपद के कुशीनगर की तरफ आ रहा हूं। इस सदन में कुछ वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ इसके बारे में कहा था।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य विराजें।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, गोरखपुर का जरूर विकास हो रहा है रामगढ़ ताल परियोजना में करोड़ों रुपये लगा दिये गये हैं मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती को जोड़ने की और उस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। मेरा निवेदन है कि कुशीनगर में पर्यटकों के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है वहां पर न तो बिजली की व्यवस्था है न आवास की व्यवस्था है एयरकंडीशनर पथिक निवास जरूर बन गया है यदि वहां गरीब आदमी जाय तो वहां उसके रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, वहां आवास की व्यवस्था की जाय। दूसरा निवेदन है कि इसी सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि कुशी नगर हवाई पट्टी को वायुदूत से जोड़ा जायेगा लेकिन आज तक वह काम पूरा नहीं हुआ है। वह अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार की फाइलों में दबा पड़ा हुआ है। मैं चाहूंगा कि कुशीनगर की हवाई पट्टी के विकास का काम करें ताकि उस पर हवाईपट्टी सर्विसेज चालू हो सके। इसके लिए आप भारत सरकार से निवेदन करें। तीसरी है कि कुशीनगर का विकास किया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, हजारों की संख्या में बौद्ध तीर्थयात्री वहां आते हैं तो इससे सरकार का धन बचेगा। सरकार अगर कुशीनगर को जिले का दर्जा प्रदान करे तो भी उसका विकास हो सकता।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

कभी मान्यवर, पर्यटक की दृष्टि से लंका के प्रधानमंत्री आते हैं।

(व्यवधान)

मेरा आपसे आग्रह है कि करोड़ों रुपया विदेशी मुद्रा वहां मिली है, कुशीनगर को जिला घोषित कर दिया जाय, मान्यवर, पर्यटन स्थल का विकास किया जाय। आपने समय दिया, इसलिए आभारी हूं।

श्रीमती सरस्वती देवी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए इस बजट पर समय दिया। श्रीमन् पर्वत हमारे शिर मौर्य है। पुराणों में भी उल्लेख है कि वहां समय-समय पर देवता अवतरित हुए हैं और ऐसे पर्वतीय क्षेत्र का विकास न हो, यह उचित नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने पर्वतीय विकास का कार्यालय खोला था और वर्तमान में हमारे मुख्य मंत्री जी पर्वतीय विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। इस वर्ष हमारे पर्वतीय विकास का बजट जम्मू और काश्मीर के बजट के बराबर है जिसमें योजनागत 300 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं इसमें से 175 करोड़ रुपये केन्द्र से स्वीकृत हुए हैं। यह बहुत ही सराहनीय कार्य जिसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देती हूं। मान्यवर, हमारे पर्वतीय क्षेत्र में यातायात का साधन सड़कें ही हैं। वहां न रेलें जा सकती हैं न हवाई पट्टी बन सकती और न नदियों से ही यात्रा कर सकते हैं इसलिए सड़कों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन सड़कों में कच्ची सड़कों को बने हुए 5 साल हो गये हैं इनको तुरन्त पक्की बना दिया जाय क्योंकि कच्ची सड़कें बरसात में टूट जाती हैं जिससे जानमाल का खतरा पैदा हो जाता है। पर्वतों में तमाम नदियां हैं इन नदियों में बरसात के दिनों में बाढ़ आ जाती है। जिसमें पुल बनाया जाना नितान्त आवश्यक है। मैं माननीय पर्वतीय मंत्री को बधाई देना चाहती हूं कि इस साल उन्होंने अपने बजट में 40 पैदल पुलों का प्राविधान रखा है। पर्वतीय क्षेत्र में पैदल पुल बनाने की नितांत आवश्यकता है ताकि बरसात में यातायात अवरुद्ध न हो। मान्यवर, हमारे पर्वतीय क्षेत्र में काफी नदियां हैं। उनमें बांध बनाकर जल विद्युत् बनाई जा सकती है, ताकि वहां से विद्युत् उत्पादन किया जा सके। वहां पर विद्युत् उत्पादन होगा तो सस्ती दर पर बिजली ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराई जा सकेगी। मान्यवर, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। इसके साथ ही 50 हजार की जमह ढाई लाख रुपये के ऋण की व्यवस्था कर दी गई है। इनके बावजूद भी पर्यटन का विकास द्रुत गति से नहीं हो पा रहा है। मेरा निवेदन है कि पर्यटन विभाग द्वारा इन पर्यटन स्थलों का सर्वे कराया जाय और वहां पर पानी, बिजली और सड़क बनाई जाय, तब वहां लोगों को बुलाया जाय, ताकि लोग वहां होटल और रेस्टोरेंट बना सकेंगे। इसी के साथ-साथ पर्यटन विभाग इन स्थानों का प्रचार प्रसार भी करे। मैं शिक्षा विभाग को भी धन्यवाद देना चाहती हूं कि कई सालों से जो प्रोन्नति का काम लाना पड़ा है, इस साल प्रोन्नति कर दी गई है। इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि जब प्रोन्नति नहीं हुई थी तो अंशकालिक अध्यापक रखे गये थे, जिसके लिए चयन प्रक्रिया आरम्भ हो गई है। मेरा निवेदन है कि प्रोन्नति के जो स्थान रिक्त हैं और उनमें चयन हो रहा है, उनमें इन अंशकालिक अध्यापकों को, उनकी योग्यता के अनुसार, उनको समायोजित कर लिया जाय। मान्यवर, इसके साथ ही सहायता प्राप्त विद्यालयों के जो तदर्थ अध्यापक हैं, उनके विनियमितीकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाय।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री का ध्यान बांदा जनपद के एक ऐतिहासिक स्थल की ओर आकर्षित कर रहा हूं। मान्यवर, बांदा जनपद में कालिंजर एक ऐतिहासिक दुर्ग है, जहां के लिए पौराणिक कथाओं में लिखा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शंकर ने विषपान किया था, उनको चैन कहीं

नहीं पड़ा तो बांदा के कालिंजर दुर्ग में पहुंचे थे। शेरशाह सूरी की बारूद से जलकर यहीं पर मृत्यु हुई। यह चंदेलों की राजधानी रही थी। जो पर्यटक, चाहे देश का हो या विदेश का हो, मध्य प्रदेश के खजुराहो आता है, और बांदा में चित्रकूट आता है, वह कालिंजर अवश्य आता है। लेकिन वहां आज तक न तो पेयजल की सुविधा है, न पर्यटकों के रहने के लिए व्यवस्था है, इधर-उधर पड़े रहते हैं। हमारा अनुरोध है कि पर्यटक आवास की व्यवस्था की जाय जब पर्यटन उप मंत्री माननीय प्रेमिला बहुगुणा जी वहां गई थीं तो उन्होंने घोषणा की थी कि कालिंजर को पर्यटन केन्द्र घोषित किया जायगा, वहां के लोगों ने पूछा कि इस तरह की घोषणा बहुत से कांग्रेसी मन्त्रियों ने की है, आप भी तो इस तरह से तो नहीं करने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वे उन कांग्रेस के मंत्रियों से अलग हैं, जो कहती हूं, करती हूं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि पर्यटन विभाग या किसी भी किताब में बांदा के कालिंजर का नाम छू नहीं गया है। मैं आपके माध्यम से इसकी ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। दूसरे चित्रकूट के सम्बन्ध में मेरा अनुरोध है कि पिछले साल पेयजल की समस्या के कारण सैकड़ों लोगों की चित्रकूट में मृत्यु हो गई थी। वहां पर देश और विदेश के बहुत से लोग आते हैं, इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह केन्द्र सरकार से अनुरोध करे कि पर्यटकों की सुविधा के लिए वहां पर वायुयान की सेवा की सुविधा दी जाय।

श्री सन्तन बड़थ्वाल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे पर्वतीय विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया, लेकिन थोड़ी कठिनाई यह हो गई कि तीन दिन से बुखार होने के कारण और इस उठ-बैठ में मैं जो बोलना चाहता था, भूल गया। मैं आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया। मान्यवर, बड़ी विडम्बना है पर्वतीय विकास बजट को हिमांचल से उपमा दी जा रही है, मेरे दो एक घनिष्ठ साथियों ने कहा कि बड़थ्वाल जी 300 करोड़ रु0 का बजट हो गया। इसके लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन साथ ही साफ-साफ यह बताना चाहता हूं कि यह भ्रम है। भारत के जितने पर्वतीय क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र सबसे पिछड़ा है। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में जितना ज्यादा रुपया भारत सरकार देती है, उसकी तुलना में सब से कम रुपया उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में देते हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में यह भ्रम होता है और उत्तर प्रदेश के विधान सभा के साथियों को यह भ्रम होता है कि पहाड़ों में ज्यादा बजट 300 करोड़ का चला गया। पहाड़ों की विषम कठिनाइयों को देखें, पहाड़ों के कठिन जनजीवन को आज भी देखें मेरे दूसरे सम्मानित साथी एक स्कूटर से अपनी पूरी कांस्टीट्यूंसी देख लेते हैं मैं 5 साल भी अगर चलता हूं तब भी 50 प्रतिशत से ज्यादा कवर नहीं कर सकता हूं कांस्टीट्यूएंसी इतनी बीहड़ है। इन विषम परिस्थितियों पर भारत सरकार को विशेष ध्यान देना होगा। जो इस बजट में अंशदान है उत्तर प्रदेश सरकार का, वह हर वर्ष कम होती चली जा रही है उस पर भी ध्यान देना होगा। सुझाव है कि हिमाचल प्रदेश की जो उपमा दी जाती है कि हिमाचल प्रदेश 5-6 साल केन्द्र शासित प्रदेश पहले रहा उसको उतना तंदरुस्त बनाने के बाद अब आज वहां अच्छी आर्थिक स्थिति है। मान्यवर, क्षमा कीजिये परम्परा तोड़कर यहां बैठना पड़ेगा हिमांचल प्रदेश की तरह उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र 5 साल के लिये केन्द्र शासित कर दिया जाय और उस अवधि में छोटी-छोटी कांस्टीट्यूएंसी, छोटी-छोटी तहसीलें ब्लाक बनायी जायें, तब जाकर कहीं कुछ विकास का काम कर पायेंगे, यह मैं कहना चाहता हूं। वन अधिनियम के कारण भी तमाम समस्यायें हैं, उस पर बोलते ही रहे, केन्द्र शासित होने से वन अधिनियम का सरलीकरण अवश्य होगा।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री सन्तन बड़थ्वाल—

एक निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ा समय लूंगा। भारत सरकार का फ्रान्सिस कमीशन कहता है कि वन आधारित भूमि पर उद्योग नहीं लगेंगे। वहां पर हमारी पूरी तरह से वन आधारित भूमि है, उस स्थिति में उद्योग कहां लगेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार की परियोजनायें कहां लगेंगी। इस सम्बन्ध में केन्द्र से बात हो। अंशकालिक अध्यापकों का पर्वतीय क्षेत्र में जहां तक बात है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सचिवों की समिति बना दी, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, जब तक वह किसी मंत्री की अध्यक्षता में न हो। पहाड़ों में जो अध्यापक हैं जगहें खाली पड़ी हैं, लोगों को नौकरी नहीं दी जा रही है इस पर घोर असंतोष है वहां ध्यान देने की जरूरत है।

[ समय 9.00 बजे ]

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

( व्यवधान )

श्री सन्तन बड़थ्वाल—

मान्यवर, पहाड़ों के साथ ज्यादती हुई है, समय नहीं दिया गया, इसी से असंतोष होता है। मान्यवर, जब यहां असंतोष होगा। वहां असंतोष होगा प्रदेश के हिमालय क्षेत्र में असंतोष होगा तो बड़ा देश इससे वहां की जनता की समस्याओं को धक्का लगेगा।

*श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर भारत की धरती पर जब विदेशी लोग पैर रखते हैं तो वह फतेहपुर सीकरी जरूर आते हैं। लेकिन पर्यटन विभाग ने उत्तर प्रदेश की फतेहपुर सीकरी का कोई विकास नहीं किया है। ऐतिहासिक इमारत धार्मिक स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं लेकिन पर्यटन विभाग ने उस आकर्षण को बढ़ाने के लिए पर्यटकों की संख्या को बढ़ाने के लिए आज तक कोई काम नहीं किया है। फतेहपुर सीकरी में पर्यटक आते हैं वहां पहुंचने के लिए अच्छी बसों की व्यवस्था नहीं है। जिन बसों में लोग बैठकर आते हैं मैंने देखा है डेढ़-डेढ़ सौ लोग बसों में बैठकर आते हैं बोनट में बैठकर आते हैं इसी के साथ-साथ उन पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है कोई वर्ष ऐसा नहीं आता है जब विदेशी पर्यटक वहां लूटा न जाता हो। दक्षिण भारत के पर्यटक वहां आये उनकी प्रत्येक वस्तु लूट ली गई, वापस दक्षिण भारत जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं बचा, किराये के लिए। वहां पर्यटकों को पहुंचाने के लिए अच्छी बसों की व्यवस्था की जाये, पर्यटकों की सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाय वहां पर एक टूरिस्ट काम्पलेक्स बना है उसका उद्घाटन 25 दिसम्बर, को किया गया है। लेकिन पर्यटन विभाग उसकी व्यवस्था नहीं कर सका है कि वहां पर पर्यटकों को ठहरने के लिए आकर्षित करे और अपने गाइडों के माध्यम से गुलिस्तां टूरिस्ट काम्प्लेक्स में ठहरने के लिए ले जायें। यह स्थान एक अच्छा स्थान साबित हो सकता है, पर्यटकों के लिए, अगर इसके लिए प्रयास किया जाय। इसी तरह से मान्यवर, सिकन्दरा की बात आती है, वहां पर एक मकबरा बना हुआ है, इस विभाग ने और आपकी सरकार ने उसकी ऐतिहासिकता को मिटाने के लिए वहां पुलिस के आवास बनवा दिये हैं, जिसका उद्घाटन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मुख्य मन्त्री ने किया है । मान्यवर, यह बड़ी लज्जाजनक बात है । इसके साथ ही साथ पर्यटन विभाग ने जो वहां के आकर्षण थे, इयाम मृग और लंगूर, जिनकी संख्या कम होती जा रही है ।

श्री अधिष्ठाता--

बदन सिंह जी, समाप्त करें ।

श्री बदन सिंह--

उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया । यह पर्यटन विभाग इतना निकम्मा हो गया है कि भारत सरकार को या पुरातत्व विभाग को लिख नहीं सकता । मान्यवर, पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है, अगर इन बातों की ओर ध्यान दिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता--

आप समाप्त करें ।

श्री बदन सिंह--

आज वहां पर यह हिरन और लंगूर मारे जा रहे हैं, मैं पर्यटन मंत्री जी से और इस सरकार से कहना चाहता हूं कि इन श्याम मृगों और लंगूरों की रक्षा के लिए कार्य करें । इसी तरह से सूर सरोवर, जो बहुत अच्छा पर्यटन स्थल बन सकता है, को भी विकसित करने के लिए धन आवंटित किया जाना चाहिये ।

श्री हीरा सिंह बिष्ट--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर्वतीय विकास विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया । अधिष्ठाता जी, आज जो स्थिति हमारे सदन में है, पर्वतीय विकास के विधायकों की, वही स्थिति पर्वतीय विकास की इस प्रदेश में है । जो किताब यहां मिली, उसमें हमने देखा कि पर्वतीय विकास विभिन्न विभागों से समन्वय के लिये जो क्षेत्रीय कार्यालय खोले गये, जो इंजीनियरिंग कालेज खोले गये, इसी तरह शिक्षा, उद्योग आदि क्षेत्रों में प्रगति की विवरणी इस किताब में लिखी है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि कुछ क्षेत्रों में हमने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है । मैं इसके लिये इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री जी का आभारी हूं, पर्वतीय विकास मन्त्री जी का आभारी हूं कि अपहिलट्टान को अलग किया है । मैं आभारी हूं माननीय प्रधान मन्त्री जी का, जिन्होंने हमारे पर्वतीय विकास के बजट को विशेष अनुदान देकर 300 करोड़ रुपये 1989-90 के परिव्यय में करने का काम किया ।

मान्यवर, हमारी जितनी उन उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों पर अगर ध्यान दें, तो पर्वतीय विकास अत्यन्त पिछड़ा हुआ है । मैं इस महत्वपूर्ण विषय की ओर आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि हमारी पर्वतीय विकास परिषद् की कभी बैठक नहीं होती, जिसमें हम जन प्रतिनिधि बैठकर विचार कर सकें । इसी तरह विभागों के कामकाज का मानिटरिंग समय पर नहीं होती । गढ़वाल-कुमायूं मंडल के विकास निगमों में ऐसी व्यवस्था नहीं की गयी, जिसमें हम जन-प्रतिनिधियों का समावेश हो सके । जब तक हम जनप्रतिनिधियों का पर्वतीय विकास कोई गठन द्वारा समावेश नहीं होगा और हर चीज मात्र अधिकारियों पर ही छोड़ देंगे, सारे वित्त अधिकार उन्हीं के पास रहेंगे, तब तक इस पर्वतीय विकास का होना सम्भव

नहीं हूं । इसलिए विकास के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज हमारे पर्वतीय क्षेत्र पर खाद्यान्न का इतना भारी संकट है कि एक व्यक्ति को वहां पर एक महीने में मात्र डेढ़ किलो गेहूं उपलब्ध हो रहा है, ऐसे में पहाड़ का आदमी कहां से खायेगा । इसके लिये हमने लिखकर दिया है, चिन्ता व्यक्त की है कि वहां खाद्यान्न का हाहाकार मचा हुआ है, इस ओर मैं मन्त्री जी का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूंगा ।

जब यह उद्योग की बात करते हैं तो वनों पर आधारित जो उद्योग हैं वन अधिनियम व्यवस्था हो उन लोगों को कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है, जिन स्थानीय लोगों ने ऐसे लघु उद्योग लगाये हुये हैं, आज सरकार उनकी नीलामी पर आमादा है और ब्याज की दर जो 4 प्रतिशत होनी चाहिये, उसे 10 प्रतिशत ब्याज पर उद्योगों के लिये दिया गया और 15 प्रतिशत की वसूली की जा रही है और आप उनके संरक्षण की बात कर रहे हैं और उनकी नीलामी की नोटिस भी जारी कर रहे हैं । मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वनों पर आधारित, फलोद्यान पर आधारित जो उद्योग हैं हार्टीकल्चर ऊन, जड़ी बूटियों, बानकी, पशुपालन आदि अनुदान सुविधा व संस्कृत मिलना चाहिए । हमारे कच्चे माल पर आधारित, रेशम के शहतूत पर आधारित जो उद्योग हो सकते हैं, उनको संरक्षण मिलना चाहिए । उनको सब्सिडी दी जानी चाहिए । अस्पतालों की लिस्ट आपने बना दी, स्कूलों की लिस्ट आपने बना दी, किन्तु वहां न तो स्कूल का भवन है और न ही अस्पताल का भवन है अध्यापकों के पदों का सृजन नहीं हो रहा है, पोलीटेक्निक का भवन नहीं है, इन सब पर माननीय मन्त्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिए । इसी के साथ ही मैं एक महत्वपूर्ण चीज की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आपने पर्वतीय क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण बना दिया है । मैं कहना चाहता हूं कि यह विकास प्राधिकरण पर्वतीय क्षेत्रों में विनाश प्राधिकरण का काम कर रहा है और जनता का वहां पर शोषण हो रहा है, यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं इसका सख्ती से विरोध करता हूं । सबसे बड़ा सफेद हाथी वहां पर पी0 डब्लू0 डी0 है । इसके कार्यों से वहां पर जनता में बिल्कुल भी सन्तोष नहीं है । जल निगम पेयजल की कोई योजना नहीं बना रहा है और जो पुराने पेयजल की योजनायें हैं, उनका जीर्णोद्धार नहीं किया गया है । मैं देहरादून, मसूरी और उत्तरकाशी की पेयजल संकट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जिसमें गुलरघाटी योजना को शीघ्र स्वीकृत मिलनी चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप कृपा करके अपना भाषण समाप्त करें । जो [आपको [कहना है, इसे लिखकर भेज दें ।

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

देहरादून में 4 ट्यूबवेल लगने थे, एक भी नहीं लग पाया । गढ़वाल में मेडिकल कालेज की मांग चली आ रही है, उसे आप खोल नहीं पा रहे हैं । गढ़वाल मंडल में डाइरेक्टर, फलोद्यान की मांग कर रहे हैं वह आप नहीं खोल रहे हैं, डाइरेक्टर, टूरिज्म की मांग कर रहे हैं, वह आप नहीं दे रहे हैं । जब तक आप जन प्रतिनिधियों का सहयोग नहीं लेंगे तब तक आप पर्वतीय क्षेत्र का विकास नहीं कर पायेंगे । इसी प्रकार विद्युत् का बजट है गत वर्ष केवल 12 प्रतिशत को पर्वतीय क्षेत्र में खर्च किया गया है ।

श्री अधिष्ठाता—

जो आप कह रहे हैं वह नहीं लिखा जायेगा । कृपा करके बैठ जायें । मैंने श्री गौरी नइया को बुलवा लिया है ।

(श्री गौरी शंकर भइया भी बीच में बोलते रहे)

(व्यवधान)

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

पर्वतीय विकास विभाग में विल विभाग का एक अलग से सेल खुलना चाहिए, जो पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए पैसे की स्वीकृति अविलम्ब दे दें। जो पर्यावरण विभाग है, जलागम के साथ वाढ़ मूसंरक्षण तथा पेड़ों की सुरक्षा करे तथा इसके लिए तेजी से विकास के भी काम करे। इसी के साथ ही, मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, आपने मुझे पर्वतीय विकास विभाग व पर्यटन विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। कटौती का जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। निश्चित रूप से पहाड़ों को सजाया व संवारा जाना चाहिए, लेकिन मैं वहीं पर यह भी अनुरोध करना चाहूंगा पर्वतीय विकास मन्त्री जी से कि वह पहाड़ और पहाड़ी में भेद न करें। विन्ध्य की जो पर्वत माला है, उसे पर्वतीय विकास निगम के अन्तर्गत नहीं लिया गया है, सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि विन्ध्य की पर्वत माला को भी पहाड़ के अन्तर्गत आप सोचिये। यह भी पर्यटन में आता है। अब यहां पर चार दाढ़ी वाले लोग बैठे हैं, एक मैं स्वयं हूं, दूसरे श्री मनेन्द्र सिंह जी व श्री सुरेन्द्र सिंह जी हैं तथा इसके परिसर में बैठे एक अधिकारी भी हैं।

मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि दाढ़ियों की एक संस्कृति है, जो एक जनपद में पनपती है, उसका नाम है बलिया। जो अधिकारी पर्यटन के हैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं और माननीय मन्त्री जी से भी कहना चाहता हूं कि बलिया को भी पर्यटन के नक्शे में शामिल कर लीजिये। वहां पर एक सुरहा ताल है, उसमें गंगा नदी का पानी भरता है। यह ताल 21 किमी0 के एरिया में है। जब भी पर्यटन स्थलों के विकास की बात आती है इस ताल के विकास के लिये सरकार से मांग करते रहते हैं, लेकिन न तो उसके विकास पर सरकार ने ध्यान दिया और न अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके आपने ही कुछ करने की बात कही। मेरी मांग है कि बलिया जनपद के इस ताल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की ओर माननीय मन्त्री जी ध्यान दें। धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, आपने मुझे पर्वतीय विकास विभाग और पर्यटन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका आभारी हूं।

पर्वतीय विकास इस विभाग की आवश्यकता इसलिये पड़ी थी कि पर्वतीय क्षेत्र की विषम परिस्थितियों को देखते हुए वहां पर विकास मन्त्री से हो सके इसके लिये इसका सृजन किया गया था। विकास भी हुआ लेकिन इस विकास की गति में तेजी न होने के कारण स्थानीय जनता में रोष है, जो वन संरक्षण अधिनियम जिसके तहत सारे काम रुके पड़े हैं, उससे वहां की जनता में काफी आक्रोश है। जैसा भाव अन्य साथियों ने भी जाहिर किया, मैं भी माननीय मन्त्री जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि फारेस्ट ऐक्ट (वन संरक्षण अधिनियम) को शिथिल किया जाय और उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से ही विकास सम्बन्धी के लिए स्वीकृतियां दी जाना चाहिये। पीने के पानी की योजनायें हैं, इलेक्ट्रीफिकेशन है, रोड्स आदि के कार्यों में नियम यह बाधक न बने। जिसके कारण जितना भी बजट प्रस्तावित है, उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। एक

और महत्वपूर्ण बात है जो पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश अशासकीय विद्यालय हैं, उनमें न तो भवन हैं और न ही वहां पर अध्यापकों के पद सृजित किये गये हैं जिन कारण अध्यापक नहीं हैं, जिससे कि उनके माध्यम से बहतर विद्यार्थी पैदा नहीं हो पा रहे हैं, वहां के नवयुवक डाक्टर, इन्जीनियर, आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 के पदों पर नहीं चुने जा रहे हैं। इससे पर्वतीय क्षेत्र पिछड़ता चला जा रहा है। मेरी मांग है कि वहां पर टेक्निकल एजुकेशन को और कारगर ढंग से लागू किया जाय। ब्लाक स्तर पर टेक्निकल शिक्षा विस्तार करके इस कार्यक्रम को चलाया जाय। मेरा यह भी निवेदन है कि वहां पर अशासकीय विद्यालयों में जो पद सृजन की घोषणा की गई, उनको तत्काल सृजित किया जाय। वहां पर विद्यालयों में अध्यापकों को भेजा जाय। इसमें शीघ्रता की जाय ताकि जो विद्यालय शिक्षकों की कमी से खाली पड़े हैं, उसमें अध्यापकों के आ जाने से बेहतर एजुकेशन मिल सके। विद्युतीकरण के बारे में मेरा सुझाव है कि हम उन गांवों में विद्युतीकरण को मान लेते हैं जहां कहीं भी एक बिजली का खम्भा पहुंच गया है या वहां से गुजर गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जब तक पूरे गांव का विद्युतीकरण न हो, उसे विद्युतीकरण न माना जाय। अभी जैसा कि माननीय हीरा सिंह जी ने कहा है कि मात्र 12 परसेन्ट लक्ष्य की भी पूर्ति हो पाई है यह नहीं है कि पर्वतीय विकास विभाग इसके लिए पैसा देता है विद्युत् विभाग को, लेकिन विद्युत् विभाग उसे अन्यत्र खर्च कर देता है जिससे कि वहां का विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि तत्काल वहां के लिए ऐसी व्यवस्था करें व सामान की कमी से कन्डक्टर, इल्युमिनेटर आदि सामान को भेज कर कि वहां का विद्युतीकरण तेजी से हो सके।

मान्यवर, जैसा कि मैंने अभी कहा कि पर्वतीय विकास विभाग का सृजन इसलिए किया गया है वहां की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वहां गढ़वाल और कुमायूं मण्डल दो विभागों का सृजन किया गया है जिससे कि वहां की योजनाओं के क्रियान्वयन किया जा सके। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सुझाव है कि गढ़वाल और कुमायूं मण्डल में ट्रेनिंग सेन्टर और कोचिंग सेन्टर खोलने की व्यवस्था की जाय ताकि वहां के लड़के डाक्टर और इंजीनियर बन सकें और आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 में उनका सेलेक्शन हो सके, ऐसी कोई व्यवस्था वहां के लिए होनी चाहिये।

एक बात और कहना चाहूंगा कि यह दोनों ही मण्डल घाटे में चल रहे हैं, वहां के लोगों के हक-हकूक जो सदियों से मिलती रही मिलती रहे, वह बन्द कर दिये गये हैं, उनको फिर से बहाल किया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, पहले मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अगर पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए सही माने में शासन की दिलचस्पी है तो इसके लिए एक ही रास्ता है कि पर्वतीय क्षेत्र को विकसित करने के लिए वहां की जनता को अपने भविष्य का रास्ता चुनने का अधिकार मिले। वहां की जनता की आवाज बन चुकी है उत्तरा खण्ड की स्थापना। उत्तरा खण्ड की स्थापना के बाद ही पर्वतीय क्षेत्र की जनता अपनी किस्मत का फैसला खुद कर पायेगी।

अभी पूरे पर्वतीय क्षेत्र के कर्मचारी आन्दोलन कर रहे हैं। इस संबंध में मैं एक शासनादेश का हवाला देना चाहूंगा जो कि पर्वतीय विकास विभाग का है दिनांक 20 नवम्बर, 1988 को यह जारी हुआ था जिसकी संख्या 6295 है यह वहां के कर्मचारियों

के भत्ते के सिलसिले में है। इसके खिलाफ पूरे पर्वतीय क्षेत्र में आन्दोलन है और वे इसको निरस्त किये जाने की मांग कर रहे हैं। इसके पहले जो 15 रु0 भत्ता दिये जाने की व्यवस्था थी, उसको वे फिर से मांग रहे हैं।

एक वहां पर हथकरघा विकास परियोजना चलायी जा रही है जिस पर साढ़े सात करोड़ रुपया लगाया गया है और वहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन प्रशिक्षण के बाद साधन और सामग्री नहीं दी जाती है। देखने में यह भी आया है कि वहां मैदानी क्षेत्र से लोग वहां जा कर उसका प्रशिक्षण लेते हैं यदि साधन सामग्री उनको नहीं दी जायेगी तो क्या पर्वतीय क्षेत्र के लोग खाली हाथ से काम नहीं कर पायगा, इसके लिए कोई रास्ता बनाना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

डाक्टर रजनी कान्त दत्त--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं. दूसरे मान्यवर बनारस की फ्लोटिंग पापुलेशन प्रति दिन एक लाख के लगभग की है और एक लाख तीर्थ-यात्री पर्यटक रोज यहां पर आते जाते हैं और यहां पर पर्यटन के मुख्य आकर्षक हैं काशी के घाट, विश्वनाथ का मन्दिर, सारनाथ और भारत माता का मंदिर।

दूसरे मान्यवर, यहां पर माननीय प्रधान मन्त्री के स्वच्छ गंगा अभियान के तहत जो अन्य घाटों का नवीनीकरण हुआ है। यहां पर जो नावें हैं, उनको मार्डन टेक्नालोजी से नवीनीकरण कराया जाय और पर्यटन विभाग द्वारा उन मल्लाहों को जानकारी व आर्थिक सहायता दें। दशाश्वमेघ घाट स्थित मान मंदिर वेधशाला के पीछे एक बहुत बड़ा खाली भू-भाग है, उसको अधिग्रहण कर टूरिस्ट कम्पलेक्स के रूप में बनाया जाय और डेवलप किया जाय और विश्वनाथ परिसर को भी विकसित किया जाय और वाराणसी से सारनाथ जाने वाली सड़क पर पब्स और मोटेल बनाये जांय तथा सड़कों के किनारे गौतमबुद्ध की प्रीचिंग्स की होर्डिंग लगाई जांय। भारत माता का मन्दिर का पुनः उद्धार हो और वरूणा नदी को झील में बदल कर नौकायान वाटर स्काईन दी जाय तथा भैंसाकुण्ड पर रविदास जी का एक विशाल मन्दिर बन रहा है, उसको सभी गंगा जी के घाटों पर विकसित किया जाय।

[ समय 9 बजकर 20 मिनट ]

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं भाषण नहीं करना चाहता मैं केवल दो सुझाव देना चाहता हूं कि यह सरकार यदि प्रदेश की एकता कायम रखना चाहती है और देश की सुरक्षा के लिए जागरूक है तो पहाड़ के लोगों की चिन्ता की ओर अवश्य ध्यान देना पड़ेगा और इस सदन के द्वारा जो धन स्वीकृत हो, वह धन इनको पर्वतीय विकास परिषद् की जिम्मेदारी पर छोड़ दिया जाय परिषद् ही उस सम्बद्ध प्रायरिटी तय करे और जितने पैसे का वहां पर व्यय होना है, उसका नियंत्रण यहां के सचिवालय द्वारा न होकर इसका सचिवालय पहाड़ पर बनाया जाय और एक वित्त सचिवालय भी पहाड़ पर बनाया जाय और सरकार द्वारा जो पैसा स्वीकृत हो, वह पैसा इनको समय से दिया जाए। दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि पर्यटन विभाग एक संवेदनशील विभाग है और इस संवेदनशील विभाग में अधिकारी भी ईमानदार होने चाहिए वहां पर भ्रष्ट अधिकारियों की भीड़ न जमा की जाय, इससे पर्यटन विकास निगम नहीं बल्कि पर्यटन लूट विभाग एक तरह से बन गया है। एक टोकरी भी यदि खरीदनी होती है तो वह नैनीताल, आगरा, गाजियाबाद आदि के लिए लखनऊ से खरीदी जाती है, जिसमें खुले रूप में कमीशन खोरी होती है, इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट सचिव को

वहां से तत्काल हटाया जाय और परिवहन के जो सचिव हैं श्री पवन कमल पाण्डेय राजस्व सचिव जैसे सीधे और ईमानदार अधिकारी पर्यटन में लाये जाय, जो गरीब भी हैं और ईमानदार भी हैं मौजूदा पर्यटन सचिव को वहां से तुरन्त हटाया जाय ।

श्री गोपाल राम दास--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पर्वतीय विकास विभाग पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, केवल 2-3 सुझाव ही देना चाहता हूं । पहला तो यह कि जितने भी पैसे की व्यवस्था आप वहां के लिए कर रहे हैं, उसका अनुसरण अवश्य होना चाहिए, वह अनुसरण पहले मण्डल स्तर पर हुआ करता था, परन्तु अब वहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । मगर अनुश्रवण की कोई व्यवस्था नहीं है, होता यह है कि अनुश्रवण के लिए विभाग पर भार होता था । पहले ऐसी व्यवस्था थी, कि इसके लिए अध्यक्ष एक पब्लिक का आदमी होता, एक अध्यक्ष होता था जो यह कार्य करता था, परन्तु अब इस व्यवस्था को बन्द कर दिया गया है जिससे दिक्कत हो रही है । पब्लिक का आदमी होने से अगर कोई गलती होती थी तो उसको सुधारा जा सकता था, तो मेरा कहना है कि पहले जैसी अनुश्रवण की व्यवस्था होनी चाहिए । जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनको विकास के लिए ध्यान अधिक नहीं दिया जाता है । मैं आशा करूंगा कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनकी ओर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे जो विकास की किरण है उनमें तक पहुंच सके । एक और सुझाव मैं देना चाहता हूं कि पहाड़ों पर जो अनुसूचित जाति व जन-जाति के लोग हैं वह ज्यादा तर दस्तगार होते हैं । मैदानी क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोग मजदूर होते हैं उनके उत्थान की योजनायें बनाना चाहिए, जिससे उनको रोजगार मिल सके । मेरा सुझाव है कि गरुण में एक पालिटेक्निक की बहुत बड़ी आवश्यकता है और सोमेश्वर में एक आई0 टी0 आई0 की नितान्त आवश्यकता है, इनको वहां पर खोला जाय । पेयजल की योजनायें बहुत बन रही हैं, लेकिन पानी की बहुत कमी है । इस कारण बरसात के पानी को रोक कर सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

*श्री प्रदीप माथुर--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । अभी माननीय वर्मा जी ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र का विकास करना है, तो उसके लिए एक अलग उत्तराखण्ड बना दिया जाना चाहिए, तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर देश का कोई हिस्सा पिछड़ा हो और उसका विकास करना हो तो उसको क्या अलग कर देना चाहिये ?

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया तथा पर्वतीय विकास के लिये अपने-अपने सुझाव दिये। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह उन पर विचार करें और उन पर कार्यवाही करेंगे जैसा कि माननीय सदस्य, गोपाल राम दास जी ने कहा जनजाति परियोजना के बारे में बजट का युटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो मैं चाहूंगा कि इसको किया जाये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जो सीमान्त जिले, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ हैं, वहां पर पहले से कर्मचारी जाना नहीं चाहते हैं और जो सीमान्त वेतन उनको मिलता था उसको आपने काट दिया है। पर्वतीय विकास भत्ते की जो बात कही गयी है, उसको भी आप लागू करें। जन-जाति विकास भत्ता की जो बात कही गयी है, उसका भी आप लागू करें। जनजाति विकास भत्ता जो दिया जाता था, उसको अगर दे दिया जाये तो लोग वहां पर जायेंगे। इस पर आप संशोधन करा दें। हमारे यहां पर बहुत से ऐतिहासिक स्थल हैं, उनका विकास नहीं किया गया है। हरियाणा में आप चले जाइये सभी ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का विकास किया गया है, उसी प्रकार से हमारे यहां पर जो भी ऐतिहासिक, धार्मिक स्थल हैं, उनका विकास होना चाहिये और जो स्थान पहले से विकसित हैं वहां पर सारी सुविधायें उपलब्ध करायी जायें। इन शब्दों के साथ, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री गुलाब सिंह—

माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं, उन पर आप विचार करेंगे ?

श्री गुलाब सिंह—

मान्यवर, जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे और हर हालत में करेंगे। लेकिन माननीय ऐरी जी अपना प्रस्ताव वापस ले लें....

श्री काशी सिंह ऐरी—

माननीय सदस्यों ने जितने सुझाव दिये हैं, उन सभी को अगर माननीय मंत्री जी मान लें, तो मैं अपने प्रस्ताव को वापस ले लूंगा। दूसरी बात यह है कि यदि मंत्री जी सदन में पर्वतीय क्षेत्रों के लिये अलग राज्य बनाने का घोषणा कर दें, तो भी मैं अपना प्रस्ताव वापस ले लूंगा

(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह—

मान्यवर, जैसा कि मैंने अभी कहा मैं माननीय सदस्य ऐरी भाई से निवेदन करूंगा कि सरकार पहाड़ों के लिये वह सब कार्य करने के लिये तैयार है जो इसके संसाधनों के अनुरूप हों। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जो मौलिक चीजें उठायी हैं उसमें कुछ चीजों में आपको भ्रम रहा होगा जैसे चरागाह हैं, बागवानी करने की बात है

(व्यवधान)

हमारा एक टार्गेट है कि 10 हजार हैक्टियर में हम बागवानी लगायेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे जिससे उनकी इनकम बढ़ेगी।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है कि हम सब कुछ करेंगे। तो क्या आप उत्तरांचल राज्य की स्थापना भी करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

अब आप कृपया बैठें ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 47—पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 47—पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,98,83,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44—पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 44—पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,45,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

[समय 9.30 बजे]

## मोटर यान (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989

(मद संख्या 11 पुकारे जाने पर)

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, इसको तो स्थगित कर दिया जाय....

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि मोटर यान (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989, जैसा उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह बहुत छोटा सा विधेयक है । माननीय मैनेजर सिंह जी इसको पसन्द करेंगे । पहले 1400 प्राइवेट बसें चलतीं थी, उसमें कुछ टेक्निकल कमी रह गई थी । इसलिये उसको हटाना पड़ा था । उस कमी को पूरा कर दिया गया है और

इसीलिये इस विधेयक को हम आपके सामने लाये हैं और इसके द्वारा जैसे ये बसें पहले चलती थीं, वैसे ही अब भी चलायेंगे। हमारे पास बसें कम हैं। हम किराया नहीं बढ़ा रहे हैं और इन बसों को ले रहे हैं इसलिये मान्यवर, सदन से अनुरोध है कि वह इसे पास करें।

श्री अधिष्ठाता—

संशोधन पेश करने वाला कोई नहीं है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, यह जो डग्गामार बस चलाते हैं....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

संशोधन रखने वाला कोई नहीं है इसलिये उस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, जब इन्होंने इसे रख ही दिया है तो हम सम्पूर्ण परिवहन पर चर्चा करेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

जो ऐक्ट की परिधि में नहीं होगा उस पर चर्चा नहीं होगी। अब मैं इसे रख रहा हूं।

प्रश्न यह है कि मोटर यान (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(व्यवधान)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गौरी शंकर मइया—

मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूं माननीय सवारी मंत्री जी बैठे हुये हैं। एक दिन मैं, बाबू मैनेजर सिंह और माननीय विक्रमादित्य पाण्डेय जी, मंत्री जी से मिले थे उन्होंने आदेश भी दिया था कि बलिया से लखनऊ के लिये बस चले क्योंकि हम लोगों को बलिया से लखनऊ आना पड़ता है। हमने अनुरोध किया था कि वरुणा गाड़ी जो चलती है उसको पकड़ने के लिये बलिया से बनारस के लिये कोई बस चला दें तो हम को वरुणा से उतर कर बलिया ले जाय और बलिया से वरुणा पकड़ने के लिये ले आया करे। परन्तु वह बस नहीं चल पाई है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि बलिया से वरुणा पकड़ने के लिये बस चला दें।

श्री प्रमोद कुमार—

माननीय गौरी भइया तब हमारे पास बस नहीं थी। उसी को देख कर हम विधेयक लाये हैं अतः आपके इस प्रस्ताव पर विचार कर लेंगे :

खण्ड 2, 3, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 3, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मोटर यान (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 जैसा उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

मान्यवर, एक सुझाव सुन लें । उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के लिये 5 सौ प्राइवेट बसें ले नहीं रहे हैं इनके पास पैसे नहीं हैं

(व्यवधान)

जिसके कारण यह बस नहीं ले पा रहे हैं । जब इनके पास पैसा नहीं है तो फिर किस कारण से यह इन बसों को ले रहे हैं ।

दूसरी बात कहीं-कहीं पर बीच-बीच में एक-एक दो-दो किमी0 नेशनल इज्ड रूट हो गये हैं और दोनों तरफ प्राइवेट बसें चल रही हैं वहां पर यह परमिट नहीं दे रहे हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि नियम में कोई संशोधन करके उनको भी क्लीयर कर दें । इसी तरह से बनारस से गाजीपुर रसड़ा बसें जो चलती थीं यह बन्द हो गयी हैं । मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जब घाटा हो रहा है तो उसके कारण भी पता लगाये और मालूम करें कि उसके लिये कौन जिम्मेदार है ।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी आप जवाब देंगे ?

श्री प्रमोद कुमार—

यह लाजवाब है इसलिए जवाब क्या दें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, पता नहीं क्या दबाव इस सरकार पर पड़ गया है कि जो बसें बढ़नी-गोंडा तक जाती थीं, वह नहीं जाती हैं और प्राइवेट बस वालों ने मुकदमा दायर कर दिया है जिससे सारा यातायात अवरुद्ध हो गया है । इस प्रकार बसें वहां नहीं जा रही हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि एडवोकेट जनरल को यहां बुलाकर स्टे वैकेट करा दें ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, आवश्यकता होगी तो स्टेवैकेट करा दिया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि मोटर यान (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989, जैसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत आज 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें पहली सूचना सर्वश्री सुरेन्द्र सिंह मलिक, अमीर आलम खां और श्री वीरेन्द्र सिंह की सहकारी विभाग में कार्यरत हजारों संघर्ष अमीनों का नियमितीकरण न किये जाने के सम्बन्ध में है, को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया और शेष सभी सूचनायें अस्वीकार हुई।

इसके अतिरिक्त मद संख्या 14 से 18 तक की मदों को स्थगित किया गया।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे पूर्वान्ह फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 9 बजकर 40 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

2 मार्च, 1989

आज्ञा से,

माल चन्द्र शुक्ल,

सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

विधान सभा
मुजफ्फरपुर

सूची 'क'

(ता० प्र० सं० 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 82 पर ।)

परिशिष्ट "क"

| क्रम-संख्या | पद का नाम | | वेतनमान | 30-9-1986 तक सृजित पदों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| | | | रु० | |
| 1 | साधारण ग्रेड | (पुरुष) | 850-1,720 | 4114 |
| | | (महिला) | 850-1,720 | 1221 |
| 2 | सीनियर ग्रेड | (पुरुष) | 1250-2050 | 986 |
| | | (महिला) | 1250-2050 | 188 |
| 3 | स्पेशल ग्रेड | (पुरुष) | 1840-2400 | 143 |
| | | (महिला) | 1840-2400 | 22 |
| 4 | संयुक्त निदेशक | (पुरुष) | 2050-2500 | 58 |
| | | (महिला) | 2050-2500 | 17 |
| 5 | अपर निदेशक | (पुरुष) | 2400-2800 | 26 |
| | | (महिला) | 2400-2800 | 2 |
| 6 | निदेशक | (पुरुष) | 2700-3000 | 1 |
| | | (महिला) | 2700-3000 | .. |
| 7 | महानिदेशक | (पुरुष) | 2700-3000 | 1 |
| | | (महिला) | 2700-3000 | .. |
| | | | [कुल योग .. | 6779 |

अविभाजित भवन

परिशिष्ट "क"

| क्रम-संख्या | पद नाम | | वेतनमान | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | | | रु0 | | |
| 1 | साधरण ग्रेड | (पुरुष) | 850-1720 | 374 | 54 |
| | | (महिला) | 850-1720 | 15 | 03 |
| 2 | सीनियर ग्रेड | (पुरुष) | 1250-2050 | 34 | 14 |
| | | (महिला) | 1250-2050 | 3 | 2 |
| 3 | स्पेशल ग्रेड | (पुरुष) | 1840-2400 | 10 | 1 |
| | | (महिला) | 1840-2400 | 1 | .. |
| 4 | संयुक्त निदेशक | (पुरुष) | 2050-2500 | 4 | 1 |
| | | (महिला) | 2050-2500 | .. | .. |
| 5 | अपर निदेशक | (पुरुष) | 2400-2800 | 2 | .. |
| | | (महिला) | 2400-2800 | .. | .. |
| | | | योग .. | 443 | 75 |

उपलब्ध आरक्षण का प्रतिशत-6.54% 1.11%

पी0 एस0 यू0 पी0--10 वि0 समा--26-7-1989--813 (पी0 डी0)